द्वितीय माला, खण्ड २०—अंक २१

८ सितम्बर, १९५८ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/4/73

2nd Lok Sabha *(Fifth Session)*

सत्यमेव जयते

...vation Unit
8-5-9...
...gated
15/11/93
Parliament Library

(खण्ड २० में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

185A LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २०—अंक २१ से ३०—८ सितम्बर से १९ सितम्बर १९५८)

पृष्ठ

अंक २१ सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००९, १०११ से १०१७ और १०१९ से १०२२ . . . . २४९१—२५१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१०, १०१८ और १०२३ से १०५४ . २५१३—२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३२ से १६९६ . . . २५२७—५३

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में कथित खाद्य संकट . . . २५५३—५९

दो सदस्यों की गिरफ्तारी २५५९

दो सदस्यों को सजा . . . . २५५९—६०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २५६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २५६०

तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर की शुद्धि . . २५६१

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—पुरःस्थापित २५६१

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक—पुःरस्थापित २५६२

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५६२—९७

खण्ड २ और ३ . . . . . २५८९—९७

खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिये अनौपचारिक बैठक के सम्बन्ध में वक्तव्य . . . . . २५९७—२६००

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २६०१—०६

पृष्ठ

अंक २२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५५, १०५६, १०५८, १०५६, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७ से १०६६, १०७१ से १०७४, १०७६, १०७८ और १०७६ . . . . . २६०७—३१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . २६३१—३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५७, १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०७०, १०७५, १०७७, १०८० से १०८६ और ५६५ . . २६३३—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६७ से १७५५ . . . २६४१—६८

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश विधान सभा में शान्ति स्थापित करने के लिये सशस्त्र सिपाहियों का बुलाया जाना . . . . २६६८—७४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७४—७६

श्री शि० ला० सक्सेना द्वारा वक्तव्य २६७५

राज्य सभा से सन्देश २६७६

लोक लेखा समिति—

६वीं रिपोर्ट २६७६

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

खण्ड ४ से १४ और १ . . . . . २६७७—६५

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . २६६४–६५

केरल तथा मद्रास राज्य में विषाक्त खाद्यपदार्थों से हुई घटनाओं के बारे मे प्रस्ताव . . . . . २६६५—२७०४

दैनिक संक्षेपिका . . . २७०५–०६

अंक २३—बुधवार, १० सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६० से ११०० और ११०३ से ११०८ २७११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०१, ११०२, ११०६ से ११३७, ६३१ और ६७४ . . . . . २७३४—४६

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५६ से १८१४ और १८१६ से १८३० २७४६—८१

पृष्ठ

सदस्य द्वारा पद-त्याग २७८१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सत्र में विरोधी दल के सदस्यों द्वारा भाग न लिया जाना . . . . २७८१—८४, २७८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . २७८४

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २७८६—९५

खण्ड २ और १ . . २७९३–९४

पारित करने का प्रस्ताव . २७९५

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . २७९५—२८०५

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में चर्चा २८०६—१६

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . २०१६

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . २८१६

दैनिक संक्षेपिका . . २८१७—२१

अंक २४—गुरुवार, ११ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४० से ११४५, ११४७, ११५०, ११८३, ११५१ से ११५४, ११५६ से ११५९, ११६२ से ११६४, ११६६, ११६८, ११६९, ११७१ और ११७२ . . . . २८२३—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४६, ११४८, ११४९, ११५५, ११६०, ११६१, ११६५, ११६७, ११७०, ११७३ से ११८२ और ११८४ . . . . . २८४९—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३१ से १९०३, १९०५ से १९१३ और १९१५ से १९१८ . . . . . २८५९—९२

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न . . .	२८९२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	२८९२–९३
राज्य-सभा से सन्देश . . .	२८९३
याचिका का उपस्थापन	२८९३
पठानकोट में गोला-बारूद की पेटियों में विस्फोट के बारे में वक्तव्य .	२८९३–९४
कार्य मंत्रणा समिति--	
उनतीसवां प्रतिवेदन .	२८९५
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	२८९५--२९३२
दैनिक संक्षेपिका . . .	२९३३--३९

अंक २५--शुक्रवार, १२ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से ११८८, ११९० से ११९६, ११९८ से १२०३, १२०७ और १२०८ . . .	२९४१--६६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० .	२९६६--७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८९, ११९७, १२०४ से १२०६ और १२०९ से १२२२	२९७०--७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १९१९ से १९७२ और १९७४ से १९९९	२९७७--३०१०
सरदार सम्पूर्ण सिंह का निधन	३०१०
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३०१०–११
राज्य सभा से सन्देश	३०११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के परिणाम .	३०११--१६
तारांकित प्रश्न संख्या ९१३ के उत्तर की शुद्धि .	३०१६–१७
तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर की शुद्धि . .	३०१७
सभा का कार्य . .	३०१७
तेल की खोज के बारे में वक्तव्य . .	३०१८
समिति के लिये निर्वाचन--	
प्राक्कलन समिति . .	३०१८–१९

पृष्ठ

उच्चन्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—

पुरःस्थापित . . ३०१९

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ३०१९—२५

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३०२५—३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . ३०३१—३२

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के बारे में संकल्प—

वापिस लिया गया ३०३२—३४

कुछ न्यायाधिकरणों को उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटाने के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत . . . . ३०३५—४८

उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा संबंधी झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक आयोग की स्थापना के बारे में संकल्प . . ३०४८

दैनिक संक्षेपिका . . ३०४९—५५

अंक २६—सोमवार, १५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२३ से १२२५, १२२७, १२२८, १२३०, १२३२ से १२३५, १२३७ से १२४१, १२४३ से १२४८ और १२५३ . ३०५७—८३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२ ३०८३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२९, १२३१, १२३६, १२४२, १२४९ से १२५२ और १२५४ से १२६३ . . . ३०८६—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०८९ . ३०९५—३१३२

स्थगन प्रस्ताव—

किमाय और माट्सू द्वीप के संबंध में वाशिंगटन में वित्त मंत्री का वक्तव्य . . . . ३१३२—३५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३१३६—३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ३१३८—३९

राज्य-सभा से सन्देश ३१३९

पृष्ठ

एक सदस्य को गिरफ्तारी तथा सजा . . . ३१३६

एक सदस्य की गिरफ्तारी ३१३६

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव-- ३१३६--५४

गन्दी बस्तियाँ हटाने के बारे में मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के संबंध में चर्चा ३१५४--७७

दैनिक संक्षेपिका ३१७८--८४

अंक २७--मंगलवार, १६ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२६७, १२६६, १२७१ से १२७६, १२७८ से १२८१, १२८३, १२८४, १२८७ और १२८८ . ३१८५--३२०६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ३२०६--११

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२,६४, १२६८, १२७०, १२७७, १२८२, १२८५, १२६६, और १२८६ से १३०५ . ३२११--२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६० से २१७६ ३२२०--५३

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . ३२५३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३२५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

बीमा एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन में कमी ३२५५-५६

वाणिज्यक नौवहन विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३२५६--६५

दैनिक संक्षेपिका ३२६६--३३०२

अंक २८--बुधवार, १७ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६ से १३१०, १३१२, १३१५ से १३१७, १३२१ से १३२८ और १३३० . . . . ३३०३--२६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . ३३३०-३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या १३११, १३१३, १३१४, १३१८ से १३२०, १३२६ और १३३१ से १३४६ . . . . ३३३१--४१

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या २१७७ से २२६३	३३४१—७९
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३३७९–८०
जानकारी का प्रश्न	३३८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३८०–८१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन .	३३८१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में हैजे का प्रकोप	३३८१
विष (संशोधन) विधेयक—	
पुरस्थापित .	३३८१–८२
वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार .	
खण्ड २ से २० , २२ से १००, १०२ से १४९, २१, १०१, १०३ से ४६१, अनुसूची और खंड १ .	३३८२–३४१६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	३४१३–१६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव .	३४१६–२८
दैनिक संक्षेपिका .	३४२९–३४
अंक २९—गुरुवार, १८ सितम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३५०, १३५१, १३५४, १३५६ से १३६५ और १३६७ . . .	३४३५–५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३५२, १३५३, १३५५, १३६६, १३६८ से १३७९ और १३८१ से १३९५ . .	३४५७–६९
अतारांकित प्रश्न संख्या २२६४ से २३७६	३४६९–३५१९
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३५२०
एक सदस्य का अपराधी ठहराया जाना . . .	३५२१
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव .	३५२१–६१
दैनिक संक्षेपिका	३५६२–६९

अंक ३०—शुक्रवार, १९ सितम्बर, १९५८

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९६, १३९८ से १४००, १४०२, १४०४, १४०५, १४०८, १४०९, १४११, १४१२ और १४१४ . ३५७१—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९७, १४०१, १४०३, १४०७, १४१०, १४१३ और १४१५ से १४२६ . ३५९५—३६०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३७७ से २४३६ ३६०२—२६

डा० भगवान दास का निधन ३६२६—३०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६३०—३१

राज्य सभा से सन्देश ३६३१

सभा का कार्य . . ३६३१—३२

समितियों के लिये निर्वाचन . ३६३२—३३

१. प्राक्कलन समिति; और

२. लोक लेखा समिति ?

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३६३३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . ३६३३—४७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताइसवां प्रतिवेदन ३६४७

अयोग्य व्यक्ति बन्ध्यीकरण विधेयक—

पुरःस्थापित . ३६४८

छावनी (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ३६४८—५९

समवाय (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ३६५९—६३

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . . ३६६३

सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३६६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३६६४—७०

नोट:— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चोरी से लाये गये शस्त्रों का पकड़ा जाना

+

†*१००९. { **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** ६ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०३१ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बरामद 'विदेश निर्मित' शस्त्रों के बारे में राज्य सरकार से पूरी जानकारी मांगी गई है और वह प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, इस विषय में सरकार की जांच का क्या परिणाम हुआ है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) अक्तूबर, १९५७ से अप्रैल, १९५८ की अवधि में डाकुओं से कुल २१ शस्त्र बरामद किये गये । इन में से १३ ब्रिटेन में बने ए हैं, तीन अमेरिका में और शेष पांच स्पेन, बेल्जियम अथवा जेकोस्लावाकिया के हैं । बरामद होने वाले सब शस्त्र पुराने और काम में लिये हुए हैं । यह सिद्ध करने के लिये कोई सबूत नहीं है कि ये शस्त्र भारत में विदेशों से चोरी छिपे लाये गये थे ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : मध्य प्रदेश में डाकुओं के आतंक ने अत्यन्त भयावह रूप धारण कर रखा है इसे देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश में विदेशी सैनिक शस्त्रों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिये शीघ्र कोई कार्यवाही करेगी क्योंकि गत सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था बरामद होने वाला एक शस्त्र नवीनतम ढंग की मशीनगन है जिस पर अमरीकी सेना का चिन्ह है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दातार : मैं प्रश्न का पूर्वार्द्ध नहीं समझ पाया हूं ।

†श्री वि० च० शुक्ल : माननीय मंत्री ने अभी अपने उत्तर में बताया है कि उत्तरी मध्य प्रदेश में अनेक विदेशी सैनिक शस्त्र बरामद हुए हैं । तो क्या सरकार इस स्थिति की भयानकता को दृष्टिगत करते हुए सामान्य पुलिस बल बनायेंगे तथा राज्य सरकारों के लिये आवश्यक किसी अन्य प्रकार की सहायता देंगे ?

†श्री दातार : सामान्य पुलिस बल की स्थापना के प्रश्न पर दोनों जोनल परिषदें विचार कर रही हैं । यदि इस जोनल परिषद् में भी ऐसा ही प्रश्न उठाया गया तो इस पर विचार किया जायेगा ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न के रूप में सुझाव प्रस्तुत न करें । माननीय सदस्य पूछ सकते थे,—"क्या सामान्य पुलिस बल की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ?" और मैं इस अनुपूरक प्रश्न की अनुमति पर विचार करता ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या भोपाल में विधान सभा में इस आशय का उत्तर दिया गया था कि बरामद शुदा कुछ शस्त्र अमेरिका निर्मित हैं ? यदि यह सच है तो क्या सरकार इस का स्रोत जानती है और इस बात के लिये क्या प्रयत्न किया जा रहा है कि भविष्य में चोरी से और शस्त्र न आने पायें ?

†श्री दातार : अभी जो उत्तर दिया गया है उस का आधार मध्य देश सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है ।

†श्री तिम्मय्या : ये विदेशी शस्त्र भारत में कहां से और किस प्रकार आते हैं तथा उन्हें रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†श्री दातार : ये पुराने और काम में लिये हुए हैं तथा पूरे विषय में जाने से कोई लाभ नहीं होगा ।

भारत-विद्या इन्स्टीट्यूट

+

†*१०११. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-विद्या इंस्टीट्यूट की स्थापना के बारे में भारत-विद्या समिति की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह इंस्टीट्यूट १९५८-५९ में स्थापित कर दिया जायेगा ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख). १८ अगस्त, १९५८ को आयोजित भारत-विद्या समिति की बैठक में सिद्धान्त रूप से यह बात स्वीकार कर ली गई कि भारत-विद्या का एक केन्द्रीय इंस्टीट्यूट होना चाहिये किन्तु इंस्टीट्यूट के विभिन्न विभागों में काम करने के लिये पर्याप्त संख्या में स्कालरों को प्रशिक्षित न करने के फलस्वरूप

†मूल अंग्रेजी में

उसकी स्थापना नहीं की जा सकी। इस प्रकार के इंस्टीट्यूट का अन्तर्गर्भ[1] तैयार करने के लिये समिति ने यह सिफारिश की कि देश में उच्चतर अध्ययन की विभिन्न संस्थाओं में से उपयुक्त स्कालरों का चुनाव कर उन्हें विदेशों में प्रशिक्षित करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में कार्यवाही की जाये ताकि तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत-विद्या इंस्टीट्यूट का प्रारम्भ किया जा सके।

समिति की सिफारिश सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या विदेशों में अध्ययन हेतु स्कालरों का चुनाव प्रारम्भ हो गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : अभी इन का चुनाव आरम्भ नहीं हुआ है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या भारत-विद्या में गवेषणा करने वाली और संस्थायें भी हैं और यदि हां, तो उन के क्या नाम हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : देश में।

†**श्री हुमायून् कबिर** : अनेक संस्थायें हैं। भारत-विद्या में गवेषणा करने वाली संस्थाओं की सूची देना सम्भव नहीं है।

†**श्री राम कृष्ण** : समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस भारत-विद्या संस्था की स्थापना के लिये अभी तक की गई कार्यवाही का क्या स्वरूप है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यदि माननीय सदस्य विवरण पढ़ें तो उन्हें ज्ञात होगा कि समिति की बैठक १८ अगस्त, १९५८ को हुई थी और उस में यह सिफारिश की गई थी कि भारत-विद्या के कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशों में अध्ययनार्थ कुछ स्कालरों का चुनाव किया जाये और उन के लौटने पर इस संस्था की स्थापना प्रारम्भ की जाये। अतः मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि १८ अगस्त और आज के बीच और क्या कार्यवाही की जा सकती है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जहां तक मुझे ज्ञात है इंडालाजी के बारे में बहुत से विश्वविद्यालयों में पहले से ही व्यवस्था है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो नई संस्था बनाई जा रही है उस में क्या विशेषता होगी, कौन सी विशेष बातें बताई जायेंगी।

†**श्री हुमायून् कबिर** : अनेक स्कालर इस पर कई वर्ष से विचार कर रहे हैं और वे अनुभव करते हैं कि जब कुछ विश्वविद्यालय भारत-विद्या के विशिष्ट विभागों में विशेष सुविधाओं का उपबन्ध करते हैं फिर इस के सर्वांगीण अनुसंधान के लिये केन्द्रीय संस्था क्यों नहीं है। इस के अतिरिक्त मिस्र-विद्या, असीरिया-विद्या आदि अनेक क्षेत्र हैं और पड़ौसी देशों के साथ हमारे जो सम्बन्ध रहे हैं उन में किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय ने अध्यापन कार्य नहीं किया है।

†**श्री तंगामणि** : स्कालरों को प्रशिक्षण के लिये किन-किन देशों में भेजा जायेगा। ताकि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इसे प्रारम्भ किया जा सके ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जहां भी सुविधायें उपलब्ध हों और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उपयुक्त विशेषज्ञ उपलब्ध हों वहीं इन स्कालरों को भेजा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Institute of Indologny

†**श्री रंगा** : क्या इस का अभिप्राय यह है कि भारतीय स्कालर पश्चिम के सभी देशों में एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में भ्रमणकारी मिशन के रूप में भेजे जायेंगे और हमारे भारत-विद्या शास्त्रियों को प्रशिक्षित करने के लिये इस क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ भारतीय नहीं हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : तथ्यों का सामना करना चाहिये । यह सच है कि इस देश में मिस्र-विद्या के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त स्कालर नहीं हैं ; असीरिया-विद्या के बारे में भी स्कालर नहीं हैं ; देश के वरिष्ठ स्कालरों ने यह बात स्वीकार की है कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के अन्तर्गत विशेष अध्ययन के लिये प्रतिभासम्पन्न भारतीयों को विदेशों में भेजा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवतः **पौर्वात्य** विषय पर पाश्चात्य प्रभाव डालने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

दिल्ली में अनधिकृत रूप में बनाये गये मकान

+

†१०१२. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत रूप से बनाये गये मकानों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम है ;

(ग) क्या अनधिकृत रूप से बनाये गये मकान और भविष्य में इस प्रकार का निर्माण कार्य प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिये कोई योजना और कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) क्या इस विषय में सहायता और मार्गदर्शन के लिये नगर निगम ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त)** :(क) और (ख). अनधिकृत रूप से बनाये गये मकानों का दिल्ली में कोई व्यवस्थाबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है । नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने १६५६ में इस आशय का सर्वेक्षण किया था जिस के परिणामस्वरूप ६,७८० इस प्रकार की अनधिकृत इमारतें मिलीं । भूतपूर्व दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार द्वारा १६५५ से १६५८ तक की अवधि में १८,४७६ 'कारण बताओ' नोटिस अनधिकृत मकानों के सिलसिले में जारी किये गये थे । मोटे अनुमान के आधार पर इस प्रकार के अनधिकृत मकानों की संख्या ३०,००० के आस-पास है ।

(ग) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १६५७ की धारा ३४४ और दिल्ली विकास अधिनियम, १६५७ की धारा ३१ के अधीन निगम, अन्य स्थानीय प्राधिकार और दिल्ली विकास प्राधिकार को अनधिकृत रूप से निर्मित किये जाने वाले मकान आदि को रोकने और आवश्यकता होने पर इस कार्य के लिये पुलिस की सहायता लेने का अधिकार है ।

(२) अनधिकृत रूप से बनाई गई इमारतों को हटाने में स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता करने के लिये दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने एक चलता-फिरता दस्ता स्थापित कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) इस समस्या पर विचार करने के लिये निगम ने एक तदर्थ समिति की स्थापना की थी जिस में दिल्ली नगर निगम के डिपुटी मेयर तथा आठ अन्य कौंसिलर सदस्य थे । समिति ने यह सिफारिश प्रस्तुत की कि अनधिकृत रूप से बनाई गई इमारतों को, दण्ड-शुल्क का भुगतान और सम्बन्धित ज़मीन पर निर्माण करने के अधिकार का संतोषजनक सबूत मिलने पर सुधार-शुल्क लगा कर, नियमितता प्रदान कर दी जाये । निगम ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है ।

(४) एक समिति नियुक्त की गई है जिसके अध्यक्ष मुख्य आयुक्त हैं । दिल्ली से निर्वाचित संसद् सदस्य, नई दिल्ली नगरपालिका के सीनियर वाइस-प्रेसीडेंट, दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर, दिल्ली विकास प्राधिकार के वाइस-चेयरमैन और सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी इस समिति में हैं । यह समिति मज़दूरों की बस्तियों, झोंपड़ियों और दिल्ली के ग्राम्य क्षेत्र में झुग्गियों की समस्याओं पर विचार करेगी और इन के हल के लिये ठोस सुझाव देगी जिन में उपयुक्त स्थानों का चुनाव भी सम्मिलित है ।

(घ) जी, नहीं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : निगम की स्थापना के पश्चात् कितने मकान गिरा दिये गये हैं और स्थायी समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप अब उन्हें गिराने का कोई विचार नहीं है ?

†**पण्डित गो० ब० पन्त** : मेरा विचार है कि निगम की स्थापना के पश्चात् उपरोक्त मकानों को गिराने की घटनायें अधिक नहीं हैं । मैं निश्चित संख्या नहीं बता सकता हूं । जैसा मैं ने अभी बताया है दो निकाय इस विषय से सम्बद्ध हैं । निगम ने एक समिति की स्थापना की थी और इस की सिफारिशें निगम ने स्वीकार कर ली हैं जिन्हें मैंने अभी अभी पढ़ा था । इस विषय की जांच करने और इस का हल ढूंढने के लिये दिल्ली परामर्शदाता समिति द्वारा एक और समिति नियुक्त की गई है । मैं यह व्यक्त कर दूं कि यह समस्या अत्यन्त दुर्वह हो गई है तथा हम इसे संतोषजनक रूप में हल नहीं कर सके हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : निर्माण कार्य के लिये अनुमति लेने में सामान्यतया कितना समय लगता है और क्या इस बात के लिये कोई कदम उठाये गये हैं कि अनुमति शीघ्र मिल जाये ?

†**पण्डित गो० ब० पन्त** : मैं नहीं समझता कि निगम अथवा नई दिल्ली नगरपालिका के कार्यालय में विलम्ब होता है । यह समस्या इसलिये उत्पन्न नहीं हुई है कि निर्माण कार्य की अनुमति नहीं मिलती है किन्तु इस के उद्भव का कारण यह है कि लोग जिस जमीन पर मकान आदि बना लेते हैं वह उन से सम्बन्धित नहीं होते हैं ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : कितने मकान बनाये गये हैं । पहले मकान बना कर फिर गिरा देना अच्छा है ।

†**पण्डित गो० ब० पन्त** : मैं सहमत हूं । यदि ऐसा सम्भव हो तो फिर उन्हें गिराने की आवश्यकता ही क्यों उत्पन्न हो ?

†**डा० सुशीला नायर** : क्या माननीय मंत्री इस से अवगत हैं कि अनधिकृत रूप से बनाये गये जो मकान हैं उन के अतिरिक्त हर दिन इस प्रकार अनधिकृत मकान बनते जा रहे हैं । उन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**पण्डित गो० ब० पन्त** : नई झोंपड़ियों आदि के निर्माण को रोकने की दृष्टि से इधर-उधर जाने के लिये सरकार ने मई, १९५७ में एक चलता फिरता दस्ता स्थापित किया था । किन्तु जहां भी रिश्तेदार अथवा और लोग रहते हैं वहां लोग चोरी से मकान आदि बना लेते हैं । इस में अधिक समय भी नहीं लगता है । एक घंटा पर्याप्त है । चार लकड़ियां खड़ी कर दीजिये और केनवास के दो टुकड़े अथवा आसपास पुरानी धोती लपेट दीजिये ; बस झोंपड़ी खड़ी हो जायेगी : अतः हर प्रकार की कोशिश की जाती है किन्तु फिर भी हम इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण को रोकने में सफल नहीं हुए हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इन दो अधिनियमों की धाराओं के अनुसार इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मौजूदा कमिश्नर इन अधिनियमों की भावना के अनुरूप चल रहे हैं ?

पण्डित गो० ब० पन्त : मुझे यह समझने की कोई वजह मालम नहीं होती कि वह उस के खिलाफ चल रहे हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : अगर वह उन की भावना के अनुरूप चलते होते, तो अन-अथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन्ज़ के ऊपर कोई कार्यवाही होनी चाहिये थी ।

†**पडित गो० ब० पन्त** : मैं यह नहीं समझता कि उन की ख्वाहिश है कि अन-अथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन्ज़ बढ़ते जायें । जब कभी वह कुछ करते हैं, तब बहुत सी शिकायतें होंती हैं और लोगों की हमदर्दी कुदरतन उन के साथ होती है, जोकि उन अन-अथाराइज्ड कंस्ट्रकशन्ज़ में रहते हैं । इस वजह से उन के काम में आसानी नहीं होती । अगर इस में सब की मदद हो, तो यह काम बहुत जल्दी हो सकता है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : अनधिकृत रूप से निर्मित मकानों को गिराने पर उन में रहने वालों के लिये वैकल्पिक आवास की क्या योजना है ?

†**पण्डित गो० ब० पन्त** : मैंने अपने उत्तर के दौरान में बताया था कि यह देखने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है कि आजकल जो व्यक्ति अनधिकृत मकानों में रह रहे हैं क्या उन के लिये वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जा सकती है ?

श्री वाजपेयी : अभी गृह मंत्री महोदय ने बताया कि कार्पोरेशन ने इन अनधिकृत निर्माणों को अधिकृत बनाने के सम्बन्ध में निर्णय किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कार्पोरेशन को कानूनी तौर पर इस बात का अधिकार है और यदि हां, तो इस प्रकार के अनधिकृत निर्माणों को अधिकृत रूप देने का दिल्ली की मास्टर प्लान पर क्या असर पड़ेगा, क्या इसका विचार किया गया है ?

पण्डित गो० ब० पन्त : कार्पोरेशन ने जो कुछ किया है, उस से कानूनी कार्यवाही में मदद मिलेगी और उस की बाबत कोई शिकायत गवर्नमेंट को नहीं मिली ।

†**श्री तिम्मय्या** : एक प्रश्न और, श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने अनेक प्रश्नों की अनुमति दे दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-पाक सीमा पर तस्कर व्यापारियों की मृत्यु

+

†*१०१३. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान पुलिस द्वारा पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तानी सीमा पर विगत दो वर्ष में मारे गये भारतीयों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें कितने तस्कर व्यापारी थे ;

(ग) क्या इस प्रकार के मामलों की जांच के लिये दोनों देशों में कोई व्यवस्था है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या स्वरूप है ?

†वित्त उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख). १ जुलाई, १९५७ से ३० जून, १९५८ की अवधि में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तानी सीमा पर पाकिस्तानी पुलिस और सेना द्वारा २४ भारतीय मारे गये। विश्वास है कि इनमें केवल एक व्यक्ति तस्कर व्यापारी था।

(ग) और (घ). सीमा के दोनों ओर के जिला अधिकारियों में इस प्रकार की सीमावर्ती घटनाओं पर चर्चा करने के लिये स्थायी व्यवस्था विद्यमान है।

†श्री राम कृष्ण : क्या मृत व्यक्तियों के पास किसी प्रकार की सम्पत्ति मिली है, यदि हां, तो इस सम्पत्ति का क्या स्वरूप है ?

†श्री ब० रा० भगत : केवल एक तस्कर व्यापारी था। वस्तुतः मेरे पास यह विस्तृत जानकारी नहीं है कि उसके पास क्या मिला था।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि मारे गये व्यक्तियों के अतिरिक्त जिन अनेक व्यक्तियों का अपहरण किया गया है उन्हें भी पाकिस्तानी पुलिस द्वारा तस्कर व्यापारी बताया गया है तथा इनमें से कितने पाकिस्तान की जेलों में हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : यह व्यापक प्रश्न है। यह इस मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं हैं। मेरा सम्बन्ध केवल तस्कर की घटनाओं से है। हमारी जानकारी के अनुसार केवल एक तस्कर व्यापारी की मृत्यु हुई बताई जाती है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अनेक मामले अभी निलम्बित हैं और काफी समय से हम सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब भी किसी का अपहरण किया जाता है तो पाकिस्तान की पुलिस कहती है कि वे तस्कर व्यापारी थे। वस्तुतः अनेक व्यक्ति तस्कर व्यापारी में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण जेलों में हैं। वे आज मुक्ति आदेश दे देने पर मुक्त नहीं किये जायेंगे और इसीलिये मैं जानना चाहती थी कि क्या कितने व्यक्तियों पर तस्कर व्यापार करने का आरोप लगाया गया है यद्यपि हम जानते हैं कि उनका अपहरण किया गया था।

†श्री ब० रा० भगत : इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये। यह प्रश्न उन व्यक्तियों के बारे में है जो मारे गये थे। और जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : सीमा पर इस प्रकार अनुचित रूप से लोगों को मारने की कार्यवाहियों के प्रतिरोध स्वरूप क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कुछ प्रतिकर दिया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जैसा मैंने प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में कहा था इस प्रकार के मामलों का निबटारा करने के लिये हमारे पास नियमित विधि है और उपरोक्त प्रत्येक घटना में इसी विधि का अनुसरण किया गया था ।

†**श्री त्यागी** : क्या कुछ प्रतिकर दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आप प्रारम्भ से अधिक प्रतिकर के लिये आतुर हैं ।

†**श्री ब० रा० भगत** : यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है । वस्तुतः यह प्रश्न वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय को सम्बोधित किया जाना चाहिये था । मैं केवल तस्कर व्यापार के मामलों के बारे में जानकारी दे सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य स्वयं भी तो मन्त्री रह चुके हैं । उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि वित्त मन्त्री का क्षेत्राधिकार सूक्ष्म रूप में क्या होता है ।

†**श्री त्यागी** : प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारत सीमा के अन्दर अपनी प्राण रक्षा के लिये सरकार का संरक्षण प्राप्त करे । अतः सरकार की ओर से संरक्षण प्रदान करने में असफल रहने के कारण यह मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कुछ प्रतिकर दिया गया था अथवा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह मानता हूं कि यह प्रश्न सुसंगत है किन्तु इसका उत्तर वित्त मन्त्री नहीं दे सकते हैं । उनका कथन है कि यह वैदेशिक कार्य मंत्रालय से निर्दिष्ट किया जाना चाहिये ।

श्री रघुनाथ सिंह : अभी बताया गया है कि २४ आदमियों की हत्या हुई है । मैं जानना चाहता कि कितने हिन्दुस्तानी स्मगलिंग के चार्ज में पाकिस्तान द्वारा एरेस्ट हुए हैं ?

†**श्री अध्यक्ष महोदय** : यह उसी प्रश्न का रूपान्तर है ।

श्री रघुनाथ सिंह : उनका सवाल किडनैपिंग के बारे में था । मेरा सवाल दूसरे विषय से सम्बन्ध रखता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न पहल पूछा गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्रियों के समक्ष मेरा सुझाव है कि जब भी किसी प्रश्न में कुछ ऐसे अनुपूरक प्रश्नों की सम्भावना हो जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं हैं तो उन्हें परस्पर सहयोग करना चाहिये । आखिर यह तो संयुक्त उत्तरदायित्व है । उन्हें इस प्रकार की जानकारी रखना चाहिये कि कितने तस्कर व्यापारी गिरफ्तार किये गये थे, इत्यादि । इस प्रकार के प्रश्न पूछने की सम्भावना प्रतिक्षण रहती है । और जब अन्य मन्त्रालयों के बारे में प्रश्न पूछे जायें तो उन्हें यह जानकारी रखना चाहिये कि अन्य दिशाओं में क्या-क्या हो रहा है ।

अध्यापकों की प्रतिष्ठा

†***१०१४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री २ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अध्यापकों की प्रतिष्ठा वृद्धि करने

---

†मूल अंग्रेजी में

के बारे में राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले सहयोग का क्या स्वरूप है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६८]**

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस पैराग्राफ में छः विवरण हैं अतः आप मुझे कम से कम छः अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे । विवरण से प्रकट होता है कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की वेतन वृद्धि के बारे में केन्द्रीय मन्त्रालय की सिफारिशें केवल नौ राज्यों ने क्रियान्वित की हैं । जिन राज्यों और संघ राज्य राज्य-क्षेत्रों ने अभी तक वेतन नहीं बढ़ाया है उनके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: लोक-सभा के पटल पर रखा गया विवरण सर्वथा व्यापक है और इस विषय के बारे में पूरी जानकारी दे देता है ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है उन्होंने राज्य सरकारों के सामने यह प्रस्ताव रखा था। कुछ राज्य सरकारों ने वेतन वृद्धि कर दी है और कुछ ने नहीं । केन्द्रीय सरकार राज्यों से यह कहने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती है कि बढ़े हुए खर्च का पचास प्रतिशत भाग हम देंगे । इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते हैं । सम्भव है कि जिन राज्य सरकारों ने अध्यापकों का वेतन नहीं बढ़ाया है उनमें से कुछ अपने हिस्से का व्यय सहन करने की स्थिति में नहीं हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच प्राइमरी अध्यापक, सैकण्डरी अध्यापक, यूनिनवर्सिटी और कालेज अध्यापक के बीच वेतन-क्रम की विसमता दूर करने के लिये कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस प्रश्न पर चर्चा की गई है और यह अनुभव किया गया है कि स्थिति में परस्पर असमानताएं हैं । और अध्यापक ही नहीं अपितु अन्य कर्मचारियों के वेतन-क्रम में भी विसमताएं हैं । निकट भविष्य में यह सम्भव है कि समूचे देश के लिये समरूप वेतन-क्रम न हों । किन्तु राज्य सरकारों को सहायता देकर हम वेतन बढ़ाने के लिये यथा सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण के अनुसार राज्य सरकारों से विश्वविद्यालय निकायों के विधान में इस प्रकार का परिवर्तन करने के लिये कहा गया है कि इनमें अध्यापकों का अधिक प्रतिनिधित्व हो। क्या राज्यों के शिक्षा विभागों और शिक्षा के केन्द्रीय मन्त्रालय को इस आशय का अनुदेश दिया गया है कि वे विभिन्न निकायों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व बढ़ायें ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: यह सुझाव तो प्रत्येक के समक्ष है । यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने यह सुझाव दिया है अतः वही इसके लिये उत्तरदायी हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विवरण से प्रकट है कि अध्यापकों की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले निर्णयों को किसी भी संघ राज्य-क्षेत्र ने क्रियान्वित नहीं किया है । चूंकि राज्य-क्षेत्रों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है मैं जानना चाहता हूं कि इन पिछड़े क्षेत्रों के बारे में उन्होंने क्या किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं संघ राज्य-क्षेत्रों के बारे में लोक-सभा को यह बता दूं कि हमारे वेतन सबसे अधिक हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बासप्पा :** क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि मिडिल स्कूलों के कुछ अध्यापक इन स्कूलों में क्लर्क रहना पसन्द करते हैं क्योंकि इनका वेतन क्लर्कों से भी कम है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह सच है कि वेतन कम हैं इसीलिये भारत सरकार ने यह योजना प्रारम्भ की है । हम सभी स्तरों पर—प्राइमरी, सैकण्डरी और यूनिवर्सिटी अध्यापकों का वेतन-क्रम बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को सहायता दे रहे हैं । यदि माननीय सदस्य विवरण की ओर देखें तो उन्हें मालूम होगा कि प्रयत्न प्रायः सफल रहा है । कुछ ऐसे विश्वविद्यालय और राज्य हो सकते हैं जो वेतन-क्रम बढ़ाने की स्थिति में न हों किन्तु अधिकांश राज्यों और विश्वविद्यालयों ने इस प्रस्ताव का लाभ उठाया है ।

†**श्री थानू पिल्ले :** शिक्षा मन्त्रालय की सम्मति में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों और केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तुलनात्मक स्थिति कैसी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को इनकी तुलना नहीं करनी चाहिये ।

†**श्री थानू पिल्ले:** यह प्रश्न अध्यापकों की पद-प्रतिष्ठा से सम्बन्धित है । इसीलिये मैं यह प्रश्न पूछना चाहता था ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह तुलना अनुचित है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जले पर नमक छिड़कने से क्या लाभ है । पहले ही पर्याप्त कटुता है । हमें ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहिये जो शान्त व्यक्तियों को उत्तेजित कर दे । क्रान्ति का आह्वान न कीजिये ।

†**श्री तंगामणि :** यह विवरण प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक ही नहीं वरन् कालेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से भी सम्बन्धित है । जहां तक राज्यों द्वारा बराबर के अनुदान का प्रश्न है—पुरुष प्राध्यापकों के लिये ५० प्रतिशत और महिला प्राध्यापकों के लिये ७५ प्रतिशत—केवल १३ विश्वविद्यालयों ने अभी तक उसका उपयोग किया है । क्या इन प्रोफेसरों के वेतन-क्रम में वृद्धि करने के लिये अन्य विश्वविद्यालयों को विशेष निदेश दिये गये हैं ?

†**श्री रंगा :** पहले प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन तो बढ़ाने दीजिये ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हम विश्वविद्यालयों को निदेश नहीं दे सकते हैं । हम केवल यह प्रस्ताव उनके सामने रख सकते हैं । इसका लाभ उठाना उनका काम है । अधिकांश विश्वविद्यालयों ने इसका लाभ उठाया है । विवरण से प्रकट है कि कई विश्वविद्यालयों में वेतन-क्रम सन्तोषजनक थे अतः उनमें वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं थी । किन्तु कुछ विश्वविद्यालयों में आर्थिक कठिनाइयां थीं और इस बात के लिये निरन्तर इस बात का अविरत प्रयत्न करेंगे कि वे हमारे वेतन-क्रम स्वीकार कर लें ।

व्यय कर

+
†*१०१५. { **श्री मुरारका :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९५८ तक कुल कितना व्यय-कर निर्धारित किया गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक व्यय-कर के रूप में वास्तव में कुल कितनी राशि वसूल की गई ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) ५,००० रुपये।

(ख) ५, ०००रुपये।

†**श्री मुरारका** : क्या व्यय-कर अधिनियम के अन्तर्गत भारत के भूतपूर्व राजाओं के साथ उनकी कर देयता के बारे में कोई समझौता किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न इस बारे में है कि कुल कितना व्यय-कर निर्धारित किया गया और कितना वसूल किया गया। क्या माननीय मंत्री के पास इस बारे में कोई जानकारी है कि भूतपूर्व राजाओं से कितनी राशि वसूल की गई ? काल्पनिक प्रश्न पूछने से क्या लाभ ?

†**श्री मुरारका** : यह काल्पनिक प्रश्न नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस राशि में भूतपूर्व राजाओं से वसूल की गई कोई राशि भी शामिल है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जी हां; अधिनियम की धारा २० के अन्तर्गत उन भूतपूर्व राजाओं को कर देना होता है जो निजी थैलियां प्राप्त करते हैं। अतः यह इस प्रश्न से उत्पन्न होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर प्रश्न का उत्तर क्या है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : प्रश्न क्या था ?

†**श्री मुरारका** : व्यय-कर अधिनियम भूतपूर्व राजाओं के कितने मामले तय हुए हैं और उन से कितनी राशि वसूल की गई है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अधिनियम की धारा २० के अन्तर्गत भूतपूर्व राजाओं को इस बात का निर्णय स्वयं करना होता है कि वे कर निर्धारण की साधारण प्रक्रिया के अनुसार कर देयता निर्धारित कराना चाहते हैं या प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें १५ सितम्बर तक स्वयं निश्चय करने के लिये कहा गया है अतः इन्हें १५ सितम्बर के बाद लिया जायगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : व्यय-कर विभाग पर कितना खर्च हो रहा है?

†**श्री च० द० पाण्डे** : कर से अधिक।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस विभाग द्वारा सभी करों का निर्धारण किया जाता है अतः किसी विशेष कर में निर्धारण का अलग से खर्च बताना सम्भव नहीं है।

†**श्री मुरारका** : इन भूतपूर्व राजाओं के मामले किन आधारों पर तय होंगे ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय सदस्य ३० अगस्त को श्री सूपकार द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर को देखें जिसमें बताया गया था कि पहली पांच लाख रुपये की निजी थैलियों पर ७$^{1}/_{2}$ प्रतिशत कर होगा, अगले ५ लाख पर १२$^{1}/_{2}$ प्रतिशत, अगले ५ लाख रुपये पर २० प्रतिशत, अगले ५ लाख रुपये पर २५ प्रतिशत और उस से अधिक जितना हो उस पर ३३$^{1}/_{3}$ प्रतिशत कर वसूल किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वि० च० शुक्ल** : जिस प्रकार भारत को छोड़कर जाने वाले विदेशियों को जाने से पूर्व पहले यह प्रमाण पत्र देना पड़ता कि उन्होंने आय कर चुका दिया है क्या भारत से बाहर जाने पर इन से भी ऐसा प्रमाण पत्र मांगा जायेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मेरे ख्याल से नहीं मांगा जायेगा ।

इस्पात कारखानों की प्रगति

+

†*१०१६. **श्री राम कृष्ण** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री मुरारका :
श्री सूपकार :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पाणिग्रही :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री दामानी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्र० के० देव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीनों इस्पात कारखानों के निर्माण की प्रगति अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितना विलम्ब हुआ है और इसके क्या कारण है ;

(ग) इस विलम्ब के कारण और कितना खर्च होगा ; और

(घ) कारखानों की विभिन्न प्रावस्थायें किन-किन तिथियों तक पूरी हो जायेंगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६९]

†**श्री राम कृष्ण**: विवरण से पता चलता है कि एक कारण यह है कि ठेकेदारों ने समय पर काम पूरा नहीं किया, क्या किसी ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अभी कोई कार्यवाही करने का उपयुक्त समय नहीं था ?

†**श्री राम कृष्ण** : इन में से प्रत्येक कारखाने में कितने प्रवीण तथा अप्रवीण कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वस्तुत : यह एक अलग प्रश्न है । अनुमान है कि रूरकेला और भिलाई में ३०००० प्रवीण और अप्रवीण श्रमिक कार्य कर रहे होंगे । दुर्गापुर में संख्या शायद कुछ कम है ।

†**श्री नाथ पाई** : बिना अनुभव के भारतीय ठेकेदारों को ठेके देने के कारण कितना विलम्ब हुआ ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे ख्याल से विलम्ब के कारणों में यह शामिल नहीं है ।

†**श्री सूपकार** : भिलाई का निर्माण बाद में आरम्भ हुआ परन्तु वह रूरकेला से पहले पूरा हो जायेगा ? रूरकेला कारखाने के निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कारण यह है कि यह अधिक बड़ा बेलन कारखाना होगा ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या बरसुआ में कच्ची धातु के खनन के विकास के लिये अपेक्षित उपकरण प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या इसे वहां लगा दिया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यदि खानों के बारे में अलग प्रश्न पूछा जाये तो ठीक रहेगा । यह प्रश्न तो इस्पात के कारखानों के बारे में है ।

†**श्री पाणिग्रही** : रूरकेला को लौह-अयस्क का संभरण इसी खान से किया जाना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत सी वस्तुओं का सम्भरण किया जाना है । माननीय सदस्य अलग प्रश्न की सूचना दें ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : विवरण से पता चलता है कि आज प्रात : रूरकेला में एक 'कोक ओवन बैटरी' गरम की जायेगी । क्या वास्तव में आज प्रात: वह बैटरी गरम की गई थी ?

†**प्रध्यक्ष महोदय** : अभी तो दोपहर के १२ नही बजे ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : उत्तर में कहा गया है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : आज रूरकेला में एक कोक ओवन बैटरी गरम की जायेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय मंत्री कृपया इस बात की व्याख्या करें कि 'रूरकेला में प्रथम कोक ओवन बैटरी को गरम करने का क्या अर्थ है ' दिसम्बर में 'ब्लास्ट फर्नेस' के चालू होने से पूर्व कितनी कोक ओवन बैटरियां गरम करनी पड़ेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कोक तैयार करने से पूर्व पहले गरम करना पड़ता है । उत्पादन आरम्भ होने से छ: सप्ताह पूर्व इसे गरम करना आरम्भ कर दिया जाता है । सभी कोक ओवन बैटरियों के लिये ऐसा ही करना पड़ेगा ।

†**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती** : मेरा प्रश्न यह था कि प्रथम ब्लास्ट फर्नेस' के चालू होने से पूर्व कितनी कोक ओवन बैटरियां गरम करनी पड़ेंगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : प्रथम ब्लास्ट फर्नेस के लिये एक कोक ओवन बैटरी काफी है ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है कि जर्मनी से जो मशीनें प्राप्त हुई हैं अभी इन कारखानों में उनकी आवश्यकता नहीं है परन्तु जिसकी अधिक आवश्यकता थी वह अभी तक नहीं पहुंची है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : शायद यह बात सही नहीं है ।

†**श्री अजीत सिंह सरहदी** : क्या यह सच है कि रूरकेला में विलम्ब का कारण यह है कि जर्मन निदेशालय और ठेकेदारों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना नहीं है क्योंकि जर्मन निदेशालय जर्मनी से अधिक से अधिक लोगों को लाना चाहता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस बात का संक्षिप्त उत्तर देना तो कठिन है । परन्तु यह बात ठीक है कि रूरकेला में संभरणकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक होने के कारण उनमें पूरी तरह समन्वय नहीं हो पाता ।

†**श्री तिमय्या** : माननीय मन्त्री ने बताया कि ठेकेदारों के कारण विलम्ब हुआ है । रूरकेला में कितने ठेकेदारों को दोषी ठहराया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : शायद माननीय सदस्य इस बारे में जानकारी दे सकें । मुझ को इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि प्रत्येक कारखाने में एक दिन विलम्ब होने से सरकार को १५ लाख रुपये की हानि पहुंचती है ?

एक माननीय सदस्य : केवल ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : विलम्ब से हानि तो होती ही है परन्तु मैंने इसका हिसाब नहीं लगाया था ।

†**श्री दामानी** : इन कारखानों पर पूंजी की लागत का पुनरीक्षित प्राक्कलन क्या है और इसके लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं कि लागत पुनरीक्षित प्राक्कलनों से अधिक न बढ़े ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कई कारणों से प्राक्कलन बढ़ गये हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय टीमों का प्रदर्शन

\+

†*१०१७. श्री सूपकार :
श्री मू० चं० जैन :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री कालिका सिंह :
श्री राधा रमण :
श्री कुन्हन् :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्र० के० देव :
श्री हेम बरूआ :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय टीमों और ऐथलीटों का खेल अच्छा न होने के कारणों का पता लगाने के लिये महाराजा पटियाला के सभापतित्व में जो समिति नियुक्त की गई थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री सूपकार** : खेल के बारे में यह शिकायत की जाती है कि खेलों के लिये उपयुक्त खिलाड़ी नहीं चुने गये इसी लिये अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्तर बहुत निचला रहा । क्या खिलाड़ियों के चुनाव के लिये उपयुक्त व्यवस्था की गई है और क्या निकट भविष्य में इस में सुधार करने का विचार है ? क्या अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिये खिलाड़ियों का चुनाव प्रतिरक्षा सेवायें और शिक्षा मंत्रालय मिल कर करते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : टीमों के चुनाव के लिये भारतीय ओलिम्पिक संस्था सर्वोच्च संस्था है और खिलाड़ियों का चुनाव वही करती है । सरकार इसमें दखल नहीं देती । वस्तुतः भारतीय ओलिम्पिक संस्था की रचना सम्बन्धी नियमों में ही इसका उल्लेख किया गया है । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि प्रक्रिया को कैसे सुधारा जाये और खेलों म स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाये इसके लिये सरकार ने यह समिति नियुक्त की है । समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद मैं अधिक निश्चित रूप में बता सकूंगा कि हम क्या उपाय करेंगे । आशा है कि इस मास की समाप्ति तक प्रतिवेदन प्राप्त हो जायगा ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : कहा जाता है कि टोकयों में हुये एशियाई खेलों में हमारी टीम के नेता ने यह बयान दिया था कि हमारे ऐथलीटों का वहां स्वागत नहीं किया गया था । क्या माननीय मंत्री ने वह समाचार देखा था ? यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि कुछ स्थानों पर भारतीय टीम का अच्छी तरह स्वागत नहीं किया गया जिस ने कुछ हद तक हमारे ऐथलीटों के खेल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कुछ टीमों का एक दूसरे से बर्ताव अच्छा न हो, यह तो सम्भव है परन्तु सामान्यतः हमारे देश के लोग जहां भी जाते हैं उनका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है ।

†**श्री तंगामणि** : टोकियों में हुये एशियाई खेलों में भारत हाकी में गोल्ड मेडल न जीत सका । क्या सरकार ने वे समाचार पढ़े हैं कि ठीक निर्णय न होने के कारण ही यह सब हुआ ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एशियाई खेल ओलिम्पिक प्राधिकारियों ने किये थे । हम तो यह चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी ईमानदारी से खेलें और हमारे निर्णायक उच्च स्तर स्थापित करें। हम तो यही कर सकते हैं । मेरा ख्याल है कि हम इसी से सुधार कर सकते हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : माननीय मंत्री के उत्तर में मैं यह वृद्धि करना चाहता हूं कि देश भर में यह गलतफहमी फैली हुई है कि हम ने हाकी का गोल्ड मेडल हार दिया परन्तु यह बात सही नहीं है । ओलिम्पिक खेलों का गोल्ड मेडल हमारे ही पास है । हम ने तो केवल एशियाई खेलों में नेतृत्व खोया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** हमने कुछ तो खोया है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** पटियाला समिति की क्या सिफारिश है उसे छोड़ कर क्या सरकार के पास इस समय कोई योजना है जिसके अनुसार ग्राम्य क्षेत्रों में रहने वाले नवयुवकों को खेलों के बारे में प्रारम्भिक ज्ञान और कस्बों में स्टेडियम और जिमनेज़ियम की सुविधायें प्राप्त हों ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति इस मामले की छानबीन कर रही है । प्रतिवेदन मिलने और सरकार द्वारा उसका परीक्षण हो जाने के बाद मैं बता सकूंगा कि हम इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ।

†**श्री थानू पिल्ले :** माननीय मंत्री ने कहा कि इन टीमों के लिये खिलाड़ियों का चुनाव करने के मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी । क्या इसका यह अर्थ है कि यदि टीम का चुनाव करते समय भेदभाव से काम लेते हैं तो क्या तब भी सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी और उन्हें मनचाहे खिलाड़ियों को लेने देगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कुछ मामलों में सरकार को लोगों पर निर्भर करना पड़ता है और यह अखिल भारतीय संस्था सभी संस्थाओं की प्रतिनिधि है और हमें अपने लोगों पर विश्वास करना चाहिये ।

†**श्री सूपकार :** स्कूलों और कालेजों के छात्रों और प्रतिरक्षा सेना के कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं के लिये तैयार करने में शिक्षा और प्रतिरक्षा मंत्रालय कैसे समन्वय करते हैं । और इन नवयुवकों और युवतियों को ओलिम्पिक टीमों में भेजने के लिये दोनों मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** प्रतिरक्षा और शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्र अलग अलग हैं परन्तु राष्ट्रीय छात्र सेना दल के बारे में दोनों का क्षेत्र एक हो जाता है और राष्ट्रीय छात्र सेना दल और सहायक छात्र दल के लिये दोनों में काफी तालमेल रहा ।

विमान माल भाड़े की वृद्धि

+

†*१०१९. { **श्री बांगशी ठाकुर :**
श्री बसुमतारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो :

(क) कलकत्ता से अगरताला तक विमान माल भाड़े में कितनी वृद्धि की गई है ;

(ख) किस तिथि से माल भाड़ा बढ़ाया गया ; और

(ग) इस वृद्धि के पूर्व और पश्चात् त्रिपुरा, विशेषकर अगरताला में मूल्य देशनांक क्या था और माल का प्रति पौंड भाड़ा क्या था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). दो विवरण (जिन पर 'ए' और 'बी' के निशान हैं), जिन में अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखे जाते हैं [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७०**] ।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** क्या त्रिपुरा में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य कलकत्ता और दिल्ली से ढाई गुणा हैं ?

†**श्री दातार :** विवरण से पता चलता है कि कुछ एक में मामूली अन्तर हुआ है ।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** क्या त्रिपुरा में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बढ़ जाने से लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है ?

†**श्री दातार :** विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि वे मूल्य उचित हैं ।

†**श्री बसुमतारी :** क्या किसी गैर-सरकारी समवाय ने कहा है कि वह २५ प्रतिशत कम भाड़ा लेकर माल वहां पहुंचाने के लिये तैयार हैं ?

†**श्री दातार :** १ जनवरी, १९५८ से भाड़े बढ़ाये गये थे । सरकार इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से इन्हें कुछ कम करने के लिये बातचीत कर रही है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** विवरण से पता चलता है कि सरकार ने जिन वस्तुओं के मूल्य बताये हैं उनमें नमक के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के मूल्य गिरे हैं । परन्तु हर एक व्यक्ति जानता है कि त्रिपुरा में हालत बिल्कुल उलट है ।

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य यह ध्यान रखें कि हमने फरवरी, १९५८ के मूल्य बताये हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह ठीक नहीं है ।

†**श्री दशरथ देब :** परिवहन की कठिनाइयों और अत्यावश्यक वस्तुओं के अत्याधिक मूल्यों को देखते हुए माल भाड़े और किराये को कब कम किया जायेगा, जिसका आश्वासन माननीय मंत्री ने भी दिया है ?

†**श्री दातार :** सरकार बातचीत कर रही है और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा ।

भिलाई इस्पात कारखाने के लिये टैक्नीकल कर्मचारी

+

†*१०२०. **श्री मुरारका :**
श्री अमर सिंह डामर :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह प्रबन्ध किया गया है कि जब भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन शुरू हो जाये तब २७९ रूसी "आप्रेशनल" इंजीनियरों, जिनमें २१ "टाप एक्सपर्ट" भी शामिल हैं, की सेवायें भिलाई इस्पात कारखाने को चलाने के लिये प्राप्त की जायें ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितने समय के लिये रखा जायेगा और उनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी ;

(ग) कितने भारतीयों को रूस में "आप्रेशनल" इंजीनियरिंग और "टाप एक्सपर्ट" का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और कितनों को दिया जाना है ; और

(घ) क्या रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के लिये आवश्यक विदेशी कर्मचारियों की संख्या का भी अनुमान लगाया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७१**]

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि हमारे विशेषज्ञों ने हाल ही में यह राय व्यक्त की है कि प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण इस कारखाने में पूरा उत्पादन कम से कम पांच वर्ष के बाद होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि इस्पात के नये कारखाने जहां कहीं भी लगाये जायें उनमें पूरा उत्पादन ५ वर्ष के बाद ही होगा । अतः अन्दाजे से ही इसका कोई कारण बता देना ठीक नहीं होगा ।

†**श्री मुरारका** : विवरण से पता चलता है कि २७९ रूसी विशेषज्ञ भारत आयेंगे जिन में २१ उच्च पदाधिकारी भी होंगे और उनके वेतन १५०० रुपये से २८५० रुपये मासिक तक होंगे । क्या उच्च पदाधिकारी भारतीयों को रूस में प्रशिक्षित करके नहीं लगाया जा सकता था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इतने योग्य और उच्च प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे ।

†**श्री च० द० पाण्डे** : क्या सरकार को ज्ञात है कि इन संभरणकर्ताओं की यह प्रवृत्ति ही है कि वे उच्च पदों पर काफी समय तक अपने देश के लोगों को ही लगाये रखते हैं । आखिरकार देश के लिये यह हानिकारक सिद्ध होगा । क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि ये तीनों उपक्रम स्वावलम्बी हों ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस सुझाव पर पूरी तरह विचार किया जायेगा ?

†**श्री नाथ पाई** : भारतीयों को किन शर्तों पर प्रशिक्षित किया जायेगा ? इस से यह स्पष्ट नहीं होता । हमारे देश के लोगों को इन शर्तों पर क्यों प्रशिक्षित नहीं किया जाता ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : प्रशिक्षण की शर्तें हर देश में अलग होती हैं । जो इंजीनियर अमरीका भेजे गये हैं वे इस्पात कारखानों में काम कर रहे हैं और उनका खर्च फोर्ड फाउंडेशन वहन करता है । जो रूस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके खर्च का कुछ अंश शायद संयुक्त राष्ट्र टैक्नीकल निधि—मुझे निधि का नाम ठीक से याद नहीं—में से दिया जाता है । इसी प्रकार आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में लोग कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । इस प्रकार हर देश का तरीक़ा अलग है ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या इसमें कोई कठिनाइयां हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उच्चतम पद के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करने में भी कोई कठिनाई नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दामानी :** प्रारम्भ से ही कितने भारतीय इंजीनियर रूसी आप्रेशनल इंजीनियरों के साथ आप्रेशनल इंजीनियरों के तौर पर कार्य करेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इरादा तो यह है कि प्रत्येक विदेशी टैक्नीशियन के साथ कोई भारतीय रहे ताकि कुछ समय के बाद वह उसके स्थान पर कार्य कर सके ।

†**श्री च० द० पाण्डे :** जिस प्रकार भिलाई में २७९ रूसी विशेषज्ञों को काफी समय के लिये रोका जा रहा है इसी तरह दुर्गापुर और रूरकेला में कितने जर्मनों और ब्रिटिश लोगों को रखा जा रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वह सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है ।

†**श्री रंगा :** हमारे जो टैक्नीशियन इन योजनाओं के अन्तर्गत विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने गये हुये हैं क्या हम उन्हें किसी दूसरे उपक्रम में सेवा करने की अनुमति देंगे अथवा उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी या एक से दूसरे कारखाने में जाने के लिये वे विकल्प दे सकेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** योजना के अन्तर्गत जो लोग विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने गये हुये हैं वे वास्तव में निगम के कर्मचारी हैं । वापस आने पर उन्हें काम पर लगा दिया जायेगा । उन्हें विशेष कार्यों के लिये चुना गया है । उन्हीं का वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और वापस आने पर वे वही काम करेंगे । अतः अन्य उद्योगों में जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । वैसे उन्हें हम एक से दूसरे कारखाने में भेज सकते हैं । भिलाई में कोक-ओवन पर काम करने वाले व्यक्ति को रूरकेला और दुर्गापुर म भेजा जा सकता है । निगम को उन से सर्वोत्तम तथा उपयुक्त ढंग से काम लेने का पूरा अधिकार है ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** भाग (ग) के उत्तर में कहा गया है कि दो भारतीय इंजीनियर अधीक्षक वर्ग में होंगे । क्या ये पर्याप्त होंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वे पर्याप्त नहीं होंगे इसीलिये तो विदेशी टैक्नीशियन बुलाये जा रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** २७९ पदों पर विदेशी विशेषज्ञ काम करेंगे जिन में २१ उच्चतम अधीक्षक वर्ग में होंगे । क्या सरकार ने प्रत्येक पद पर उनके साथ काम करने के लिये भारतीय नियुक्त किये हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इसका उत्तर शायद मैं दे चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहती हैं कि क्या प्रत्येक विशेषज्ञ के साथ काम सीखने वाला भारतीय कर्मचारी भी रहेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं ने भी तो यही कहा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या वे लोग नियुक्त कर लिये गये हैं । नीति के बारे में तो मैं जानती हूं ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** लोगों को विशेष काम के लिये नियुक्त किया गया है और प्रत्येक विशेषज्ञ के साथ एक भारतीय रहेगा जो आवश्यकता पड़ने पर काम को संभाल सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बुशारका** : भाग (घ) के उत्तर में कहा गया कि रूरकेला और दुर्गापुर कारखानों के लिये टैक्नीकल कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारित करने के लिये नियुक्त की गई है। इस में इतना विलम्ब क्यों किया गया जब कि कारखाने का निर्माण पूरा होने वाला है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसे निर्धारण नहीं बल्कि अन्तिम निर्णय करना है। पहले समितियों ने निर्धारण कर लिया था।

हिमाचल प्रदेश के लिये लोहे की चादरें

१०२१. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में लोहे की चादरों की बहुत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में लोहे की चादरों की कमी है। इसका कारण यह है कि जिस तरह देश के दूसरे भागों में इस्पात अपने कोटे से कम पहुंच रहा है उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी यह निर्धारित कोटे से कम पहुंच रहा है।

(ख) हिमाचल प्रदेश को जो इस्पात का कोटा अब दिया गया है वह चादरों के लिये है और वहां के प्रशासन को यह छूट और दे दी गई है कि अलग अलग चीज़ों के लिये दिये गये इस्पात के कोटे को भी वह अपनी विशेष ज़रूरतों के मुताबिक़ काम में ला सकता है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश प्रशासन चादरें ज्यादा तादाद में प्राप्त कर सकेगा लेकिन यह तादाद उसे दिये गये कुल कोटे से अधिक नहीं होगी। स्थिति में इससे ज्यादा सुधार तो कोटा बढ़ा कर ही किया जा सकता है लेकिन देश में इस्पात की आम कमी को देखते हुये ऐसा करना मुमिकन नहीं है।

श्री पद्म देव: माननीय मंत्री ने गतबार यहां पर एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में फरमाया था कि हिमाचल को अधिक लोहे की ज़रूरत नहीं है। क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि हिमाचल में हिन्दुस्तान के आज़ाद होने के पहले कोई प्रगति नहीं हुई थी। देश के आज़ाद होने के बाद यहां पर नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स चालू की गयी हैं, सैकड़ों स्कूल बने हैं और बिजली की और दूसरी बहुत सी स्कीमें चालू की गयी हैं। उस वक्त जो कोटा हिमाचल के लिये निश्चित किया गया था वह बहुत ही थोड़ा था। क्या माननीय मंत्री महोदय इस विशेष कारण से हिमाचल के लिये इस कोटे को अधिक बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

†**श्री दातार** : कोटा बढ़ाना कठिन है। मैं बता चुका हूं कि अभी यह हमारी आवश्यकताओं से कम है।

श्री पद्म देव : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि थोड़ा कोटा होते हुये भी इस कोटे को लेने वाले ठेकेदार होते हैं। ठेकेदारों के पास जब कभी पैसा होता है तब वह उसको लाने की कृपा करते हैं। थोड़ा होने के कारण उसके अन्दर कई प्रकार का भ्रष्टाचार भी होता है। क्या माननीय मंत्री इसके सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध करेंगे जिससे सरकारी तौर पर ही लोगों को यह कोटा मिल जाया करे ?

†**श्री दातार** : यदि इस विषय या सम्बन्ध में कुछ विशेष कठिनाइयां या शिकायतें हों तो उनकी हमें सूचना दी जाय। हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का पता लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को कुल कितनी लोहे की चादरों की जरूरत है और उसके कितने प्रतिशत की इस वक्त पूर्ति की जा रही है ?

†**श्री दातार** : नयी सड़कों और संचार के अन्य साधनों के निर्माण के कारण उनकी आवश्यकतायें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अपने उत्तर में मैं जो कठिनाइयां बता चुका हूं उनको ध्यान में रखते हुये हम कोटा नहीं बढ़ा सकते हैं।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता था कि कुल मांग कितनी है और उसके कितने अंश की पूर्ति अब तक हो पा रही है।

†**श्री दातार** : मुझे पता नहीं कि ठीक ठीक कितने परिमाण की आवश्यकता है।

†**श्री बोस** : कितने प्रतिशत कोटे का वास्तव में हिमाचल प्रदेश को संभरण किया जाता है ?

†**श्री दातार** : इसका मैं केवल यही उत्तर दे सकता हूं कि बहुत अधिक प्रतिशत अंश दिया जाता है—यहां मेरे पास निश्चित आंकड़े नहीं हैं।

कोरापट में लौह-अयस्क के निक्षेप

†*१०२२. **श्री संगण्णा** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २४ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापट के लौह अयस्क के निक्षेपों का उपयोग करने के लिये सरकार ने कुछ कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री संगण्णा** : क्या उस वर्ष में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जी, हां। भारत के भूतत्वीय परिमाप के निदेशक ने अपने विभाग की सहायता से इस क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण किया है लेकिन क्योंकि यहां लोहा काफी परिमाण में नहीं है इसलिये यह चलाये जाने योग्य नहीं है।

†**श्री संगण्णा** : पिछले सत्र में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि कोरापट जिले में लौह-अयस्क के निक्षेप हैं। उस और इस वक्तव्य में मेल कैसे बैठ सकता है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : कोरापट जिले में लौह अयस्क के निक्षेप हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में ये निक्षेप पाये जाते हैं वे रेल-केन्द्रों से बहुत दूरी पर हैं। साथ ही ये निक्षेप इतने काफी या अधिक नहीं हैं कि इनका उपयोग किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री संगण्णा:** क्या दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को यह खबर है कि वहां लौह-अयस्क उपलब्ध है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैं समझ नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह दण्डकारण्य के भार-साधक नहीं हैं । क्या माननीय सदस्य पुनर्वास मंत्रालय का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ?

†**श्री संगण्णा :** वहां उस सहयोग की भी आवश्यकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अच्छी बात है ।

†**श्री बोस :** क्या इस क्षेत्र के लोह-अयस्क का विश्लेषण किया गया है और इस का क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** भारत के भूतत्वीय परिमाप ने मुझे सूचना दी है कि कारापट के लौह-अयस्क निक्षेप न गुणों की दृष्टि से अच्छे हैं और न परिमाण की दृष्टि से अधिक हैं। विश्लेषण से बहुत ही मामूली परिणाम निकले हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह :** उस में कितना लोहा है ? हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस का उत्तर नहीं दिया जाता ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं बता चुका हूं कि गुणों की दृष्टि से वह बहुत मामूली है। यहां उन सभी पारिभाषिक शब्दों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे माननीय मित्र वही सब जानना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि वह नरम मिट्टी मिला लिमोनाइट . . . .

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या कुछ संख्या नहीं बताई जा सकती ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** कोई संख्या नहीं बताई जा सकती है क्योंकि मैं बता चुका हूं कि उस में मिट्टी युक्त लिमोनाइट, हेमेटाइट के विघटित अंश, मैग्नेटाइट के विघटीय अंश और इसी प्रकार के पदार्थ आदि मिले हुए हैं. . . . . (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उस में से कितनी अयस्क निकाली जा सकती है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** श्रीमन्, यह इतनी घटिया किस्म का है कि उस के संबंध में कुछ करने से कोई भी फायदा नहीं है। मेरे पास यही प्रविधिक राय है।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या इस जिले में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है कि यहां लौह-अयस्क के कितने संभावित निक्षेप हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मेरे पास यही प्रविधिक जानकारी है कि यहां के निक्षेपों को काफी या अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन, उस स्थान से ६ या ७ मील की दूरी पर कुछ बेहतर किस्म की अयस्क पाई जाती है, और यदि कोई उस का उपयोग करना चाहे तो कर सकता है। अनुमान है कि वहां १० लाख टन का निक्षेप है ।

†**श्री संगण्णा :** क्या उस क्षेत्र में कुछ और भी निक्षेप हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं बता चुका हूं कि उस जिले में कुछ सामान्य रूप से अच्छी किस्म की लौह-अयस्क उमरकोट और डोंगरी जैसे ५½ मील दूर स्थित स्थानों में उपलब्ध है। मेरे पास और ऐसी कोई सूचना नहीं है जो वहां के लौह-अयस्क निक्षेपों के बारे में उत्साहवर्धक प्रतीत हो सके।

†**श्री रंगा :** क्या यह संभव है कि कोई बाकायदा सर्वेक्षण न किया गया हो और उन के कुछ अफसर वहां गये हों और वहां की स्थिति के बारे में कुछ सामान्य विचार बना कर लौट आये हों ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

†**श्री सूपकार :** यह भूतत्वीय सर्वेक्षण किस समय किया गया था और इस में कितना समय लगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** सर्वेक्षण दलों के वहां जाने के संबंध में निश्चित कार्यक्रम और उन महीनों का ब्यौरा तो मेरे पास नहीं है परन्तु सामान्य नियम है कि ये दल वहां जाते हैं और अपना प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा करने के लिये चार या पांच महीने तक वहां ठहरते हैं। प्रधान कार्यालय में लौट कर ये अपना प्रतिवेदन देते हैं, और यदि उन में कोई उत्साहवर्द्धक बात दिखाई पड़ी तो उन्हें फिर उन स्थानों को भेज दिया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

संग्रहालय

†*१०१०. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि :

(क) अखिल भारतीय संग्रहालयों, राज्यों के प्रमुख संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों के संग्रहालयों के विकास के लिये केन्द्र ने किस सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) क्या कुछ राज्यों ने अपने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर अन्य संग्रहालयों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की योजना बनाई है, और यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) कलकत्ते के इंडियन म्यूजियम के सुधार और विकास के लिये ७८,१६६ रुपये मंजूर किये गये हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मद्रास और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने अपने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर के मुख्य-अन्य संग्रहालयों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की योजना बनायी है।

स्नेहन-तेल[1] का उत्पादन

†*१०१८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि भारत में स्नेहन तेल का उत्पादन करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी हो तो वह क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Lubricating Oil.

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : बिहार में बरौनी में जो तेल शोधनशाला की जा रही है उस में स्नेहन तेल के उत्पादन का प्रश्न विचाराधीन है। इस के अलावा देश में एक स्नेहन तेल उत्पादक कारखाने की स्थापना के लिये एक परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त करने का विचार है।

ग्राम्य संस्थायें

†*१०२३. **श्री वाजपेयी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य संस्थाओं में चलने वाले पाठ्य-क्रमों के स्तर का मूल्यांकन करने और यह राय देने के लिये कि क्या इन के डिप्लोमा को नौकरी के मामलों में विश्वविद्यालयों की प्रथम डिग्री के समकक्ष माना जा सकता है या नहीं, एक मूल्यांकन बोर्ड की स्थापना के बारे में अन्तिम रूप से कुछ निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के कौन-कौन से सदस्य हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां। यह समिति नियुक्त की गयी थी और इस ने सिफारिश की है कि नौकरी के प्रयोजन के लिये डिप्लोमा को डिग्री के समकक्ष मान लिया जाय।

(ख) १. श्री सी० वी० महाजन,
सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली। (**अध्यक्ष**)

२. श्री के० जी० सैयदेन,
सचिव,
शिक्षा मंत्रालय।

३. श्री आर० सी० दत्त,
संयुक्त सचिव,
गृह-कार्य मंत्रालय।

४. प्रो० एस० एन० बोस,
वाइस चांसलर,
विश्वभारती, शान्तिनिकेतन।

५. डा० ए० सी० जोशी,
वाइस चांसलर,
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।

६. श्री टी० एस० अविनाशीलिंगम
डाइरेक्टर,
श्री राम कृष्ण मिशन विद्यालय ग्राम्य संस्था, कोयम्बटूर।

७. श्री सी० पी० सिंह,
परामर्शदाता (शिक्षा)
सामुदायिक विकास मंत्रालय।

---

†मूल अंग्रेजी में

८. डा० एन० एम० जुगानकर,
शिक्षा उप परामर्शदाता,
शिक्षा मंत्रालय ।

कश्मीर विवरणिका[1]

†*१०२४. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर राज्य और वहां के निवासियों के बारे में ब्यौरेवार जानकारी देने के लिये कश्मीर विवरणिका के संकलन के सम्बन्ध में तैयारी आरम्भ हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र से कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : जी हां। जिला विवरणिकायें तैयार करने की एक योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार जम्मू तथा कश्मीर की राज्य सरकार को ५५,८९९ रुपये या राज्य द्वारा किये गये व्यय के ४० प्रतिशत अंश के बराबर, जो भी कम हो, सहायक अनुदान देने वाली है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

†*१०२५. **श्री त्यागी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रधान कार्यालय को, जो देहरादून में है, ज्वालामुखी और होशियारपुर जैसे छिद्रण-केन्द्रों से निकट सम्पर्क रखने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) प्रधान कार्यालय और कार्य-क्षेत्र के बीच संचार और यातायात के शीघ्रगामी संपर्कों की स्थापना के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों और देहरादून स्थित प्रधान कार्यालय के बीच संचार के संबंध में, विशेष रूप से उस समय जब कि देहरादून का छिद्रण के स्थानों से जोड़ने वाली टेलीफोन लाइनें खराब हो जाती हैं या प्राथमिकता वाले संवादवहन में व्यस्त रहती हैं, कुछ कठिनाई अवश्य होती है ।

(ख) टेलीप्रिंटर-सम्पर्क की स्थापना करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है । (१) तार सम्पर्क और (२) रेलवे पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों को प्राथमिकता देने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है ।

कालेज भवन निधि[2]

†*१०२६. **श्री राधा रमण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कालेज भर्ती होने वाले छात्रों से भर्ती के समय ३ से ५ रुपये तक रजिस्ट्रेशन फीस और खासी अच्छी रकम कालेज भवन निधि में वसूल करते हैं; और

---

†**मूल अंग्रेजी में**

[1]Kashmir Gazetteer.
[2]College Building Fund.

(ख) क्या इसे सरकार का अनुमोदन प्राप्त है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७२]

(ख) सरकार से पहले से कोई अनुमोदन नहीं प्राप्त किया गया था।

भूमि सीमा-शुल्क विभाग

†*१०२७. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि सीमा-शुल्क विभाग के दो अधिकारी १२ जुलाई, की रात को पूर्व रेलवे के सियालदा डिवीजन में सियाल्दा को जाने वाली अन्तिम बनगांव लोकल गाड़ी में चढ़े थे और इस संदेह में अचानक गाड़ी की तलाशी लेना और जांच करना चाहते थे कि उस गाड़ी से बड़ी तादाद में सुपारी चोरी से ले जायी जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त गाड़ी के गार्ड ने उन दोनों सीमाशुल्क अधिकारियों का यह अनुरोध मानने से इन्कार कर दिया कि वह तलाशी लेने के लिये गाड़ी को रोक दे;

(ग) क्या इस के बाद तस्कर-व्यापारियों ने दोनों अधिकारियों को पकड़ कर मारा-पीटा, और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). बनगांव-कलकत्ता (सियाल्दा) लोकल ट्रेन से बड़े पैमाने पर सुपारी के तस्कर व्यापार की खबर पाकर सीमा-शुल्क विभाग के दो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सादे लिबास में १२ जुलाई, १९५८ को उपर्युक्त ट्रेन पर सवार हुए। योजना यह थी कि गाड़ी को बारकपुर के हाल्ट स्टेशन पर रोक दिया जाय जहां पूरी तलाशी लेने के लिये सीमा-शुल्क कर्मचारियों का मुख्य दस्ता पहले से ही तैनात कर दिया गया था। लेकिन गार्ड ने वहां गाड़ी रोकने से इंकार कर दिया। लेकिन, उस स्टेशन से लगभग २ मील आगे जा कर कुछ उपद्रवियों ने, जिन के बारे में यह सन्देह किया जाता है कि वे सुपारी के तस्कर व्यापारी थे, गाड़ी को जबरदस्ती रोक दिया। सादे लिबास वाले दोनों अधिकारियों पर आक्रमण किया गया। बारकपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करने वाला मुख्य दस्ता ट्रेन को वहां न रुके देख कर अगले स्टेशन की ओर चला और गाड़ी को रुकवा पकड़ने के लिये समय रहते वहां पहुंच गया। वह कुछ नाजायज सुपारी बरामद करने और कुछ लोगों को हिरासत में लेने में भी सफल रहा। उपयुक्त पुलिस और रेलवे अधिकारियों के परामर्श से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।

(घ) गार्ड के आचरण की भी जांच की जा रही है।

विदेशों में प्रविधिक कर्मचारी

†*१०२८. **श्री बि० दास० गुप्त :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि :

(क) वैज्ञानिक और प्रविधिक अर्हताओं वाले कितने भारतीय इस समय विदेशों में कार्य कर रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक देश में उन की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या कभी उन्हें भारत में नौकरी देने का आश्वासन दे कर यहां आने के लिये कहा गया है; और

(घ) यदि नहीं तो क्यों ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७३]**

(ग) और (घ) यह मामला विचाराधीन है और कुछ निश्चय किये गये हैं।

दुर्गापुर का इस्पात कारखाना

†*१०२९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री बि० दास गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री कुन्हन :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दुर्गापुर में इस्पात के कारखाने के निर्माण में लगी फर्म द्वारा नौकरी देने के मामले में स्थानीय लोगों के प्रति किये जाने वाले भेदभाव की कोई खबर मिली है; और

(ख) इसे दूर करने के लिय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). सरकार को तो स्थानीय लोगों के प्रति पक्षपात किये जाने की कोई खबर नहीं मिली लेकिन इस आशय की एक अखबारी खबर की ओर मेरा ध्यान गया है। इस की जांच की गयी थी। यह विश्वास करने के लिये मेरे पास कोई कारण नहीं है कि दुर्गापुर के निर्माण कार्य में लगी फर्म ने स्थानीय लोगों के प्रति भेदभाव किया है।

एम० ई० एस० के ठेके

†*१०३०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय ठेका करार का उल्लंघन कर एम० ई० एस० में लाभप्रद कामों के संबंध में हेर-फेर कर ठेके दे दिये जाते हैं; और

(ख) क्या कानपुर एम० ई० एस० में इस प्रकार की घटना होने की सूचना मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) हेर फेर कुछ ऐसी बातों के कारण करनी पड़ती है जिन का टेंडर संबंधी कागजात जारी करते समय पता नहीं रहता। हेर फेर करते समय 'लाभप्रद' या 'घाटे वाली' मदों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

(ख) और (ग). हाल ही में एक गुमनाम पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि ठेकेदार के फायदे के लिये कुछ अस्थायी इमारतों को रंगने के स्थान पर उन पर प्लास्टर चढ़ाया जा रहा है। इस मामले की जांच हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उच्चन्यायालयों में छुट्टियां

†*१०३१. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३० जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय की छुट्टियां कम करने के प्रश्न पर विचार के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) किन-किन उच्च न्यायालयों ने इस अनुरोध पर अनुकूल उत्तर दिया है और वह किस सीमा तक अनुकूल है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में १९५७ और १९५८ में उच्च न्यायालयों के काम के दिन दिखाये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७४]** इस से यह प्रगट हो जायेगा कि १९५७ की तुलना में सभी उच्च न्यायालयों में १९५८ में काम के दिनों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

"भारतीय लेखकों की परिचयावली"[1]

†*१०३२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ६ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भारतीय लेखकों की परिचयावली" तैयार करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कब तक प्रकाशित हो जायेगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्रीहुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). पूर्विष्टियों की फिर से जांच और सम्पादन किया जा रहा है। प्रस-कापी दिसम्बर १९५८ तक तैयार होने और प्रकाशन १९५९ में हो जाने की आशा है ।

प्रधान मंत्री द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की वर्कशाप का दौरा

†*१०३३. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग के भू-भौतिकीय वर्कशाप में प्रधान मंत्री के दौरे का विवरण देने के लिये विभिन्न समाचारपत्रों के संवाददाताओं को आमंत्रित किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें वर्कशाप में घुसने से रोक दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्यों; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि संवाददाताओं ने इस विषय पर एक संकल्प स्वीकार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]"Who is Who of Indian Writers"

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग). देहरादून में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में प्रधान मंत्री के आगमन के समय, सदा की भांति विभिन्न समाचार-पत्रों और ऐजेंसियों के संवाददाताओं को आयोग के विभिन्न भवनों के, जिन में भू-भौतिकीय वर्कशाप भी शामिल है, प्रवेश-पत्र दिये गये थे। इस संबंध में वहां होने वाले कार्य को देखने के लिये भी सारी सुविधायें प्रदान की गयी थीं। केवल एक कमरे के संबंध में, भू-भौतिकीय वर्कशाप के संबंध में नहीं, जहां गोपनीय प्रकार का कार्य होता है, उन से कहा गया था कि वे उस में जाने का आग्रह न करें।

(घ) जी हां।

यूरोप से युद्धोपकरण की खरीद

†*१०३४. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भोगजी भाई :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हाल ही में एक यूरोपियन फर्म से युद्धोपकरण खरीदा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि युद्धोपकरण को दोषपूर्ण पाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सौदे के फलस्वरूप कितना घाटा हुआ है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). १९५२-५३ में एक यूरोपियन फर्म से खरीदे गये कुछ युद्धोपकरणों के दोषपूर्ण होने का संदेह था। इसलिये जांच आरम्भ की गयी थी और वह अभी चल रही है।

दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के लिये भारत प्रशासन सेवा की संयुक्त पदालि

†*१०३५. श्रीमती इला पालचौधरी: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारत प्रशासन सेवा की एक अलग पदालि बनाने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कब तक अंतिम निर्णयि होने की संभावना है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) और (ग). दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिये भारत प्रशासन सेवा और भारत पुलिस सेवा की संयुक्त पदालियां बनाने का निर्णय अंतिम रूप से हो गया है।

(ख) दोनों संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये भारत प्रशासन सेवा और भारत पुलिस सेवा की संयुक्त पदालियां इसलिये बनायी जा रही हैं जिस से कि भारत प्रशासन सेवा तथा भारत पुलिस सेवा के अधिकारियों का एक अलग रक्षित पूल रहे जो कि हिमाचल प्रदेश/दिल्ली प्रशासनों को सरलता से उपलब्ध हो सके और इन प्रशासनों को अन्य राज्यों पर इस बात के लिये निर्भर न रहना पड़े कि वे अपने अधिकारियों को अल्पकालीन अवधि के लिये प्रतिनियुक्त करें तथा जिससे उन प्रशासनों को दक्षता के उच्चतर स्तरों पर लाया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाल कल्याण

†*१०३६. **श्री कोडियान:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल कल्याण संवर्धन के लिये कोई विशेष योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७५]**

विज्ञान-संवर्धन के लिये भारतीय सन्था[1], कलकत्ता

†*१०३७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान-संवर्द्धन के लिये भारतीय संथा, कलकत्ता, पूर्णत: सरकारी निधि से ही चलती है ;

(ख) इस सन्था को प्रतिवर्ष कितना केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है ;

(ग) क्या सन्था की १९ अगस्त, १९५८ की विशेष साधारण बैठक में इस प्रस्ताव के रद्द हो जाने पर कि समीक्षा समिति नियुक्त की जाये, सन्था के प्रधान ने स्तीफा दे दिया है ;

(घ) यह विनिश्चित करने के लिये कि सन्था को दिये गये अनुदान को उचित रूप से खर्च किया जाता है, क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सन्था को १९५६–५७ में ९,८८,००० रुपयों का अनुदान दिया गया था और १९५७–५८ में ६,९९,५०० रुपयों का ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सरकार कुछ व्यक्तियों को प्रशासन परिषद् तथा वित्त समिति में मनोनीत करती है, तथा यथोचित अर्हता प्राप्त लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षित लेखों का विवरण मंगाती है, और एक ऐसा प्रमाणपत्र भी मंगाती है कि जिन प्रयोजनों के लिये अनुदान दिया गया था वे उन्हीं के लिये खर्च किये गये हैं । इसके अतिरिक्त सन्था के लेखों की भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षा द्वारा भी जांच-परीक्षा की जा सकती है ।

स्टेनलेस स्टील

†*१०३८. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २१ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में स्टेनलेस स्टील बनाने के लिये एक बड़ा संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार ने अन्तिम विचार कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indian Association for the cultivation of science.

(ख) यदि हां, तो उसे कहां बनाये जाने की संभावना है ; और

(ग) उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा उसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) इस प्रकार के एक बड़े संयंत्र की स्थापना सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं किया गया क्योंकि पहिले यह विनिश्चय करने का प्रस्ताव रखा गया है कि क्या भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित एलाय स्टील संयंत्र में १०० टन स्टेनलेस स्टील बनाने का परीक्षण सफल होता है अथवा नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मध्य क्षेत्रीय परिषद्

†*१०३९. श्री वि० च० शुक्ल :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री १७ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८९ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र परिषद् की ४ जनवरी १९५८ की बैठक में नियुक्त की गई उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिससे रिहांड परियोजना से मध्य प्रदेश को जल तथा बिजली देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो ये सिफारिशें किस प्रकार की हैं ;

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) मातातिला बांध से मध्य प्रदेश को पानी देने के लिये नहरें बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) माता तिला बांध से मध्य प्रदेश की २५० मील लम्बी कुल नहर में से अभी तक ३६ मील लम्बी भांडर नहर बनाई जा चुकी है ।

वरिष्ठ सेवा समिति

†*१०४०. श्री श्रीनारायण दास :
श्री वाजपेयी :
श्री एन्थनी पिल्ले :
श्री जाधव :
श्री गोरे :

क्या वित्त मंत्री ७ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की वरिष्ठ सेवा समिति की रिपोर्ट पर अब तक अन्तिम रूप से विचार किया जा चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) लाल समिति की रिपोर्ट में अधिकारियों को अलग-अलग सूचियों में वर्गीकृत किया गया है जिन में २७४ अधिकारियों के नाम प्रशासकीय कर्मकचारी वर्ग में और २८३ अधिकारियों के नाम विकास पक्ष में शामिल किये गये हैं। सूक्ष्म परीक्षण तथा जीवन बीमा निगम से परामर्श कर लेने के बाद इन सभी अधिकारियों को समुचित वेतनक्रमों में उपयुक्त पदों पर रख दिया गया है । प्रत्येक वेतन क्रम की पारस्परिक वरिष्ठता लाल कमेटी की उपपत्तियों के आधार पर निश्चित कर दी गई है ।

बुनियादी शिक्षा

*१०४१. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी शिक्षा का साहित्य निर्माण करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस दिशा में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क)से (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७६**] ।

कैम्बे के निकट तेल के लिये छिद्र करना

†*१०४२. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २० मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से रूस से छेद करने वाला दल (ड्रिलिंग पार्टी) आ गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई राज्य के पास कैम्बे में तेल के लिये खुदाई का काम चालू हो गया है ; और

(ग) अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) १ सितम्बर, १९५८ को १६०० मीटर की गहराई तक छिद्र किया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैनिकों के लिये मकान

†*१०४३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री ९ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २११९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिकों के लिये मकान बनाने की उस योजना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है जिनमें सैनिक स्वयं श्रमदान करेंगे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : २६-४-१९५८ को अम्बाला में आवास स्थान बनाने की परियोजना को प्रशासकीय तौर पर मंजूर कर लिया गया था। इस परियोजना का काम २६-५-५८ को शुरू हुआ था। १२०० क्वाटर बनाने का काम शुरू किया गया है और इसमें संतोषप्रद प्रगति हुई है। शेष २५० क्वाटरों के शीघ्र ही शुरू होने की आशा की जाती है।

भारत का राज्य बैंक

†*१०४४ { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य बैंक के एकों के पाकिस्तान में अपना कार्य संचालन के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से कोई करार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस करार के अधीन कितनी और किन किन शाखाओं को काम करने दिया जायेगा ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: (क) से (ग). कराची, नारायनगंज और चिटगांव की शाखाओं के अतिरिक्त पाकिस्तान के राज्य बैंक ने भारत के राज्य बैंक की लाहौर और ढाका शाखाओं को अनिश्चित काल के लिये अपना काम चलाने देने का हाल ही में निर्णय किया है। यह निर्णय भारत के राज्य बैंक के आवेदन के फलस्वरूप हुआ है अतएव अन्तर्सरकारी करार के औपचारिक रूप से किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा संगठन समिति

†*१०४५. { **श्री वाजपेयी** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा संगठन समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देर के क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: समिति ने अभी तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस समिति को २ फरवरी, १९५७ को बनाया गया था और उससे यह कहा गया था कि वह अपनी नियुक्ति की तारीख से ९ महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश कर दे। परन्तु जब उसकी विभागीय तथा सार्वजनिक प्रश्नावलि के उत्तरों से यह पता चला कि समिति को

†मूल अंग्रेजी में

सीमा शुल्क की समस्याओं की उससे अधिक ब्यौरेवार छानबीन करनी होगी जिसके बारे में मूल रूप से दृष्टिपात करना जरूरी था, उसकी कालावधि ३१ अक्तूबर, १९५८ तक बढ़ा दी गई। ऐसी आशा है कि समिति उस तारीख तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। फिर भी समिति समय समय पर प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों पर अन्तरिम सुझाव देती रही है और सरकार ने उन में से अधिकांश के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर ली है।

इस्पात पुनर्बलन मिलें

†*१०४६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री प्र० के० देव :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में शीघ्र ही इस्पात पुनर्बलन की मिलें स्थापित की जाने वाली हैं ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा उनमें किन स्थानों पर मिलें खोली जायेंगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). सरकार ने आसाम, आंध्र, केरल तथा (गंगा के उत्तर में) बिहार में एक एक नया एकक खोलना मंजूर कर लिया है। एक मिल आंध्र में विशाखापट्नम तथा दूसरी आसाम में खोलने का निर्णय पहिले ही मंजूर हो चुका है। बिहार तथा केरल के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

महा लेखा परीक्षक तथा महा लेखापाल का कार्यालय

†*१०४७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय किया है कि महालेखापाल तथा महालेखापाल के कार्यालयों को राज्य सरकारों के मुख्यालयों में स्थापित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसके अनुसरण के लिये क्या कार्यवाही की जा चुकी है ; और

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) सम्बन्धित राज्य सरकारों के सचिवालय जिन स्थानों पर हैं उन्हीं स्थानों पर महालेखापाल के कार्यालय स्थापित करने की सामान्य नीति है।

(ख) आजकल राज्य सरकारों के परामर्श से इस नीति को अमल में लाया जा रहा है और केवल चार कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय राज्यों के मुख्यालयों में ही स्थित हैं।

(ग) जिन चार कार्यालयों को अभी तक राज्यों के मुख्यालयों में नहीं रखा गया, उन्हें यथासमय वहां बदल दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैलम लौह अयस्क

†*१०४८. **श्री सुब्बया अम्बलम् :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २८ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के सैलम से प्राप्त होने वाले लौह अयस्क के नमूनों की राष्ट्रीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर, द्वारा की गई परीक्षा के नतीजे की रिपोर्ट आ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट कैसी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). अभी तक सैलम मेगनेटाइट के निम्नलिखित पहलुओं पर राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला में जांच की गई है और इन जांचों से सम्बन्धित रिपोर्टों की प्रतियां सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं :—

(१) निम्नस्तर के कच्चे लोहे का अभिशोधन[1] ।

(२) अयस्क की प्रह्रास्यता[2] ।

(३) निम्न स्तरीय अयस्क से उत्पन्न चुम्बकीय संकेन्द्रण[3] का संपुन्जन[4] अध्ययन ।

भाषायें सीखने की तकनीक

†*१०४९. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री दामानी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्टीट्यूट आफ एज्यूकेशन, लंदन के शिक्षा के प्रोफेसर डा० सी० गेटेनो को भारत सरकार ने उनकी उस तथाकथित तकनीक के सम्बन्ध में भाषण देने के लिये आमंत्रित किया है जिसके द्वारा कोई भी आदमी किसी भी भाषा को दस दिन में सीख सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या कार्यक्रम है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) डा० गेटेनी, अपनी व्यक्तिगत हैसियत से भारत आये थे और नई दिल्ली में उनकी उपस्थिति का फायदा उठाकर सरकार ने उन लोगों के लिये जो शिक्षा के इस पहलू में रुचि रखते हैं, उन से उनकी उस तकनीक का प्रदर्शन करने की प्रार्थना की थी जिससे एक ध्वन्यात्मक भाषा थोड़े ही समय में लिखना और पढ़ना सीख सकता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रविधिक जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकतायें

†*१०५०. **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री दामानी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि और तृतीय पंचवर्षीय योजना की

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Beneficiation. [2]Reducibility. [3]Magnetic Concentrate. [4]Sintering.

अवधि के लिये तेल तथा प्राकृतिक गेस आयोग से उसकी प्रविधिक जनशक्ति की आवश्यकतायें बतलाने वाली कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें बताई गई आवश्यकता क्या हैं ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में स्थापना के लिये प्रस्तावित दो तेल परिष्करणियों के लिये प्रविधिक कर्मचारियों की इसी प्रकार की रिपोर्ट सरकार के सलाहकार मेसर्स फास्टर ह्वीलर्स से प्राप्त हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सलाहकार द्वारा बताई गई आवश्यकता कितनी है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** :(क) जी, हां ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गेस आयोग के भूतत्वीय, भूवार्षिकी, छिद्रण और इंजीनियरिंग निदेशालयों की प्रविधिक जनशक्ति की आवश्यकताओं को बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सख्या ७७]**

(ग) और (घ). जी, हां । मेसर्स फास्टर ह्वीलर्स ने भी गोहाटी परिष्करणी चलाने के लिये आवश्यक परिष्करणी के कर्मचारियों की सूची वाली एक रिपोर्ट भेजी है (जिनकी कुल संख्या ४५० में से लगभग २२४ प्रविधिक कर्मचारी हैं)। सलाहकार की बरौनी परिष्करणी सम्बन्धी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई ।

संगीत नाटक अकादमी

†*१०५१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगीत नाटक अकादमी अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करती ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). अभी तक कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई परन्तु अकादमी समय समय पर बुलेटिन निकालती रही है और चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले वह १९५३–५८ की अवधि के लिये अपनी एक पंचवर्षीय रिपोर्ट निकालने का विचार कर रही है । यह आशा की जाती है कि अकादमी उसके बाद अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित किया करेगी ।

नेपाल को भारतीय सहायता

†*१०५२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री २० दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८६ के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल सरकार को उसकी विकास योजनाओं के निष्पादन के लिये दी जाने वाली सहायता में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : अपेक्षत जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली प्रशासन को वित्तीय सहायता

†*१०५३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगरपालिका निगम की वित्तीय सहायता की जरूरत का निर्धारण करने के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था ;

(ख) क्या इस अधिकारी ने भारत सरकार को कोई रिपोर्ट भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) अभी तक नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

होशियारपुर के निकट तेल के लिये छिद्र करना[1]

†*१०५४ { **श्री वाजपेयी :**
श्री प्र० के० देव :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होशियारपुर के निकट बथुला में तेल के लिये छिद्र करने का काम शुरू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके नतीजे क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) जी हां । होशियारपुर के निकट बथुला में छिद्रण का कार्य ६ जून, १९५८ को शुरू किया गया था ।

(ख) २९ अगस्त तक २१९२ मीटर तक छिद्रण हो चुका है ।

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का स्थायी किया जाना

१६३२. **श्री पद्म देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग के बहुत से पदों को स्थायी नहीं किया गया है ; और

(ख) जब प्रादेशिक कर्मचारी प्रादेशिक परिषद के अधीन आयेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी, अर्थात् क्या उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह निवृत्ति-वेतन मिलेगा अथवा उन पर जिला बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम लागू होंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां, इन मुहकमों में बहुत से अस्थायी पद हैं जिन्हें स्थायी नहीं बनाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Drilling Operations

(ख) शायद माननीय सदस्य का मतलब हिमाचल प्रदेश के उन कर्मचारियों से है जिनका तबादला टेरिटोरियल कौंसिल में हो गया है। यदि ऐसा है, तो इसके लिये टैरिटोरियल कौंसिल एक्ट तथा उसके मातहत बनाये गये नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि तबादला किये गये सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में, केन्द्रीय सरकार की पहले मंजूरी लिये बिना, कोई ऐसी तबदीली नहीं की जायेगी जिससे उनके हितों को हानि पहुंचे। इन कर्मचारियों को पेन्शन देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है जो उन्हें प्रशासन के आधीन नौकरी करते रहने पर मिलती।

त्रिपुरा की सीमा बंदी

†१६३३. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा की सीमा बन्दी और भूमि के सामान्य सर्वेक्षण के काम में जो लोग लगे हुये हैं उनकी कुल संख्या क्या है ;

(ख) क्या उन्हें सौंपे गये इस कार्य के लिये कोई विशेष मासिक भत्ता दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ऐसा बताया गया है कि सामान्य भूमि सर्वेक्षण में ४५४ लगे हैं। इसके अतिररक्त पिछले खुले मौसम में भारत-पाक सीमा बंदी करने के काम में २७ आदमी लगे हुये थे।

(ख) सामान्य भू-सर्वेक्षण कार्य में इन लोगों को कोई भत्ता नहीं दिया जा सकता। सीमा बन्दी के लिये दिया जाने वाला यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा वह विशेष वेतन जो विभिन्न वर्ग के अधिकारियों को मिलता है, उसे बतलाने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७९]**

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

यात्रा भत्ता

†१६३४. **श्री वाजपेयी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री, २४ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में प्रत्येक मंत्री द्वारा जो राशि यात्रा तथा अन्य भत्तों के रूप में ली गई है उससे सम्बन्धित जानकारी अब तक एकत्रित हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे पटल पर रखा जायेगा।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का अधिकांश भाग एकत्रित हो चुका है। चालू सत्र में उसे सभा पटल पर रखना सम्भव हो सकेगा।

द्वितीय आम चुनावों की रिपोर्ट

†१६३५. **श्री हेम राज :** क्या **विधि** मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न सख्या १०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि क्या निर्वाचन आयुक्त ने दूसरे आम चुनावों की कोई रिपोर्ट पेश की है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) :** जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का रक्षण

†१६३६. **श्री सिदव्या :** क्या गृह-कार्य मंत्री ३ मार्च १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी नौकरियों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध है और क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** अब तक प्राप्त जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८०]** शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई में माध्यमिक शिक्षा

†१६३७. **श्री पांगरकर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५८–५९ में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिये बम्बई सरकार ने कितनी योजनायें भेजी हैं ;

(ख) क्या इनमें से कोई योजना मंजूर की गई है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये बम्बई को कितना रुपया दिया गया है अथवा दिये जाने का प्रस्ताव है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) दस।

(ख) जी, हां।

(ग) ४७,६२३ लाख रुपये देने का प्रस्ताव है।

बम्बई की क्रीडा संस्थायें[1]

†१६३८. **श्री पांगरकर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५७–५८ और १९५८–५९ में बम्बई राज्य की क्रीड़ा संस्थाओं को अनुदान की कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) जिन क्रीड़ा सन्थाओं को ये अनुदान दिये गये हैं, उनके नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** अनुदान केवल अखिल भारतीय क्रीड़ा संघ को दिये जाते हैं राज्य क्रीड़ा संस्थाओं को नहीं। इसलिये बम्बई राज्य की क्रीड़ा संथाओं को कोई अनुदान नहीं दिया गया फिर भी बम्बई राज्य में जिन अखिल भारतीय क्रीड़ा संघों/संथाओं के मुख्यालय हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उनकी गतिविधियों के लिये अनुदान दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत प्रशासन सेवा और भारत पुलिस सेवा

†१६३९. **श्री पांगरकर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में सीधी भर्ती के द्वारा सन् १९५७–५८ में कितने भारत प्रशासन सेवा और भारत पुलिस सेवा के अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sports Associations

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :

भारत प्रशासन सेवा	.	६
भारत पुलिस सेवा		७

आश्रम विद्यालय

†१६४०. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में आदिम जाति के बच्चों के लाभ के लिये बम्बई में आश्रम विद्यालय खोलने के लिये कितना अनुदान दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: १९५७–५८ में आदिम जाति के बच्चों के लिये आश्रम विद्यालय खोलने के हेतु बम्बई को ४.६० लाख रुपयों की राशि अनुदान में दी गई थी ।

राजस्थान के बहु प्रयोजनीय स्कूल

†१६४१. **श्री ओंकारलाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में राजस्थान में बहुप्रयोजनीय स्कूल खोलने के लिये प्रत्येक ज़िले के लिये अनुदान की कितनी राशि मंजूर की गई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : नयी प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों को उनकी योजनाओं को कार्यान्विति करने के लिये वित्त मंत्रालय द्वारा "अर्थोपाय अग्रिमों" के रूप में अनुदान दिये जाते हैं । इस प्रकार मई, १९५८ से प्रारम्भ होने वाली ९ बराबर बराबर किस्तों में कुल राशि का तीन चौथाई भाग दिया जायेगा । अन्तिम भाग जनवरी, १९५९ में दिया जायेगा । अनुदान ज़िलों के अनुसार नहीं दिया जाता ।

राजस्थान में खेलकूद

†१६४२. **श्री ओंकारलाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकुमारी खेल-कूद प्रशिक्षण योजना निधि में से राजस्थान को खेल-कूद का विकास तथा संवर्धन करने के लिये अब तक कितनी राशि दी गई है ;

(ख) किन-किन खेल-कूद संगठनों को यह राशि दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) . राजकुमारी खेलकूद प्रशिक्षण योजना इस प्रकार की कोई वित्तीय सहायता राज्यों के खेल-कूद संगठनों को नहीं देती । राजस्थान में खेल-कूद विकास और संवर्धन के लिये योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षकों[1] तथा राजस्थान में आयोजित विभिन्न खेल-कूद प्रशिक्षण शिवरों के खर्च के रूप में सहायता दी गई है । अभी तक आयोजित खेल-कूद प्रशिक्षण शिविरों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८१]** । इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षकों की नियुक्ति विभिन्न राज्यों में किये जाने वाले शिविरों के लिये आवश्यक सेवा-अवधि के आधार पर की जाती है अतएव उन पर राजस्थान के शिविरों की अवधि में जो खर्च हुआ है उससे सम्बन्धित आंकड़े बताना कठिन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Coach

राजस्थान के स्मारक

†१६४३. **श्री ओंकारलाल** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २४ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६८९ के उत्तर के सम्बन्ध में एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें सन् १९५८–५९ के लिये राजस्थान के राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक के संरक्षण के लिये अलग से जो राशि रखी गई है उसका ब्यौरा दिया हो ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : लोक-सभा के पटल पर एक ऐसा विवरण रखा जाता है जो उक्त प्रश्न के उत्तर में दिये गये आश्वासन को भी पूरा करता हो [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ८२**]

राजस्थान के बहुप्रयोजनीय स्कूल

†१६४४. **श्री ओंकारलाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में इस समय जिलावार कुल कितने बहुप्रयोजनीय स्कूल चल रहेहैं ; और

(ख) १९५८–५९ में जिलावार इस प्रकार के कितने स्कूल खोले जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

अजमेर . .	२
जयपुर . . .	११
बीकानेर .	६
जोधपुर	८
उदयपुर . . .	७
कोटा	४
कुल	३८

(ख) दो ; जिलावार संख्या ज्ञात नहीं है ।

राजस्थान के स्मारक

†१६४५. **श्री ओंकारलाल** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान राज्य के प्रत्येक ऐसे स्मारक के, जो कि केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन हैं, परिरक्षण और सुधार के लिये १९५७–५८ में कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा काल सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

पब्लिक स्कूल

†१६४६. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में प्रत्येक पब्लिक स्कूल के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : कुछ भी नहीं ।

पंजाब में आयकर की बकाया

†१६४७. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५८ को पंजाब में जिलावार आयकर की कितनी राशि बकाया थीं ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सख्या ८२**]

भूतपूर्व सैनिक मंत्रणा समिति

†१६४८. **श्री राम कृष्ण :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक ऐसी भूतपूर्व सैनिक मंत्रणा समिति स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है जिसमें भूतपूर्व सैनिक भी सम्मिलित हों ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) उस समिति की रचना कैसी होगी और उसके क्या-क्या कार्य होंगे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) सरकार भूतपूर्व सैनिकों से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं के बारे में कई योजनाओं पर विचार कर रही है । क्योंकि समस्यायें बहुत बड़ी और अधिक उलझी हुई हैं ; इसलिये योजनाओं को अन्तिम रूप देने में अभी कुछ समय लगेगा । सरकार की हिदायतों के अनुसार नियुक्त की किसी भी समिति द्वारा अथवा किसी और माध्यम से प्राप्त परामर्श का स्वागत किया जायेगा और उस पर सरकार अवश्य विचार करेगी ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इंजीनियरों की सेवा निवृत्ति

†१६४९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य नियमों के अनुसार आगामी तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कितने इंजीनियरों को सेवा से निवृत्त कर दिया जायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने निवृत्ति प्राप्त इंजीनियर एक, दो और तीन वर्षों से अधिक समय से सरकारी सेवा कर रहे हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी, बंगलौर

†१६५०. श्री डी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी, बंगलौर की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) उसमें कितने प्रकार की मशीनें तैयार की जाती हैं ;

(ग) क्या वहां पर तैयार की गयी किसी मशीन का निर्यात भी किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मशीनों का निर्यात किया गया है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्णा मेनन): (क) से (घ) . यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

गांजे का तस्कर व्यापार

†१६५१. श्री विभूति मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैपाल से भारत में चोरी से लाया गया गांजा हाल के महीनों में बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) : (क) यह सच है कि नेपाल से भारत में चोरी छिपे गांजा लाया जा रहा है और १९५७–५८ में इस प्रकार लाया गया ४३४ मन गांजा पकड़ा गया ।

(ख) गांजे के अवैध व्यापार को रोकने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों पर है, पर केन्द्रीय सरकार, अपने मादक द्रव्य विभाग (नारकाटिक्स डिपार्टमेंट) द्वारा राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क बनाये रखती है । नेपाल से भारत में चोरी-छिपे गांजे का लाया जाना रोकने के लिये बहुत से उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं । इनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण ये हैं : ––

(१) उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा की उन जगहों पर, जहां से आसानी से चोरी-छिपे माल लाया जा सकता है, तथा राज्य के भीतर के महत्व-पूर्ण स्थानों पर भी इस अवैध व्यापार को रोकने के लिये बहुत से दस्ते तैनात कर रही है ।

(२) बिहार सरकार ने नेपाल की सीमा पर कई जांच चौकियां स्थापित की हैं और तेज गाड़ियों वाले गश्ती दस्ते तैनात कर दिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा पर नियुक्त नियमित आबकारी कर्मचारियों के काम में तालमेल पैदा करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने आबकारी सूचना का एक नया विभाग खोला है ।

(४) मादक द्रव्य विभाग (नारकाटिक्स डिपार्टमेंट) राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क बनाये हुये हैं और उसने चोरी-छिपे गांजे का लाया जाना रोकने के उपाय सुझाने के लिये उस क्षेत्र में काम करने वाले पुलिस और आबकारी अधिकारियों के सम्मेलन भी समय-समय पर किये हैं ।

(५) चोरी-छिपे माल का आना रोकने के उपायों को और भी मजबूत करने के लिये भारत सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों का एक उच्चस्तरीय सम्मेलन करने का भी विचार है ।

दिल्ली में परती भूमि

१६५२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में परती भूमि कितनी है ; और

(ख) ग्राम सभा की कितनी परती भूमि है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) १,३६,८६८ एकड़ ।

(ख) ६३,५६३ एकड़, लेकिन इसमें उन ५२ गांवों की परती भूमि शामिल नहीं है जो शहरी इलाक़ों में हैं ।

जीवन बीमा निगम की पालिसियों पर बोनस

†१६५३. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा बोनस वाली पालिसियों पर पिछली बार बोनस कब घोषित किया गया था ; और

(ख) जीवन बीमा निगम का कुल बोनस कितना है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) जीवन बीमा निगम ने अभी तक लाभ सहित पालिसियों पर बोनस घोषित नहीं किया है । प्रथम बोनस की घोषणा ३१ दिसम्बर, १९५७ को निगम की आस्तियों तथा दायित्वों के मूल्यांकन पर आधारित होगी जिसके बारे में आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ।

(ख) जीवन बीमा निगम नियम के अनुसार इस बात के लिये बाध्य नहीं है कि वह एक अलग बोनस निधि, रखे । सम्पूर्ण जीवन बीमा निधि जीवन पालिसी धारियों के लिये प्रतिभूति के रूप में है । ३१ दिसम्बर, १९५७ को इस निधि में कितनी राशि थी, यह बात तभी पता लग सकेगी जब कि उस दिन तक के खाते तैयार कर लिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये असिस्टेंट कमिश्नर

†१६५४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सिदय्या :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ज़ोनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये असिस्टेंट कमिश्नरों के रिक्त स्थान भर दिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि बचत के ख्याल से ये नियुक्तियां न की जायें ।

महू सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र

१६५५. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न देशों के कितने पदाधिकारियों ने १९५४ से अब तक प्रत्येक वर्ष में महू सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): महू मिलिटरी ट्रेनिंग सेन्टर से मुराद शायद इन्फेण्ट्री स्कूल महू से है । अभारतीय प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आंकड़े यह हैं :—

१९५४	६
१९५५	४
१९५६	८
१९५७	१०
१९५८	६

जिन का पांच वर्षों में कुल जोड़ ३४ हुआ ।

प्रत्येक देश से आये प्रशिक्षणार्थियों के अलग-अलग आंकड़े या संबद्ध पक्षों की पूर्व अनुमति के बगैर देशों के नाम प्रकट करना जनहित में नहीं होगा ।

केन्द्रीय आदिमजाति कल्याण मंत्रणा बोर्ड

१६५६. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५८–५९ के लिये केन्द्रीय आदिमजाति कल्याण मंत्रणा बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस में संसद् के कौन कौन से सदस्य लिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) । (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में जारी किये गये प्रस्ताव की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८३]** ।

भारत में विदेशी विद्यार्थी

१६५७. श्री अमर सिंह डामर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों के कितने छात्र इस समय भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) ये विद्यार्थी किन-किन देशों के हैं तथा भारत में किन-किन स्थानों पर विद्याध्ययन कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन जुलाई, १९५८ में ७३५ विदेशी छात्र भारत में अध्ययन कर रहे थे । प्राइवेट छात्रों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जिन स्थानों पर ये विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे, उन के नामों का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८४]** ।

विदेशी भाषाओं का विद्यालय

१६५८ { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी भाषाओं के विद्यालय में इस समय कुल कितने व्यक्ति शिक्षा पा रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक भाषा के कितने-कितने छात्र हैं; और

(ग) उन में से प्रत्येक भाषा में स्कूल के शुरू होने से अब तक कुल कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये जा चुके हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) ३८९ ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८५]** ।

सेशन जज मनीपुर

†**१६५९. श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) जनवरी से जून, १९५८ तक मनीपुर के जिला तथा सेशन जज के न्यायालय में कितने पहाड़ी मामलों का निर्णय किया गया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १ जुलाई, १९५८ को कितने दीवानी तथा फौजदारी मामले अनिर्णीत थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातरा)** : (क)

	दीवानी	फौजदारी	कुल
(क) जनवरी से जून, १९५८ तक मनीपुर के जिला तथा सेशन जज के न्यायालय में निपटाये गये मामलों की संख्या . .	६०	१४	७४
(ख) १ जुलाई, १९५८ को अनिर्णीत मामलों की संख्या	३२	६	३८

मादक औषधियां

†**१६६०. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मादक औषधि सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार इस प्रतिवेदन के बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) मादक औषधि आयोग पर जो कि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् का एक कार्यकारी आयोग है, सभी प्रकार की मादक औषधियों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय नीति बताने और उस के प्रशासन की जिम्मेवारी डाली गयी है । आयोग, जिस की बैठक वर्ष में एक बार होती है, प्रत्येक सदस्य देश द्वारा प्रस्तुत किये गये उन वार्षिक प्रतिवेदनों का पुनरीक्षण करता है, जिन में यह बताया गया होता है कि उन देशों ने वर्ष के दौरान में अन्तर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य सम्बन्धी सन्धियों के अन्तर्गत अपने आभारों को कहां तक पूरा किया है। इस पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों पर पूरा पूरा अमल किया जायेगा । आयोग विभिन्न देश की मादक औषधि सम्बन्धी आवश्यक तथ्यों का पुनरीक्षण भी करता है ताकि उस के उत्पादन को विश्व की चिकित्सकीय तथा वैज्ञानिक आवश्यकताओं तक सीमित किया जा सके । इस के अलावा आयोग निषिद्ध व्यापार के सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर भी विचार करती है । ताकि ऐसे व्यापार पर अधिक कड़ा नियंत्रण रखा जा सके । आयोग के गत यह पुनरीक्षण आयोग के गत सत्र में भी किया गया था । पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप निम्न लिखित मुख्य सिफारिशें की गयी थीं :—

(१) कि अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों वाले जहाजों में प्रथम उपचार के लिये रखी गयी मादक औषधियों का निषिद्ध रूप में दुरुपयोग रोकने के लिये सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये ।

(२) कि अफीम का उत्पादन करने वाले देश अपने-अपने देश में उत्पादित अफीम के नमूनों को संयुक्त राष्ट्र प्रयोगशाला में भेजते रहें और यह भी कि सभी देश अपने अपने देश में पकड़ी गयी निषिद्ध

†मूल अंग्रेजी में

अफीम के नमूने भी संयुक्त राष्ट्र प्रयोगशाला में भेजते रहें ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि इस प्रकार की अफीम कहां से आती है ।

(३) कि संयुक्त राष्ट्र प्रयोगशाला से यह कहा जाये कि वह अपने गवेषणा-कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इस बात का अध्ययन करें कि उस विजया-प्रगति की जिस में मादक गुण पाये जाते हैं, किस्मों को पहचानने के क्या-क्या प्रविधिक उपाय हैं ।

(४) कि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् से यह प्रार्थना की जाये कि वह सदस्य राज्यों को मादक वस्तुओं पर नियंत्रण रखने में प्रविधिक सहायता देने के बारे में अधिक सुविधायें देने की दृष्टि से वित्तीय व्यवस्था का पुनरीक्षण करे ।

फिर आयोग ने निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कार्य किये :—

(१) उस ने उस अभिसमय के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जिसे मादक औषधियों पर नियंत्रण से सम्बन्धित वर्तमान ९ सन्धियों के स्थान पर प्रवृत्त करने का इरादा है ।

(२) मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र प्रादेशिक प्रति मादक वस्तु ब्यूरो की स्थापना के लिये 'लीग आँफ अरब स्टेट्स' की परिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्थापना पर भी आयोग ने विचार किया, और यह सिफारिश की कि उस क्षेत्र में एक आयोग भेजा जाये जो कि इस बात का पता लगाये कि वहां पर कितनी निषिद्ध मादक वस्तुयें आती जाती हैं यह सुझाव दे कि उन की रोक थाम के लिये क्या-क्या उपाय किये जायें ।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है । उस पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

भारत की सीमा में आने वाले पाकिस्तानी

†१६६१. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री पांगरकर :
श्री राम गरीब :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अभी तक मास-वार कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने भारतीय सीमाओं (पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों सीमाओं) को अवैध रूप से लांघ कर भारत में प्रवेश किया है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को दंड दिया गया;

(ग) कितने मामले अभी तक लम्बित हैं; और

(घ) कितने व्यक्तियों ने पाकिस्तान वापिस जाने से इन्कार कर दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जनवरी ४१८
फरवरी ३२३
मार्च ५५०
अप्रैल ४१७
मई ६०९
जून ५१०
जुलाई ६१५
कुल ३,४४२

इन में से ५५९ व्यक्ति पश्चिमी सीमा से प्रविष्ट हुए थे और २,८८३ व्यक्ति पूर्वी सीमा से प्रविष्ट हुए थे ।

(ख) १,४९०

(ग) ५७०

(घ) २७८

उक्त आंकड़ों में पश्चिमी बंगाल और मैसूर सम्बन्धी मामले सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि उन राज्यों से अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

पंजाब में माध्यमिक शिक्षा

†१६६२. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन पंजाब में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिये कितनी योजनाओं के लिये सहायता मांगी गई है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है या करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १२ ।

(ख) ८४·६२ लाख रुपये पहले ही दिये जा चुके हैं । द्वितीय योजना की शेष अवधि में १४० लाख रुपये देने का विचार है ।

बहरे विद्यार्थियों के शिक्षकों का सम्मेलन

†१६६३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में बहरे विद्यार्थियों के शिक्षकों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) उस में क्या क्या निर्णय किये गये थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां । सम्मेलन का आठवां सत्र दिल्ली में ७ से ९ मई, १९५८ तक हुआ था ।

(ख) सम्मेलन के गत सत्र में किया गया सब मे महत्वपूर्ण निर्णय उस के विधान का संशोधन था । सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में सत्र में सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प निहित

†मूल अंग्रेजी में

हैं। संशोधित विधान की एक प्रति भी सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८६]**

सम्पत्ति-कर

†१६६४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री मुरारका :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न लिखित शीर्षों के अन्तर्गत अभी तक राज्यवार कितना सम्पत्ति-कर इकट्ठा किया गया है : —

(१) व्यक्ति

(२) कम्पनियां;

(ख) यह राशि आशा से कितनी कम रही है और उस के क्या कारण हैं ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) सम्पत्ति-कर कमिश्नरों के खातों के अनुसार १९५७-५८ में और १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९५८ की अवधि में व्यक्तियों तथा कम्पनियों से एकत्रित किये गये सम्पत्ति-कर का विवरण निम्न प्रकार से है। क्योंकि कुछ एक कमिश्नरों के क्षेत्राधिकार में १ से अधिक राज्य भी आ जाते हैं, इसलिये राज्यवार जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है :—

कमिश्नरों के क्षेत्र	१९५७-५८		१-४-५८ से ३१-७-५८ तक	
	कम्पनियां	व्यक्ति	कम्पनियां	व्यक्ति
	(संख्यायें हजार रुपयों में हैं)			
१. आन्ध्र प्रदेश	५,२८·६	१०,८३	१३	८,१०
२. आसाम	९४·८	१,३८.९	९	८
३. बिहार और उड़ीसा	१५,५६·७	३,८३.३	१०	७०
४. बम्बई	१,९८,७१	१,०४,२७	७,६९	२३,८०
५. दिल्ली और राजस्थान	११,४४·६	१२,६५.४	५५	१,६६
६. केरल	१२,१६·२	६,८६.२	४७	७८
७. मद्रास	२१,९०	६,४८	९०	२,११
८. मैसूर	९,९२	२,७६	३६	९०
९. मध्य प्रदेश	६,७८	६,२९	१,५६	९७
१०. पंजाब तथा जम्मू और काश्मीर	२,३८	२,९५	२३	१७
११. उत्तर प्रदेश	१०,३६	५,१५	२६	५७
१२. पश्चिमी बंगाल	१,८४,०३	१९,१९	१३,६५	६,६७
कुल	४,७९,४८·९	१,८२,६५·८	२५,९९	४६,५३

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार १९५७–५८ में कम्पनियों, व्यक्तियों और अविभाज्य हिन्दू परिवारों से कुल ६,९९,०२,००० रुपये का कर प्राप्त हुआ था, जब कि उस वर्ष के लिये ९ करोड़ रुपयों का अनुमान लगाया गया था। उस के इकट्ठा करने में २·१ करोड़ रुपयों की कमी रह गयी है और उस के कारण लोक सभा में १५ अप्रैल, १९५८ को श्री दामानी के अतारांकित प्रश्न संख्या २४१६ के उत्तर में बता दिये गये थे।

जहां तक चालू वर्ष में एकत्रित होने वाली राशि का सम्बन्ध है, उस के बारे में अभी इतनी जल्दी यह नहीं बताया जा सकता कि क्या उस वर्ष में आशा के अनुसार राशि वसूल हो जायेगी, अथवा घट जायेगी ।

दिल्ली में दरिद्रालय[1]

†१६६५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में और अधिक दरिद्रालय बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है; और

(ख) उस प्रस्थापना के ब्यौरे क्या हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में ऐतिहासिक किले

†१६६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के उन चार किलों के, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया है और जो केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के परीक्षण के अधीन हैं परिरक्षण और देख भाल के लिये १९५८-५९ में कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** :

इमारत का नाम	खर्च को जाने वाली प्रस्तावित राशि
	रुपये
१. भटिंडा का किला	१०,७१५
२. कांगड़ा का किला	६,५८०
३. कोटला का किला	१,६००
४. नूरपुर का किला	शून्य

पंजाब को कोयले का आवंटन

†१६६७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत पंजाब को कुल कितना कोयला आवंटित किया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Poor Houses.

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक श्रेणी के अधीन वास्तव में कितना कोयला संभरित किया गया था;

(ग) यदि संभरण कम किया गया है, तो उस के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्धारित परिमाण के अनुसार ही कोयला संभरित करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में बताया गया है कि पंजाब राज्य के उद्योगों के लिये कितना मासिक कोटा निर्धारित किया गया था और कितना वास्तव में संभरित किया गया था। **[देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या ८७]** ।

(ग) मुगल साराय के ऊपर की तरफ कोयले के आयात के लिये रेलवे द्वारा परिवहन सम्बन्धी दी गयी सुविधाओं की अपेक्षा मांग बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। इसलिये इस दिशा में सभी राज्यों (जिन में पंजाब भी सम्मिलित है) के संभरण में बड़ी कमी हो गयी है।

(घ) रेलवे परिवहन स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है, परन्तु स्थायी रूप से स्थिति का सुधार रेलों की विस्तार योजनाओं की पूर्ति के बाद ही होगा।

पंजाब में शिक्षा विकास का कार्यक्रम

†१६६८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में शिक्षा विकास के कार्यक्रम के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अभी तक कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब राज्य के शिक्षा विकास कार्यक्रम के लिये (जिन में कि प्रविधिक शिक्षा योजनायें भी सम्मिलित हैं) कुल १४·८५ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे, उन में से योजना आयोग ने प्रति वर्ष निम्नलिखित राशियां आवंटित की थीं :—

१९५६-५७	२·५९ करोड़ रुपये
१९५७-५८	१·८३ करोड़ रुपये
१९५८-५९	१·९० करोड़ रुपये

१९५६-५७ में कुल ०·८८ करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार १९५७-५८ में १·२० करोड़ रुपये का खर्च हुआ था।

अफीम

१६६९. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में प्रति वर्ष कितनी अफीम की उपज होती है ?

†मूल अंग्रेजी में

राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :

अफीम का मौसम	७० घनत्व वाली अफीम की उपज (मन)
१९५३–५४	३,९५२
१९५४–५५	३,१६९
१९५५–५६	३,४४७
१९५६–५७	४,३६२
१९५७–५८	६,८०६ (लगभग)

अफीम का निर्यात

१६७०. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से सब से अधिक अफीम किस देश को निर्यात की जाती है ?

राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) : ब्रिटेन को ।

आदिम जातीय छात्राओं के लिये छात्रावास

†१६७१. **श्री दासप्पा देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के सबडिवीजनल हेडक्वार्टरों में आदिम जातीय छात्राओं के लिये राज्य की ओर से अथवा गैर-सरकारी रूप से चलाया जा रहा कोई छात्रावास है;

(ख) यदि हां, तो उस में कितनी छात्रायें रह रही हैं; और

(ग) प्रत्येक छात्रा को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां । खोवाय में आदिम जातीय छात्राओं के लिये एक गैर-सरकारी छात्रावास है ?

(ख) २० ।

(ग) कुछ भी नहीं ।

त्रिपुरा में हड़ताल

†१६७२. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९५८ को त्रिपुरा के बेलोनिया शहर के लोगों नें पुलिस द्वारा की गई किसी कार्यवाही के विरोध में हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां ।.

(ख) हड़ताल न्याययुक्त नहीं थी , इसलिये कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशवासियों सम्बन्धी अधिनियम[1]

†१६७३. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विदेशवासियों सम्बन्धी अधिनियम के अधीन त्रिपुरा में कुल कितने नोटिस जारी किये गये थे;

(ख) उन नोटिसों के अनुसरण में कितने व्यक्तियों ने त्रिपुरा छोड़ दिया था;

(ग) ऐसे कुल कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये थे, जिन्हों ने उन नोटिसों का उल्लंघन किया था; और

(घ) उन नोटिसों का उल्लंघन करने पर न्यायालय ने कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ४६३ ।

(ख) १७७

(ग) १११

(घ) ५

परीक्षा सुधार समिति

†१६७४. **श्री वाजपेयी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परीक्षा सुधार समिति ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिये कोई प्रश्नावली जारी की है; और

(ख) क्या उस प्रश्नावली की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परीक्षा सुधार समिति द्वारा कोई भी प्रश्नावली जारी नहीं की गयी है, फिर भी विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिये जारी किये गये परिपत्रों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८८]**

पब्लिक स्कूलों में भारत सरकार की योग्यता-छात्रवृत्तियां

†१६७५. **श्री बसुमतारी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक स्कूलों में योग्यता-छात्रवृत्तियां देने की योजना प्रारम्भ होने के समय से लेकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कितने विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां दी गयी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :

अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी	३
अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी	२
अन्य पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थी	२४

†मूल अंग्रेजी में

[1]Foreigners Act

मनीपुर में शिक्षक

†१६७६. **श्री ले० अचौ० सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन उन शिक्षकों को तो एक अग्रिम वेतन वृद्धि देती है जो कि सरकारी डेपुटेशन और सरकारी खर्च पर बी० टी० या बी० ई० डी० की उपाधि प्राप्त करते हैं, परन्तु उन्हें कोई अग्रिम वेतन वृद्धि नहीं दी जाती जो कि अपने खर्च पर उपाधि प्राप्त करने के बाद किसी सरकारी स्कूल में पढ़ना प्रारम्भ करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय सरकारी स्कूलों में दूसरे वर्ग के कितने शिक्षक काम कर रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये । उसे जारी रखने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) एक ।

छावनी बोर्ड के स्कूलों का हस्तांतरण

†१६७७. **श्री बाजपेयी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड के स्कूलों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्रालय और पंजाब सरकार में कोई करार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) छावनी स्कूलों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में हम ने पंजाब सरकार से पूछताछ की थी । पंजाब सरकार ने स्कूलों के हस्तान्तरण के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है । सरकार ने स्कूलों के हस्तान्तरण के सिद्धान्त को पंजाब सरकार द्वारा मान लिये जाने की सराहना करते हुए उस के सभी पक्षों पर अच्छी प्रकार से विचार किया है । परन्तु सरकार ने अच्छी प्रकार से विचार करने के बाद यही फैसला किया है कि फिलहाल इन स्कूलों का हस्तान्तरण न किया जाये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में समाज सेवा शिविर

†६७८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री ९ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६८९ के उत्तर के सम्बन्ध में १९५७-५८ में पंजाब में हुए समाज सेवा शिविरों के प्रतिवेदनों तथा उनके लेखा परीक्षित लेखों को सभा पटल पर रखेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** पंजाब में अब तक १९५७-५८ में १०१ शिविर आयोजित किये गये जिनमें से केवल २४ शिविरों के लेखा परीक्षित लेखे तथा प्रतिवेदन मिले हैं । शिविरों के प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेख मिल कर एक लम्बा चौड़ा दस्तावेज बन जायेंगे और इसलिये इनको लोक सभा पटल पर रखना व्यवहार्य नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोने का तस्कर व्यापार

†१६७९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि फारस की खाड़ी से आने वाले ब्रिटिश इंडिया यात्री जहाज़ एस० एस० 'डुमरा' से अगस्त के प्रथम सप्ताह में, बम्बई में २,१०,००० रुपये के मूल्य का चोरी छिपे लाया गया सोना मिला था ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :** जी हां । सूचना मिली थी कि कराची होते हुए फारस की खाड़ी से आने वाले एस० एस० 'डुमरा' में (जो ब्रिटिश इंडिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी का था) जो ३१ जुलाई, १९५८ को बम्बई आया था, चोरी से लाया गया सोना था । जहाज की दस दिन तक लगातार तलाशी ली जाती रही और २,१६० तोले सोना पकड़ा गया । सरकारी दर ६२.५० रुपये प्रति तोले के हिसाब से सोना १,३५,००० रुपये का था । जहाज, जो उस में निषिद्ध वस्तु होने के परिणामस्वरूप समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन जब्त किया जा सकता था, रोक लिया गया था, परन्तु बाद में, कर्मचारियों द्वारा ३ लाख रुपये की ज़मानत देने पर, इसको आगे जाने की अनुमति दे दी गई ।

आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी, नई दिल्ली

†१६८०. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में अब तक आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी, नई दिल्ली, ने कितने चित्र और मूर्तियां ली हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर):** सत्रह चित्र तथा तीन मूर्तियां ।

बम्बई में साहित्यिक कर्मशाला

†१६८१. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवसाक्षरों तथा बच्चों के लिये पुस्तकें लिखने वालों को प्रशिक्षण देने के लिये बम्बई राज्य में एक साहित्यिक कर्मशाला संगठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका कब संगठन होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

कॉपींग एजेंसी, दिल्ली[1]

†१६८२. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस भवन में 'कॉपिंग एजेन्सी, दिल्ली' अवस्थित है, उसकी हालत बड़ी खराब है; और

(ख) यदि हां, तो आवश्यक मरम्मत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Copying Agency, Delhi.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). यह कार्यालय काश्मीरी गेट के निकट 'पुराने न्यायालय भवन' में है। जुलाई में भारी वर्षा के समय इसका एक कमरा बहुत बुरी तरह चूने लगा था तथा दीवारों पर कुछ प्लास्टर भी उतर गया था। कमरा खाली कर दिया गया तथा कुछ मरम्मत कर दी गई। परन्तु कुछ और आवश्यक मरम्मत के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। जब तक पूरी तरह मरम्मत नहीं कर दी जायेगी कमरा उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

भारत-पाकिस्तान बैंकिंग समवाय समझौता

†१६८३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान बैंकिंग समझौता १९४९ के अधीन बैंकिंग समवाय अपनी आस्तियों की वसूली में समर्थ हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना धन वसूल किया गया है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) और (ख). पता लगा है कि समझौते के अन्तर्गत आने वाले बैंकों को, पाकिस्तान में अग्रिम धन के लेखे में, जिसके सम्बन्ध में समझौते के अन्तर्गत सहायता मांगी गई थी, ११·४६ लाख रुपये प्राप्त हुए हैं।

दिल्ली हवाई अड्डे पर चोरी से लाये गये सोने का पकड़ा जाना

†१६८४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक दिल्ली हवाई अड्डे पर कितने मूल्य का चोरी छिपे लाया गया सोना पकड़ा गया है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ग) तस्कर व्यापार के लिये कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया तथा इनमें से कितने विदेशी हैं; और

(घ) वे किन देशों के निवासी हैं ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) दिल्ली हवाई अड्डे पर १९५८ (१५-८-१९५८ तक) में लगभग ६,३१,३०७ रुपये का चोरी से लाया गया सोना सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने पकड़ा है।

(ख) इस सम्बन्ध में चार व्यक्ति पकड़े गये हैं।

(ग) चारों व्यक्तियों को, जो विदेशी थे, दण्ड दे दिया गया है।

(घ) दो स्विटज़रलैंडवासी, एक स्पेनवासी तथा एक फ्रांसीसी था।

दिल्ली में मकानों का किराया

†१६८५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हाल में ही जो दिल्ली में किरायों तथा किरायेदारों और मकान मालिकों के सम्बन्धों के बारे में जांच की थी उसके क्या परिणाम निकले ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव बनाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक जो १ सितम्बर, १९५८ को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है ।

हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार

†१६८६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन के अधीन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध १९५७-५८ में भ्रष्टाचार के कितने मामले पंजीबध किये गये; और

(ख) ऐसे मामलों को निबटाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोजीकोड हवाई अड्डा

†१६८७. **श्री जनि चन्द्रन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मंत्री के पिछले दौरे पर कोजीकोड में विशेषरूप से बनाये गये अस्थाई हवाई अड्डे पर कितना धन व्यय हुआ था;

(ख) क्या इस प्रयोग से सरकार ने कोजीकोड में बनाये जाने वाले हवाई अड्डे का स्थान निश्चित कर लिया है; और

(ग) यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). **औटर** लाइट विमान, जिसमें मंत्री महोदय ने यात्रा की थी, भूमि की एक छोटी सी पट्टी पर, जिसको तभी हमवार किया गया था, उतरा था । इस पर कोई विशेष व्यय नहीं किया गया था । असैनिक हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

केंद्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्रालय[1], मैसूर

†१६८८. **श्री द० अ० कट्टी** :
श्री माने :
श्री दिगे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन शुल्क समाहर्त्रालय के बहुत से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षकों को, जिनका मूल समाहर्त्रालय बम्बई था, पदोन्नति के मामले में नुकसान हुआ है क्योंकि डिप्टी सुपरिन्टेन्डैन्ट के पद पर पदोन्नति के लिये वरिष्ठता निश्चित करने के लिए नियुक्ति

†मूल अंग्रेजी में

[1]Central Excise Collectorate.

तिथि की बजाय स्थायी बनाये जाने की तिथि को माना गया जब कि विभिन्न समाहर्त्रालियों में स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में अलग-अलग नियम हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समाहर्ताओं के क्षेत्राधिकार के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप मैसूर समाहर्त्रालय १-१-५७ से अलग कर दिया गया था । यह मद्रास, बम्बई तथा हैदराबाद के पड़ौसी समाहर्त्रालयों में से बनाया गया है । तीनों समाहर्त्रालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की मैसूर बदली कर दी गई । उनकी राय जानने के पश्चात् ९७ निरीक्षकों की बम्बई से मैसूर बदली कर दी गई । मैसूर समाहर्त्रालय के ३४४ निरीक्षकों में से बम्बई समाहर्त्रालय से स्थानान्तरित ९ निरीक्षक ऐसे थे जो, यदि पदोन्नति करने में स्पष्टीकरण की तारीख की बजाये नियुक्ति की तारीख मानी जाती तो, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर पदोन्नत किये जाने के पात्र हो सकते थे । वर्तमान नियमों के अधीन, उन्हें पदोन्नति के मामले में उन व्यक्तियों के मुकाबले वरिष्ठता नहीं दी जा सकती जो पहले स्थायी बनाये जा चुके थे । यदि बम्बई समाहर्त्रालय में भी वे रहते तो उनकी स्थिति भिन्न नहीं होती । सभी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्रालयों में वरिष्ठता तथा स्थायीकरण के नियम एक से ही हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के नहीं हैं ।

(ख) १९४९ से पहले एक वर्ग में काम करने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता उसके उस वर्ग (ग्रेड) में स्थायी बनाये जाने की तिथि के अनुसार निश्चित की जाती थी । विभाजन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में कितने ही विस्थापित व्यक्ति नियुक्त किये गये । क्योंकि उनमें से बहुतों ने पाकिस्तान में प्रान्तीय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि में बहुत दिनों तक सेवा की थी, इसलिये १९४९ में गृह-मंत्रालय द्वारा यह निर्णय किया गया कि विस्थापित व्यक्तियों की कठिनाइयों को देखते हुए, किसी वर्ग (ग्रेड) में काम करने वाले सब व्यक्तियों की वरिष्ठता, सिवाय उन व्यक्तियों के जो उस वर्ग में १-१-४४ से पहले स्थायी किये गये थे, उस वर्ग (ग्रेड) अथवा उसके समकक्ष वर्ग (श्रेणी) में की गई लगातार सेवा के अनुसार निश्चित की जानी चाहिये । दशा सामान्य हो जाने पर १९५८ में यह निर्णय किया गया था कि स्थायी बनाने की तिथि के आधार पर वरिष्ठता रखने की पुरानी पद्धति को अपना लिया जाये । यह पुराना सिद्धान्त है और इस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ।

(ग) मैसूर समाहर्त्रालय के निरीक्षकों के इस सम्बन्ध में भेजे गये अभ्यावदनों को अस्वीकार कर दिया गया है ।

तांबे के निक्षेप

†१६८९. **श्री पी० रा० रामकृष्णन्** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश के कितने तांबे के निक्षेपों के होने का अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने १९५७-५८ में तांबे का देसी उत्पादन बढ़ाने के बारे में कोई कार्यवाही की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो वास्तविक बढ़ोत्तरी कितनी हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) कुल ग्रयस्क संचिति जिनका ग्रब तक पता लगा है, ३३७ लाख टन है ।

(ख) ग्रौर (ग). भारत का भूतत्वीय परिमाप विभाग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तथा ग्रान्ध्र की तांबे की खानों का सर्वेक्षण कर रहा है जिसके परिणाम ग्राशावादी हैं ।

भारतीय खनि विभाग (इण्डियन व्यूरो ग्राफ माइन्स) भी खेतरी तथा दरीबों में जांच कर रहा है जिससे इन निक्षेपों की ग्रार्थिक कार्यक्षमता का पता लग सके । परन्तु ग्रभी इन प्रयत्नों से उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुग्रा है ।

मनीपुर प्रशासन के ग्रधीन पदाधिकारी

†१६९०. **श्री ले० ग्रचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रन्य राज्यों से ग्राये पदाधिकारियों को मनीपुर में, वहां के पदाधिकारियों से ग्रधिक वेतन तथा भत्ते मिलते हैं; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे पदाधिकारियों को प्रति मास दिये जाने वाले वेतन तथा भत्तों, ग्रौर मनीपुर प्रशासन के ग्रधीन उसी पद के पदाधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्तों का तुलनात्मक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) यह सच है कि स्थानीय सेवाग्रों के पदाधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्तों से, ग्रन्य राज्यों से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को वेतन तथा भत्ते ग्रलग दिये जाते हैं । पहले मामलों में ग्रपनी सेवा में भरती पदाधिकारियों को उस सेवा के वेतन तथा भत्ते दिये जाते हैं जब बाहर के पदाधिकारियों को निर्धारित दरों पर प्रतिनियुक्ति का विशेष वेतन भी दिया जाता है ।

(ख) भाग (क) के ग्रधीन स्थिति स्पष्ट किये जाने के पश्चात् तथा इस ग्राधार पर कि ग्रन्य राज्यों से पदाधिकारी प्रतिनियुक्त इसलिये किये जाते हैं, क्योंकि पदों के लिये स्थानीय सेवाग्रों में उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलते हैं, एक तुलनात्मक विवरण बताना ठीक नहीं होगा ।

मितव्ययता बोर्ड

†१६९१. **श्री बाजपेयी** :
श्री साधू राम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९५७ में भारत सरकार द्वारा बनाये गये मितव्ययता बोर्ड को पुनर्गठित किया गया है;

(ख) क्या पुनर्गठित बोर्ड की कोई बैठक हुई है; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो बोर्ड ने क्या सुझाव दिये हैं तथा ग्रौर मितव्ययता करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से सुझाव स्वीकार किये हैं ?

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी हां ।

(ख) पुनर्गठित बोर्ड की दो बैठकें हुई हैं ।

(ग) पुनर्गठित बोर्ड द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में किये गये सुझावों पर विचार किया जा रहा है । परन्तु बोर्ड के सुझावों के अनुसार ये आदेश दे दिये गये हैं कि मंत्रालयों/विभागों में कार्य कर रहे कल्याण पदाधिकारियों को सचिवालय से सहायक नहीं दिये जाने चाहिएं ।

पंजाब में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि

†१६९२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में प्रतिरक्षा मंत्रालय की कितने एकड़ भूमि है ;

(ख) कितने एकड़ भूमि जनता को पट्टे पर दी गई है ; और

(ग) शेष भूमि का किस काम के लिये उपयोग किया जा रहा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) लगभग ३४, ६६४ एकड़ ।

(ख) लगभग २,२७४ एकड़ ।

(ग) मुख्यतः प्रतिरक्षा तथा छावनी के काम के लिये । जब भी कभी छोटे कृषि योग्य क्षेत्र अधिक होते हैं उनमें रेजिमेंट/यूनिट/अथवा सैनिक फार्मों के रूप में कृषि की जाती है । तथा खाद्यान्न उत्पादन की योजनायें बनाई जाती है । जहां ऐसा करना संभव नहीं होता है उनको गैर-सरकरी किसानों/सहकारी समितियों को खाद्यान्न बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा प्राथमिकता निर्धारित कराके दे दिया जाता है ।

हिमाचल प्रदेश में खजाने (ट्रेजरी)

†१६९३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के संघ प्रदेश में कितने खजाने (ट्रेजरी) तथा उपखजाने (सब-ट्रेजरी) हैं ;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में कुछ नये उपखजाने खोलने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो किन स्थानों पर यह उपखजाने खोले जायेंगे ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क). हिमाचल प्रदेश में ५ खजाने तथा २० उपखजाने हैं ।

(ख) और (ग). तीन और उपखजाने खोलने की स्वीकृति दी गई है जिन में से याशिओट, मंडी जिले में, तथा किलार, और त्रिलोकीनाथ, चम्बा जिले में, एक-एक होगी । इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश प्रशासन चम्बा जिले में बाड़मौर में भी एक उपखजाना खोलने का विचार कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में तेल के लिये छिद्र करने का काम

†१६९४. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कितने तथा किन स्थानों पर तेल निकालने के लिये छिद्र करने का काम हो रहा है ;

(ख) इस पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है ;

(ग) १९५८–५९ में इस पर कुल कितना धन व्यय होगा ;

(घ) इस कार्य के क्या परिणाम हुए ;

(ङ) क्या इस वर्ष में इस कार्य के लिये और कोई स्थान भी लिया जायेगा ; और

(च) यदि हां, तो ऐसे स्थान कौन-कौन से हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) होशियारपुर के निकट ज्वालामुखी में गहरी खुदाई का काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी तथा रानीताल के निकट ज्वालामुखी के पहले स्थान पर दो गड्ढे और खोदे जा रहे हैं।

(ख) १९५७–५८ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग ६४ लाख रुपये।

(ग) १९५८–५९ के लिये अनुमानतः १.३९ करोड़ रुपये का आय-व्ययक में उपबन्ध है।

(घ) परिणामों का निर्धारण करना अभी संभव नहीं है।

(ङ) और (च). वर्तमान खुदाई के परिणामों के आधार पर तथा खुदाई मशीन की प्राप्यता के आधार पर और स्थानों पर ज्वालामुखी तथा जानौरी में खुदाई करने का विचार है।

पुलिस

†१६९५. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में दिल्ली के पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध कितनी लिखित शिकायतें की गई हैं तथा कितनी शिकायतों पर विचार किया गया है ;

(ख) कर्त्तव्य के प्रति अनिष्ठा, भ्रष्टाचार, तथा अनुशासनहीनता के लिये इसी अवधि में दिल्ली पुलिस द्वारा कितने तथा किन पदों के पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है ; और

(ग) भाग (क) में बताई गई अवधि में कितने तथा किस श्रेणी के पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध दांडिक मामले पंजीबद्ध किये गये तथा निम्नलिखित शीर्षों के अधीन अलग-अलग अपराधों के परीक्षणों के परिणाम क्या रहे : (एक) महिलाओं पर आक्रमण, (दो) चोरी तथा डकैती, (तीन) अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण, (चार) हत्या और (पांच) पीड़ा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकरी इकट्ठी की जा रही है तथा समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी धर्म प्रचारक

†१६९६. **श्री जाधव :** क्या गृह-कार्य मंत्री निम्नलिखित दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में विदेशी धर्म प्रचारकों की अचल सम्पत्ति कितनी है ;

(ख) उनके पास कृषि योग्य भूमि कितनी है ; और

(ग) क्या इसको वह कृषि कार्य के लिये उपयोग में ला रहे हैं अथवा नहीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). विदेशियों से भूमि अर्जन के लिये कोई विशेष विधि नहीं है। इसलिये विदेशी धर्म प्रचारकों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में जानकारी देना संभव नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश में कथित खाद्य संकट

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर प्रदेश की खाद्य स्थिति, वहां हुई गिरफ्तारियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की खाद्य समस्या हल करने में असफलता के बारे में सर्वश्री स० म० बनर्जी और तंगामणि के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। इस स्थगन प्रस्ताव में एक राज्य सरकार पर अनेक प्रकार के आरोप लगाये गये हैं।

उस दिन जब कई स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी गयी थी तो मैं ने कहा था कि हमें इस बात पर विचार कर लेना चाहिये कि इस विषय में किस सीमा तक केन्द्र का उत्तरदायित्व है। मैं मानता हूं कि खाद्य के सम्बन्ध में केन्द्र की भी कुछ जिम्मेदारी है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के अनुसार केन्द्र पर उत्तरदायित्व है कि वह भी कुछ कार्यवाही करे। मैं केवल वैधानिक उत्तरदायित्व की बात नहीं कहता। मेरा कहना है कि यदि केन्द्र ने किसी विषय में किसी समझौते द्वारा या संसद् की किसी विधि द्वारा जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हो तो मैं उस विषय पर चर्चा की अनुमति दे सकता हूं।

हो सकता है राज्य के विषय पर हमारा चर्चा करना राज्य को रूचिकर न लगे। राज्य स्थिति का सामना करने के लिये भरसक कोशिश कर रहा है फिर हमें यह शोभा नहीं देता कि हम यहां बैठ कर चर्चा करें कि राज्य को क्या करना चाहिये और क्या नहीं।

मैं जानना चाहता हूं कि खाद्य, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य जैसे विषयों के सम्बन्ध में राज्य का उत्तरदायित्व किस सीमा तक है। इस सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रियों से मैंने ज्ञापन मांगे हैं। माननीय सदस्यों से भी मैं बात करना चाहता हूं। दोनों पक्षों की बातें सुनकर मैं कुछ निर्णय कर सकूंगा। अभी मंत्रियों के ज्ञापन हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इस बीच मैं नहीं चाहता कि सभा में ऐसी चर्चा उठाई जाये। माननीय मंत्री राज्य के विभिन्न दलों के नेताओं को बुला कर उनको समझायें और बतायें कि केन्द्र की इसमें कितनी जिम्मेदारी है। यदि वे लोग फिर भी संतुष्ट न हों तो उन्हें मुझ से मिलाया जावे। मैं मामले की छानबीन करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं ने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। आप ने कहा कि जब राज्यों में स्थिति खराब है तो आप उस विवाद में पड़ना नहीं चाहते और यहां चर्चा नहीं उठाई जानी चाहिये। केन्द्र तथा राज्य के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में संघ खाद्य मंत्री तथा राज्य के मुख्य मंत्री में एक मतभेद पैदा हो गया है। अभी कल ही डा० सम्पूर्णानन्द ने कहा है कि संवैधानिक स्थिति के अतिरिक्त राज्य सरकार को अपनी खाद्य नीति संचालित करने का अवसर नहीं मिला। अत्यावश्यक पण्य अधिनियम एक केन्द्रीय विधान है पर केन्द्र ने राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया। उन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के १४ जिलों में चावल तथा बाजरे के निर्यात पर प्रतिबन्ध है पर वहां से सारा गल्ला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया और वहां से बिहार को भेजा गया। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि खाद्य नीति राज्य के हाथों में होती तो ऐसा कदापि न होने पाता पश्चिमी बंगाल में भी ऐसा ही हुआ।

एक ओर तो स्थिति ऐसी पैदा हो गयी है कि लोग भूखों मर रहे हैं और दूसरी ओर इस प्रकार की मतभेदपूर्ण बातें चल रहीं हैं। अतः आवश्यक हो गया है कि सभा में इस विषय पर वाद-विवाद हो।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के स्थगन प्रस्ताव पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। अभी कल ही प्रधान मंत्री ने एक पत्रकार सम्मेलन में यह बात स्वीकार की है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति अच्छी नहीं है। मेरा अनुमान है कि इस सम्पूर्ण कठिनाई का एक प्रथम कारण यह है कि खाद्य नीति के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्यों के बीच कोई समन्वय नहीं है और समन्वय ही इस रोग का उचित उपचार हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जोरदार आन्दोलन चल रहा है। श्री शिब्बन लाल सक्सेना की भूख हड़ताल चल रही है और बंगाल की स्थिति भी खराब है। अतः आवश्यक यह है कि केन्द्र तथा राज्यों के बीच ऐसा समन्वय स्थापित किया जाये जिससे कोई आन्दोलन न हो और खाद्य समस्या भी हल हो जाये।

अतः ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि स्थिति पर चर्चा की जाये और स्पष्टीकरण दिया जाये।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं ने अपने स्थगन प्रस्ताव में कहा है कि विधि के अनेक उपबन्धों का अनुचित प्रयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश के अनेक ख्याति प्राप्त नेताओं तथा संसद् के दो सदस्यों और उत्तर प्रदेश विधान सभा के विरोधी दल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानना चाहता हूं क्या यह मामला अविलम्बनीय और आवश्यक है। वहां तो स्थगन प्रस्ताव पेश होते रहे हैं अविश्वास के प्रस्ताव रखे गये हैं और यह सब कोई कल की बात तो है नहीं बल्कि काफी समय से चली आ रही है। इस प्रकार की बातों पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में विचार करना नियमों के अनुकूल नहीं होगा।

राजा महेन्द्रप्रताप का भी एक स्थगन प्रस्ताव है जिसमें वह कहते हैं कि यू० पी० के विरोधी दलों का आन्दोलन क्रान्ति फैला सकता है और प्रशासन के लिये खतरनाक है। माननीय सदस्य का कहना है कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यह राजनैतिक आन्दोलन है। एक माननीय सदस्य विधि और व्यवस्था की बात करते हैं। एक तीसरे माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री का कथन सही है या संघ खाद्य मन्त्री का। इन सब बातों का उत्तर देना मेरे कार्य क्षेत्र

---

†मूल अंग्रेजी में

से बाहर की बात है। माननीय खाद्य मन्त्री को चाहिए कि वह सभी दलों के नेताओं तथा स्थगन प्रस्तावों की सूचना देने वालों का एक सम्मेलन बुलायें और आपस में बैठ कर बातें तय करें।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : आपने अभी सुझाव दिया कि दलों के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया जाये। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर कुछ और प्रकाश डाला जाये--किस मामले पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन बुलाया जाये ? क्या उन लोगों की गतिविधियों पर चर्चा की जायेगी जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, या जिन्होंने विधि का उल्लंघन करके गिरफ्तार होने की घोषणा की है या जिन्होंने गोदामों पर कब्जा करने की घोषणा की है ? सम्मेलन में किस बात पर चर्चा होगी ? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं अतः स्थगन प्रस्ताव आये हैं। पर हम यह क्यों भूल जाते हैं कि उन लोगों ने घोषणा कर दी थी कि वे गिरफ्तार होना चाहते हैं। कानून को भंग करके वे स्वयं गिरफ्तार होते हैं। तो प्रश्न यह है कि किस बात पर चर्चा होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मन्त्री ने पूछा कि जिस सम्मेलन का मैंने सुझाव दिया है उसमें किस विषय पर चर्चा होगी। मेरा मतलब यही था कि इस प्रकार की बातें कही जाती हैं--केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के कारण खाद्य स्थिति खराब हो गयी है--अतः यदि माननीय मन्त्री ऐसी बातें कहने वालों तथा स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वालों को सम्मेलन में यह समझायें कि जो कुछ हमारे कार्य क्षेत्र में था हमने उसे अच्छी तरह अन्जाम दिया है तो शायद उन लोगों को सन्तोष हो जाये। इसके अतिरिक्त यदि कोई विधि और व्यवस्था का उल्लंघन करेगा तो राज्य सरकारें उसके विरुद्ध कार्यवाही अवश्य करेंगी। यही मेरा अभिप्राय था।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी**: खाद्य की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। हम खाद्य समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं तो स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने के सिवा हमारे पास और क्या उपाय है। समस्या को हल करने के लिए केन्द्र और राज्य द्वारा किये गये उपायों के बीच कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है और यहां संघ खाद्य मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है नों में बहुत विरोध है। इसका कारण यही है कि खाद्य समस्या को हल करने के लिए राज्य तथा केन्द्र में समन्वय का अभाव है। अतः खाद्य नीति में समन्वय का होना परम आवश्यक है। संघ खाद्य मन्त्री यदि कहें कि राज्य बाहर से खाद्यान्न का आयात कर सकते हैं तो यह एक विचित्र बात होगी। अतः जो गलतफहमी पैदा हो गई है उसे दूर किया जाना आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि खाद्य समस्या को लेकर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार पर तरह-तरह के आरोप लगा रही है तथा आन्दोलन की निन्दा कर रही है यह सब बन्द होना चाहिए। इसी कारण मैं चाहता हूं कि चर्चा हो।

†**श्री नाथपाई** (राजपुर) : मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी तो मैं माननीय सदस्य को अवश्य अवसर दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले माननीय सदस्यों को मैं पर्याप्त अवसर दे चुका हूं अब मैं माननीय मन्त्री को अवसर देता हूं।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ लोग समझते हैं कि हड़ताल और भूख हड़ताल द्वारा वे मन्त्री बन जायेंगे। पर यह धारणा गलत है। उन्हें सारी बातों पर पुनः विचार करना चाहिए हमें सहयोग से कार्य करना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैंने यह बात कभी नहीं कही कि खाद्य के मामले में केन्द्र का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। उस दिन जब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो आपने मुझ से कुछ प्रश्न पूछे थे। आपने एक प्रश्न यह पूछा था कि क्या यह केन्द्र का उत्तरदायित्व है कि वह राज्य की खाद्य सम्बन्धी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे।

मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया था, "नहीं" अनेक प्रश्न मुझ से पूछे गये और मेरा विश्वास है कि मैंने उनका जो उत्तर दिया वह संवैधानिक दृष्टि से सही था। हो सकता है माननीय मित्रों का दृष्टिकोण कुछ भिन्न हो।

यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के वक्तव्य तथा इस सभा में मेरे द्वारा कही गयी बातों को ध्यान से देखे तो दोनों बातों में कोई तात्विक अन्तर नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा है कि केन्द्र के कुछ उत्तरदायित्व हैं और राज्य के भी कुछ उत्तरदायित्व हैं। वह स्वीकार करते है कि कृषि राज्य सरकार के उत्तरदायित्व का विषय है और खाद्य स्थिति उत्पादन पर निर्भर होती है। कुछ मामलों के सम्बन्ध में हमने विधान बनाये हैं उनके सम्बन्ध में हमारा उत्तरदायित्व है।

आपने मेरे मंत्रालय तथा कुछ अन्य मन्त्रालयों से पूछा है कि इनके सम्बन्ध में राज्य का उत्तरदायित्व क्या है। और केन्द्र का उत्तरदायित्व क्या है। मैं इस सम्बन्ध में विवरण तैयार करवा रहा हूं। प्रश्न यह नहीं है कि मेरे और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के बीच मतभेद है बल्कि प्रश्न यह है संविधान की व्याख्या क्या की जाती है—कि केन्द्र का उत्तरदायित्व किस सीमा तक है। जहां तक केन्द्र के उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है उसके लिये मैं उत्तरदायी होऊंगा।

आपने दलों के नेताओं से बातचीत करने का सुझाव दिया। मैं आप को आश्वासन देता हूं कि मैं प्रतिदिन बातचीत व चर्चा करता आ रहा हूं। प्रधान मन्त्री खाद्य स्थिति पर चर्चा करने के लिए विरोधी दल के कुछ सदस्यों को बुलाया है। एक बार वे मिल चुके हैं और आज शाम को वे लोग दोबारा मिलेंगे। एक स्थायी समिति बनाई जाने वाली है जो समय-समय पर स्थिति पर विचार करेगी। हमने औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ढंगों से चर्चा की है और प्रत्येक सम्भव उपाय का सहारा लिया है। कल विरोधी दल के कुछ सदस्य, मैं और संसद् के कुछ अन्य सदस्य पश्चिमी बंगाल जा रहे हैं वहां के मुख्य मन्त्री से वहां की खाद्य स्थिति पर चर्चा करने के लिये मैं हर प्रकार की जानकारी देने के लिए तैयार हूं और मैं विरोधी दल के प्रत्येक सदस्य को सन्तुष्ट करने के लिए तैयार हूं कि हमने इस सम्बन्ध में क्या क्या काम किये हैं। यदि मेरी कोई गलती हो तो मुझे उत्तरदायी ठहराया जाये। मुझे कुछ उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। मैं विरोधी दल के सदस्यों को सारी जानकारी देने तथा उनसे चर्चा करने के लिये तैयार हूं। उन्हें बताना चाहिये कि वे किसी विशेष बात पर चर्चा करना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि वहां की विधान सभा में इस विषय पर वाद-विवाद हुआ था और उसमें मुख्य मन्त्री ने जो कुछ कहा उसका एक उद्धरण में दे रहा हूं। उन्होंने कहा:

> "अपने उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखते हुये मैं घोषणा करता हूं कि राज्य में कहीं भी अकाल की स्थिति नहीं है।
>
> दूसरे पक्ष ने जो भयावह चित्र खींचा है वह शतप्रतिशत गलत है।" आज के समाचार पत्र में पी० टी० आई० का एक समाचार है :
>
> "सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य के कई भागों में गेहूं और चावल के मूल्यों में कुछ कमी हो गयी है। गेंहूं के मूल्य में २ रुपये प्रति मन की कमी हुई है पर चावल के मूल्य में काफी कमी हो गई है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ माननीय सदस्यों ने अपने चुनाव क्षेत्रों का दौरा किया है। उनका कहना है—मैं देहरादून के माननीय सदस्य का उल्लेख करना चाहता हूं— कि हमारे प्रयत्नों के परिणामस्वरूप चावल के मूल्य में ६ ० से ८ रु० तक प्रतिमन की कमी हुई है और गेहूं के मूल्य में ४ ० प्रतिमन की कमी हुई है अतः स्थिति खराब होने के बजाय सुधरी है। यदि विरोधी दल हमें सहयोग दे तो स्थिति शीघ्रता से सुधर सकती है। हमने उत्तर प्रदेश के लिए गल्ला भेज दिया है। कुछ पहुंच गया है और कुछ पहुंच रहा है।

†**अध्यक्ष महोदयः** माननीय मन्त्री ने मुख्य मन्त्री के वक्तव्य को जो पढ़ कर सुनाया, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। केन्द्र का उत्तरदायित्व चाहे कुछ भी रहा हो पर खाद्य का संभरण तथा कृषि द्वारा उत्पादन राज्य का उत्तरदायित्व है। मुख्य मन्त्री का कहना है कि खाद्य संकट बिल्कुल भी नहीं है। फिर बहस करने को क्या रह जाता है? यदि राज्य में कोई अन्य गड़बड़ी हो तो राज्य सरकार काफी समर्थ है। पर मेरा तो यह कहना है कि केन्द्रीय सरकार खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में कहां तक उत्तरदायी है। यदि राज्य के मुख्य मन्त्री ने यह कहा होता कि केन्द्र द्वारा बाधायें उत्पन्न करने के परिणामस्वरूप यह संकट पैदा हुआ है तो मैं एक घण्टे ही नहीं सारे दिन के वाद-विवाद की अनुमति दे देता।

माननीय मन्त्री ने यू० पी० मुख्य मन्त्री के वक्तव्य का उद्धरण दिया। मैं मुख्य मन्त्री के वक्तव्य पर निश्चय ही अधिक विश्वास करता हूं। न तो कोई खाद्य संकट ही है और न केन्द्रीय सरकार की कहीं कोई गलती है। अतः इन परिस्थितियों में मैं स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री जवाहर लाल नेहरूः** मैं सभा नेता की हैसियत से कुछ कहना चाहता हूं। जिस विषय पर चर्चा हो रही थी उस पर आपने अपना विनिर्णय दे दिया है—अतः उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं सभा के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें कि हम अपने उद्देश्य को किस प्रकार अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं। हो सकता है कि जो कुछ हो रहा है उसके बारे में विरोधी दल बहुत चिन्तित हो। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि उत्तेजित होने से कोई लाभ नहीं होता। उत्तेजना तो हमें तर्क से बाहर ले जाती है और हम अधिक से अधिक उत्तेजित होते जाते हैं। इस सभा के लिए यह कोई शोभनीय बात नहीं है। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम सभी कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन हमारे सामने अनेक कठिनाईपूर्ण स्थितियां आती हैं और हमें उनका सामना करना होता है और असल में कठिन समस्याओं के हल करते समय ही सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम उत्तेजित न हों। हम कभी-कभी ऐसे अवसरों पर उत्तेजित होते हैं जब बात गम्भीर नहीं होती। यदि गम्भीर बात हो तो उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए; उत्तेजित नहीं होना चाहिए अतः मेरा इस सभा के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे इस मामले पर शान्तिपूर्वक विचार करें। जहां तक मेरा और मेरे सहकारियों का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य कोई जानकारी चाहें या कोई चर्चा करना चाहें तो हम हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। जिस मामले पर हम विचार कर रहे हैं उस के सम्बन्ध में बात ऐसी नहीं है कि नीतियों में कुछ मतभेद हो; थोड़ा बहुत मत भेद हो सकता है और कुछ आलोचना भी हो सकती है पर हमारे उद्देश्य एक ही हैं। अतः अनेक बातों के सम्बन्ध में बिना किसी विरोध के हम चर्चा कर सकते हैं और वास्तव में हम इसी नीति का भी अनुसरण कर रहे हैं। राज्य सरकारों से भी हमने इसी नीति का अनुसरण करने का अनुरोध किया है। यद्यपि कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिनके कारण यह काम कुछ कठिन हो गया है फिर भी हमारे लिये जब रचनात्मक काम करने की ज़रूरत हो तो हमें कोई विगठनात्मक काम नहीं करना चाहिये। अतः माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर वे यथासम्भव रचनात्मक और सहयोगपूर्ण

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ढंग से विचार करें और उन्हें जानकारी देने या उनके साथ चर्चा करने में सरकार उन्हें भरसक सहायता देगी और उन्हें सन्तुष्ट करेगी ।

†**श्री ही० ना० मुखर्जी :** विरोधी दलों की ओर से मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस मामले में उत्तेजित होने का प्रयत्न कभी नहीं किया । खाद्य मन्त्री स्वयं इस बात का प्रमाण देंगे कि हमारा रवैया सहयोगपूर्ण रहा है । खाद्य का मामला गम्भीर हो उठा था। इसी कारण हमने इसे यहां उठाया । यह हमारे साथ अन्याय है कि माननीय मन्त्री की जानकारी के सामने हमारी जानकारी को झूठ माना जाता है । ऐसी बातों से वातावरण उत्तेजित हो जाता है । सरकार का रवैया कई बार ऐसा होता है कि उससे उत्तेजना पैदा हो जाती है । मेरी इच्छा है कि माननीय मन्त्री यह स्मरण रखें कि देश में तनिक भी सहयोग नहीं है ।

†**श्री नाथ पाई :** यहां भी और राज्यों में भी हमारे दल के विरुद्ध अनेक बातें कही गयी हैं। चर्चा के दौरान आपने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे मुझे बहुत दुःख हुआ। उत्तर-प्रदेश के मुख्य मंत्री के भाषण के कुछ उद्धरण दिये गये जो परस्पर विरोधी हैं। आपने कहा कि अतिरिक्त क्षेत्र से गल्ला इकट्ठा करके कमी वाले क्षेत्र में बंटवाना केन्द्र का उत्तरदायित्व है । क्या यह मामला ऐसा समझा जाये जिसके लिये न केन्द्र उत्तरदायी है और न राज्य क्योंकि दोनों ही जिम्मेदारी एक-दूसरे पर थोप रहे हैं। इसलिये यह प्रश्न उठाया गया है ।

आप ने कहा कि हम इस मामले की आड़ में राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं है । उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता तथा केन्द्र द्वारा जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करना—हमें मजबूर करते हैं कि हम इस मामले को उठायें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** खाद्य की समस्या किसी दल विशेष की समस्या नहीं है यह सबकी समस्या है ।

अतः इस बात पर झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि माननीय मंत्री की जानकारी सही है या माननीय सदस्यों की, एक पुरानी परिपाटी है कि यदि दोनों पक्षों की जानकारी विरोधी हो तो सरकार की जानकारी सही मानी जाती है। राज्य के मुख्य मंत्री का वक्तव्य है कि राज्य में खाद्य संकट नहीं है।

†**श्री जयपाल सिंह** ((रांची पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : अभी आपने कहा कि सरकारी बात सदैव सच मानी जायेगी मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं । चाहे मंत्री का वक्तव्य हो या अन्य किसी का तो क्या हमें उनकी बात को चुनौती देने का हक नहीं है । क्या हमें उस पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है । आपके कहने के अनुसार तो माननीय मंत्री जो कहें हमें उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिये । जब एक बार आप किसी प्रश्न या विषय को यहां चर्चा के लिये स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं सभा के सामने अपनी जानकारी रखूं और यह जरूरी नहीं कि हमेशा सरकार की बात ही ठीक हो ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अभी कुछ दिनों पूर्व केरल राज्य का मामला हमारे सामने था । उस समय आपने वहां के मुख्य मंत्री की बात को सही नहीं माना था । इस मामले में आप मुख्य मंत्री की बात को सही मानते हैं । दो मामलों में बिल्कुल विरोध विनिश्चय क्यों ?

†**अध्यक्ष महोदय :** दोनों बातों में अन्तर है । जब यहां कोई मंत्री कोई वक्तव्य देता है और माननीय सदस्य उस का विरोध करना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्यों को अवसर देता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं माननीय मंत्री के वक्तव्य को ही सारा महत्व नहीं देता क्योंकि सभा का स्थान उनसे बड़ा है । पर जहां पर किसी एक माननीय सदस्य और सरकार के वक्तव्य का प्रश्न उत्पन्न होता है वहां इस सभा की यही प्रथा है कि सरकार के वक्तव्य को सही माना जाये ।

अतः यह मामला यहीं सामाप्त होता है ।

दो सदस्यों की गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे देवरिया के ज़िलाधीश का ६ सितम्बर, का निम्नलिखित संदेश मिला है :—

"श्री राम जी वर्मा, सदस्य, लोक-सभा , को देवरिया नगर में एक सार्वजनिक सभा में १९–१५ बजे भाषण देने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा ११७ के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया है । इस भाषण में उन्होंने जनता को अपने उन आदमियों की सहायता करने के लिये भड़काया था, जो टोलियों में सरकारी अनाज के गोदामों पर धावा बोलेंगे और, यदि उन्हें अधिकारी अनाज के गोदाम लूटने का अपराध करने से नहीं रोकेंगे, तो उनमें से अनाज निकाल कर अपने आदमियों को बांटेंगे । कल चूंकि उनसे शांति भंग होने की भारी आशंका थी, उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के अधीन हिरासत में ले लिया गया है । उन्हें देवरिया जिला जेल में रखा गया है ।"

मुझे सभा को यह भी सूचना देनी है कि मुझे आज़मगढ़ ज़िले में घोसी के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट का ७ सितम्बर, १९५८ का निम्नलिखित तार मिला है :—

"श्री सरजू पाण्डे, सदस्य, लोक-सभा को कोपागंज, जिला आजमगढ़, में ६–१५ म० प० बजे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१/११७/१०७ के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया और जिला जेल आजमगढ़ में रखा गया है । उनकी गिरफ्तारी के बारे में औपचारिक सूचना अलग से भेजी जा रही है ।"

दो सदस्यों को सजा

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे मद्रास के द्वितीय प्रैजीडेंसी मजिस्ट्रेट का ४ सितम्बर, १९५८ का निम्नलिखित पत्र मिला है :—

"मुझे यह सूचना देनी है कि श्री धर्मलिंगम् और श्री सम्पत्, सदस्य, लोक-सभा पर द्वितीय प्रैसीडैंसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मेरे सामने मद्रास के पुलिस कमिश्नर द्वारा दिये गये निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में, जोकि मद्रास सिटी पुलिस अधिनियम की धारा ४१ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, अभियोग चलाया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

३ सितम्बर, १९५८ को १९ दिन तक अभियोग चलाने के पश्चात् मैंने उन्हें उक्त आरोप का दोषी पाया और प्रत्येक को २५ रुपये जुर्माना देने अथवा जुर्माना न देने पर दो सप्ताह की सादी कैद की सजा दी। अभियुक्तों ने जुर्माना नहीं दिया है और इसलिये उन्हें जुर्माना न देने के कारण सजा भुगतने के लिये मद्रास की सैंट्रल जेल में भेज दिया गया है।"

सभा पटल पर रखे गये पत्र

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९, की उपधारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २३ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[**पुस्तकालय में रखी गई।** देखिये संख्या एल०टी०—८९८/५८]

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

श्री ब० रा० भगत: मैं समुद्र, शीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(१) जी० एस० आर० संख्या ७३०, दिनांक २३ अगस्त, १९५८।

(२) जी० एस० आर० संख्या ७३१, दिनांक २३ अगस्त, १९५८ जिसमें सीमाशुल्क प्रत्याहृत (कार्ड स्टेन्ज) नियम, १९५८ दिये हुये हैं।

[**पुस्तकालय में रखी गईं।** देखिये एल० टी०—८९९/५८]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं १ सितम्बर, १९५८ को सभा में दी गई सूचना के बाद चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा ४ सितम्बर, १९५८ को अनुमति प्राप्त खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक १९५८ को सभा पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर की शुद्धी

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : श्रीमान्, वित्त मंत्री की ओर से मैं भारत-पाकिस्तान वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में १३ अगस्त, १९५८ को रखे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८० के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में दी गई जानकारी में एक ग़लती को ठीक करना चाहता हूं ।

श्री दामानी द्वारा एक अनुपूरक प्रश्न पूछा गया था कि "कुल मिला कर हमें पाकिस्तान से कितनी राशि लेना है ।" इस के उत्तर में वित्त मंत्री ने यह बताया* था :—

> "मुख्य मदें चार हैं : एक में ५० करोड़ रुपये हैं; दूसरी में ४९ करोड़ रुपये हैं, तीसरी में २३ करोड़ रुपये हैं और चौथी में १६·५ करोड़ रुपये हैं। अन्य भी कई छोटी मदें हैं जिनके अनुमानित आंकड़े मैं बता नहीं सकता हूं ।"

दूसरी मद अर्थात् ४९ करोड़ रुपये भारत को पाकिस्तान से नहीं लेने हैं अपितु यह राशि पाकिस्तान भारत के रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग की आस्तियों पर भारत से मांगता है। यह बात ५ सितम्बर, १९५० को उस समय के वित्त मंत्री, श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने भारत, पाकिस्तान वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में एक विस्तृत वक्तव्य देते हुये बताई थी । यह वक्तव्य उन्होंने भारत द्वारा पाकिस्तान को देय धनराशि के सम्बन्ध में पाकिस्तान के वित्त मंत्री द्वारा दिये गये वक्तब्य की ओर श्री वासनिक के ध्यान दिलाये जाने पर बताई थी ।

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक**

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : "मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की कुछ शर्तों का विनियमन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवा की कुछ शर्तों का विनियमन करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं विधेयक को प्रास्थापित†† करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*यह उत्तर श्री मोरार जी देसाई ने तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के अन्त में तारांकित प्रश्न संख्या ८० के सम्बन्ध में दिये गये अपने पहले उत्तर को शुद्ध करने के लिये दिया था ।

**भारत के असाधारण गज़ट भाग २ अनुभाग २ दिनांक ८–९–५८ में प्रकाशित ।

†† राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पुरस्थापित हुआ ।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक*

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना तथा उसके कार्य संचालन के लिये, जहां तक उस निगम के पद, उसकी उन्मुक्तियों तथा उसके विशेषाधिकारों का सम्बन्ध है और तत्सम्बन्धी मामलों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय करार को कार्यान्वित करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना तथा उसके कार्य-संचालन के लिये, जहां तक उस निगम के पद, उसकी उन्मुक्तियों तथा उसके विशेषाधिकारों का सम्बन्ध है, और तत्संबन्धी मामलों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय करार को कार्यान्वित करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : मैं विधेयक को पुरस्थापित ** करता हूं ।

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्काशन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, आगे विचार करेगी ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : अध्यक्ष महोदय मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता । मेरे लिये इस समय हस्तक्षेप करना इसलिये जरूरी हो गया है ताकि मैं इस विधेयक के उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों के मन में पैदा हो गई भ्रान्ति को दूर कर सकूं । मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे मित्र श्री ठाकुर दास भार्गव आदि के मन में इस विधेयक के उपबन्धों तथा उद्देश्यों के बारे में क्यों गलतफहमी पैदा हो गई है ।

माननीय सदस्यों के इस बात का स्मरण होगा कि यह विधेयक किन कारणों से पुरःस्थापित किया गया है । पुराने अधिनियम में अनधिकृत कब्जाधारियों को सरकारी भूगृहादि से संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बाहर निकालने का अधिकार दिया गया था किन्तु उसमें उनकी जांच करने का कोई उपबन्ध नहीं था । उस अधिनियम को कलकत्ता, इलाहाबाद और पंजाब के उच्च न्यायालयों द्वारा असंविधानिक करार दिया गया है । दो उच्च न्यायालयों ने यह कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद १९ का उल्लंघन करता है और इलाहाबाद उच्चन्यायालय ने यह भी कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद १४ का भी उल्लंघन करता है । इन कठिनाइयों के कारण सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के गजट भाग २ अनुभाग २ दिनांक ८-९-५८ में प्रकाशित ।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित हुआ ।

जहां तक सरकारी सम्पत्ति के लिये एक पृथक् विधि बनाने की आवश्यकता का प्रश्न है इस के बारे में किसी को सन्देह नहीं होना चाहिये। क्योंकि पहले भी अनेक सरकारी विषयों के बारे में पृथक् विधियां बनी हुई हैं? जैसे सरकारी रकम वसूली अधिनियम। यह अधिनियम इसलिये बनाया गया है ताकि राजस्व आदि की शीघ्रता से वसूली की जा सके तथा इस की उगाही में अनावश्यक देरी न हो। इसी तरह सरकारी भूगृहादि भी अपने आप में एक भिन्न श्रेणी है। उनको खाली कराने के लिये सरकार सामान्य विधि प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। इस लिये ऐसी सम्पत्ति के लिये सरकार को एक पृथक् विधि बनाने का पूरा अधिकार है। हमारे इस विधेयक का भी यही उद्देश्य है कि सरकारी भूगृहादि को अनाधिकृत रूप से रहने वाले लोगों से कैसे शीघ्रता से खाली कराया जा सके। इस में संविधान अथवा विधि का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह प्रश्न हमारी आवश्यकता का प्रश्न है। हां, इस उद्देश्य के लिये हम इस विधेयक में जिस प्रक्रिया का उपबन्ध करना चाहते हैं उसके बारे में वैधिक अथवा संविधानिक औचित्य का प्रश्न अवश्य उठाया जा सकता है।

विधेयक के खंड ४ में इस प्रक्रिया का उपबन्ध किया गया है। यह प्रक्रिया किसी भी उत्तरदायी अधिकारी की यह राय होने पर कि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुये है प्रवर्त्तन में लाई जा सकती है। इस सम्बन्ध में मैं एक गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं। कई सदस्यों ने यह कहा है कि यदि यह कार्यवाही सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा आफिसर इन-चार्ज द्वारा सत्यनिष्ठा से राय दिये जाने के बाद प्रारम्भ की गई हो तब इस कार्यवाही का न्यायालय में विरोध किया जा सकता है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बात ऐसी नहीं है। अब यह बात सर्वमान्य हो चुकी है, तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकार की जा चुकी है कि कोई कार्यवाही केवल मात्र इसी आधार पर कि वह किसी अधिकारी को सद्भावपूर्ण राय पर शुरू की गई है। संविधान के अनुच्छेद १४ अथवा १९ का उल्लघंन करने वाली कार्यवाही नहीं मानी जा सकती है। यह सिद्धान्त अब निर्विवाद बन चुका है। इस बात के स्पष्ट हो जाने पर तब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या इस प्रकार की प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसे पर्याप्त परित्राण हैं अथवा नहीं जो कि सरकारी सम्पत्ति सम्बन्धी प्रक्रिया को सम्पत्ति संधारण के अधिकार पर अनुचित प्रतिबन्ध लगाने वाली प्रक्रिया की श्रेणी में नहीं आने देंगे। इस प्रकार हमारे सामने यह सवाल नहीं उठता कि क्या यह कार्यवाही अधिकारी की सद्भावनापूर्ण राय के बाद शुरू की गई है अथवा अन्यथा। परन्तु, हमें यह देखना है कि एक बार जब अधिकारी द्वारा ठीक ठीक राय बना ली जाती है उसके बाद जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है क्या वह उचित है अथवा नहीं। सब सदस्यों को भली भांति यह समझ लेना चाहिये कि कार्यवाही का प्रारम्भ किसी अधिकारी की सद्भावपूर्ण राय पर ही होता है। इसमें कोई वैधिक अड़चन नहीं हो सकती। इस प्रकार से प्रारम्भ की जाने वाली कार्यवाही का न्यायालय में विरोध नहीं किया जा सकता है।

मैं यह बात इसलिये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति यह न कहे कि पहले सरकार ने यह कहा था कि अधिकारी की सद्भावना पूर्ण राय पर प्रारम्भ की जाने वाली कार्यवाही का भी न्यायालय में विरोध किया जा सकता है।

इस विधेयक के अन्तर्गत निहित प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने सन्देह प्रकट किये हैं तथा इसके औचित्य के बारे में कई आपत्तियां उठाई हैं। इन के उत्तर में मैं वर्तमान विधेयक व पुराने अधिनियम की प्रक्रियाओं की तुलना करना चाहता हूं ताकि दोनों का अन्तर स्पष्ट हो

†मूल अंग्रजी में

[श्री अ० कु० सैन]

सके। इस विधेयक में पीड़ित पक्ष की सुनवाई करना व उसे नोटिस देना आवश्यक बना दिये गये हैं जब कि पुराने अधिनियम में यह दोनों बातें अधिकारी के स्वविवेक पर छोड़ दी गई थीं। पुराने अधिनियम में इस सम्बन्ध में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों की अर्हताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। किन्तु वर्तमान विधेयक के अनुसार धारा २ और ३ को साथ साथ पढ़ने से स्पष्ट हो जायेगा कि अब केन्द्रीय सरकार केवल राजपत्रित अधिकारियों को ही इस काम के लिये नियुक्त कर सकती है। अब क्योंकि यह उत्तरादायी अधिकारी होंगे इसलिये ये अधिकारी अवश्य सम्बन्धित पक्षों को नोटिस देंगे व उनकी ठीक ठीक सुनवाई करेंगे। पुराने अधिनियम के अनुसार अधिकारियों की उपपत्तियों व निर्णयों के विरुद्ध केवल एक अपील की जा सकती थी और वह भी केन्द्रीय सरकार को किन्तु वर्तमान विधेयक में खंड ६ में इस विषय में पर्याप्त परित्राण रख दिये गये हैं। अब यदि कोई राजपत्रिका अधिकारी अपने निर्णय में कहीं पर गलती भी कर दे तो उसके विरुद्ध एक निष्पक्ष न्यायिक अधिकारी को जो कि स्वत्वाधिकार तथा अन्य विधि सम्बन्धी प्रश्नों का निश्चय करने के लिये सक्षम हो, अपील करने का उपबन्ध किया गया है। यह अपील जिला न्यायाधीश के यहां होगी। और एक बार जिला न्यायाधीश के पास मामला चला जाने से उससे ऊपर के न्यायालयों में भी अपील का मार्ग खुल जाता है। इस प्रकार इस विधेयक द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण व अपील द्वारा पुनरीक्षण के लिये एक मशीनरी बना दी गई है। पुराने अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।

माननीय सदस्यों को इस नये विधेयक में तीन नई बातें दिखाई देंगी। नये विधेयक में पिछले अधिनियम की कमियों को पूरा कर दिया गया है। ये तीन बातें इस प्रकार हैं। एक इस विधेयक के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर में जो अधिकारी निर्णय देंगे वे अब उत्तरदायी अधिकारी होंगे और राजपत्रित अधिकारी होंगे। दूसरी अब सारी प्रक्रिया को नैसर्गिक न्याय व न्यायिक सिद्धान्तों के अनुकूल बना दिया गया है जैसे अब सम्बन्धित पक्षों को 'नोटिस' देना जरूरी होगा और फिर उनकी सुनवाई करना भी जरूरी है। तीसरे, अब अपील के लिये उचित मशीनरी बना दी गई है। अब उस मशीनरी के माध्यम से कोई व्यक्ति सामान्य विधि के अन्तर्गत ऊंचे से ऊंचे न्यायालय तक पहुंच सकता है। क्योंकि माननीय सदस्यों को पता है कि हम संविधान २२६ तथा २२७ के कारण किसी भी संविधानिक अथवा विधि-विषय पर अपील के अधिकार को नहीं रोक सकते और संविधान के इन अनुच्छेदों के अनुसार प्रक्रिया में इस सम्बन्ध में जो भी त्रुटियां अथवा दोष रह जायेंगे उनके बारे में हमेशा न्यायालयों में अपील की जा सकेगी।

श्रीमान् मैंने संक्षेप में इस विधेयक के उद्देश्यों का यहां पर उल्लेख किया है। हमें आज यह देखना है कि क्या इस विधेयक के अन्तर्गत जो प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है उसमें हमने उच्च न्यायालयों द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों का निराकरण कर दिया है अथवा नहीं? मेरा विचार है कि हमने जो परिवर्तन किये हैं वे पर्याप्त हैं और अब यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद १९ अथवा १४ का किसी भी भांति उल्लंघन नहीं करता।

जिस समय यह विधेयक संयुक्त समिति के सम्मुख था उस समय भी कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक की संविधानिकता के सम्बन्ध में संदेह प्रकट किये थे। तब यह उचित समझा गया कि इस सम्बन्ध में भारत के महा-अभ्यर्थी के विचार सुने जायें। उन्होंने समिति के सम्मुख स्पष्ट रूप से कहा है कि अब इस विधेयक में पहले जैसी कोई त्रुटि नहीं रही है।

---

†मूल अंग्रजी में

इन शब्दों के साथ मैं इस सभा से सिफारिश करूंगा कि वह इस विधेयक के बारे में सभी भ्रान्तियों को दूर करके इस विधेयक को स्वीकार करने का प्रयास करे ।

†**श्री महन्ती** (ढ़ेकानाल) : श्रीमान् इस विधेयक पर वाद विवाद का एक निराला ढंग रहा है। इस विधेयक का सत्तारूढ़ तथा विरोधी दोनों पक्षों के सदस्यों ने विरोध किया है। मैंने पिछले ६ वर्ष में कोई ऐसा विधेयक नहीं देखा जिसका इस प्रकार से दोनों पक्षों के सदस्यों ने विरोध किया हो ।

इस विधेयक के बारे में हमने विधि मंत्री तथा उपमंत्री के भाषण सुने हैं। मगर उनमें से कोई भी इस बात का समाधान नहीं कर सका है कि इतनी विधियों के रहते हुये इस विधेयक की क्या विशेष आवश्यकता थी ? यद्यपि माननीय विधि मंत्री ने इतने तर्क उपस्थित किये हैं तथापि मैं अब भी यह कहने को तैयार हूं कि यह विधेयक स्पष्टतया संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन करता है ।

खंड २ के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा किसी भी प्रकार के पट्टे को रद्द कर सकता है। हम एक राजपत्रित अधिकारी को इतने बड़े अधिकार दे रहे हैं कि वह ९९ वर्ष की अवधि तक के पट्टे को रद्द करके इस विधि के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है। सम्पदा अधिकारी ऐसे अधिकारों का कभी भी दुरुपयोग कर सकता है ।

माननीय विधि मंत्री ने जो यह कहा है कि अपने वर्तमान रूप में यह विधेयक अब संविधान के अनुच्छेद १९ का उल्लंघन नहीं करेगा मैं उनके तर्क से तनिक भी सन्तुष्ट नहीं हो सका । मैं समझता हूं अब भी इस में वह कमी बनी हुई है। जिसके कारण पुराने अधिनियम को असंविधानिक करार दिया गया है ।

जहां तक संविधान के अनुच्छेद १४ तथा पुराने अधिनियम का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं समझता हूं उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि "यहां सरकारी सम्पत्ति व गैर-सरकारी सम्पत्ति के वर्गीकरण का प्रश्न नहीं। प्रत्युत यह अधिनियम सरकारी भूगृहादि में अनधिकृत रूप से रहने वाले व्यक्तियों व अन्य भूगृहादि में अनधिकृत रूप से रहने वाले व्यक्तियों को निकालने के लिये दो भिन्न भिन्न विधियां निर्धारित करने वाला है इसलिये यह 'विधि के समक्ष समता' के मूलाधिकार अर्थात् अनुच्छेद १४ का उल्लंघन करता है। और वर्तमान अधिनियम में भी वही बात बनी हुई है। इस लिये मैं समझता हूं इस विधेयक को पास करने में कोई लाभ नहीं है ।

विधि मंत्री ने महाअभ्यर्थी का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि बड़ा प्रयत्न करने पर भी महा अभ्यर्थी संयुक्त समिति को यह यकीन नहीं दिला सके कि यह बिल कैसे संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने अंत में यहां तक कहा था कि अभी यह विषय उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। हम उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उस निर्णय पर आप को पता चल जायेगा कि यह अधिनियम अनुच्छेद १४ का उल्लंघन नहीं करता है । इस प्रकार उन्होंने सारी बात उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर छोड़ दी थी । मैं जानना चाहता हूं कि उस वाद का क्या हुआ तथा इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

कल इस विधेयक पर बोलते हुये एक सदस्य ने कहा था कि यह विधेयक बड़ी विस्तृत व्याप्ति वाला विधेयक है और इस सम्बन्ध में उन्होंने उड़ीसा का उदाहरण दिया था जहां पर कि यह अधिनियम लागू किया गया है। उस समय माननीय उप-मंत्री महोदय ने यहा हस्तक्षेप करते हुये कहा था कि यह विधेयक रूरकेला या हीराकुंड इत्यादि योजनाओं के लिये राज्य सरकार द्वारा अर्जित की जा रही भूमियों से कोई सम्बन्ध नहीं रखता।"

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री अ० कु० चन्दा)** : क्या यह भूमियां अर्जित की गई हैं या राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ के अंतर्गत अधिगृहीत की गई हैं ?

†**श्री महन्ती** : मैं अभी इस ओर आता हूं। मेरा तात्पर्य यह है कि उपमंत्री महोदय का यह कहना था कि क्योंकि हीराकुड व रूरकेला आदि के लिये भिन्न राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत भूमियां अधिगृहीत की गई हैं इसलिये इस विधेयक का उन से कोई सम्बन्ध नहीं है . . .

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि वह अर्जित नहीं की गई हैं बल्कि भूमि अधिग्रहण अधिनियमों के अन्तर्गत अधिगृहीत की गई हैं। अधिग्रहण और अर्जन में बड़ा अन्तर है ।

†**श्री महन्ती** : इस में कोई अन्तर नहीं पड़ता। क्योंकि राज्य सरकार आपके अर्जन करने के लिये ही अधिग्रहण करती है। मेरा निवेदन है कि यह विधेयक कहीं पर भी सरकारी भूगृहादि के बारे में लागू हो सकता है। इस सभा में निर्माण, आवास और संभरण मंत्री श्री रेड्डी द्वारा १८ मार्च को दिये गये भाषण से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यह विधेयक सारे भारतवर्ष में कहीं पर भी लागू हो सकता है। माननीय उपमंत्री महोदय का कथन है कि राज्य सरकारें भूमि का अधिग्रहण करती हैं और यह विधेयक भूमियों के अर्जन के सम्बन्ध में है। मैं समझता हूं इन दोनों में विशेष भेद नहीं। क्योंकि केन्द्रीय सरकार के अर्जन के हेतु ही राज्य सरकारें भूमियों का अधिग्रहण कर रही हैं। इस लिये हमें यह देखना है कि इन भूमियों से निष्कासित किये जाने वाले व्यक्तियों को उचित मुआवजा तथा वैकल्पिक स्थान देने के उपरान्त ही निष्कासित किया जाये। हीराकुड परियोजना के लिये अर्जित की गई भूमि को लिये हुये आज १० वर्ष हो गये हैं किन्तु उन लोगों को आज प्रतिकर नहीं दिया गया है।

[**श्री मुहम्मद इमाम** पीठसीन हुए]

आज सरकार उन्हें अपने घरों से बाहर निकालने के लिये एक नया कानून बनाने जा रही है। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों तथा अपना घर बार छोड़ कर हिन्दोस्तान में आने वाले शरणार्थियों को जिन्होंने कि अपने रक्त तथा बलिदान से हमारी स्वतन्त्रता को सुदृढ़ बनाया है। विशेष छूटें दी जानी चाहियें ।

इस विधेयक की एक अन्य त्रुटि यह है कि इसमें सम्पदा अधिकारी स्वयं ही यह शिकायत करेगा कि अमुक व्यक्ति अनधिकृत रूप से कब्जा धारण किये हुये हैं, वह अनधि प्रवेशकर्ता है और फिर उसको ऐसा नोटिस देने के बाद स्वयं ही उसके मामले की सुनवाई करेगा कि आया वह सचमुच ऐसा है अथवा नहीं। यह बात नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। एक पक्ष स्वयं ही कैसे न्यायकर्ता हो सकता है ? फिर सम्पदा अधिकारी केवल राजपत्रित अधिकारी होगा। उसके लिये न्यायिक अनुभव की कोई शर्त नहीं रखी गई है। ऐसी दशा में उससे कहां तक न्याय की आशा

†मूल अंग्रेजी में

की जा सकती है? विधेयक का खंड ९ अब भी संविधान द्वारा सम्पत्ति के संधारण के मूलाधिकार का उल्लंघन करता है। क्योंकि इसके अन्तर्गत कोई भी सम्पदाधिकारी किसी भी अवधि के पट्टे को रद्द कर सकता है।

शरणार्थियों के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार को श्री गाडगिल द्वारा शरणार्थियों को दिये गये आश्वासनों को परिनियमित रूप से मान्यता देनी चाहिये। अन्यथा वे आश्वासन केवल कागजी आश्वासन मात्र रह जायेंगे।

श्रीमान्, सच तो यह है कि अभी तक किसी भी सदस्य ने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह कैसा विधेयक है। मैं इस विधेयक का प्रत्येक प्रकार से विरोध करता हूं और मुझे यह सुन कर बड़ी खुशी होगी कि इस विधेयक को कूड़े में फैंक दिया गया है।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं कुछ मिनटों के लिये बीच में बोल कर कुछ बातों की व्याख्या करना चाहता हूँ ताकि श्री महन्ती का भ्रम निवारण कर सकूं। सम्पदा अधिकारी द्वारा पट्टे को रद्द करने का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वास्तव में यदि हम उनको यह अधिकार दे दें तो अगले ही क्षण इस विधि को समाप्त किया जा सकता है क्योंकि मुआवजा दिये बिना आप किसी की सम्पत्ति भी नहीं ले सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि हम किसी की पट्टेदारी को लेंगे और मुआवजे की व्यवस्था नहीं करेंगे। यदि माननीय सदस्य अच्छी प्रकार से खंड २ (ङ) को देख लेते तो उन्हें पता चलता कि उसके अन्तर्गत अनधिकृत कब्जे की परिभाषा भी दी गयी है। अनधिकृत कब्जा वह है जो पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भी जारी रहता है। पट्टे के होते हुये तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। इसके लिये तो उसके अधिकारों को अर्जित कर उसे मुआवजा देना पड़ता है। माननीय सदस्य ने दोनों बातों को एक साथ लेने का यत्न किया है। जिससे संदर्भ अस्पष्ट हो गया है।

अगली बात यह है कि विधि के अनुसार निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने पर पट्टा भी समाप्त होता ही है और इसके बाद भी यदि पट्टेदार कब्जा जारी रखे तो वह अनधिकृत है। दूसरे यह कि समय समाप्त होने से पूर्व ही पट्टे का निर्णय कर दिया जाता है। यदि कुछ समय का पट्टा हो तो या तो दे दिया जाता है अथवा जब्त कर लिया जाता है। यदि मासिक पट्टेदारी हो तो पट्टा अदा करने की अधिसूचना दी जाती है। अनधिकृत कब्जाधारी तो कोई व्यक्ति तभी होता है जब कि उसके पट्टे के सम्बन्ध में कोई निर्णय हो गया हो। यदि पट्टा चल रहा हो तो सम्पदा अधिकारी को कोई अधिकार देने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। हम यह अधिकार नहीं रखते कि ९० वर्ष के पट्टों के मामलों में भी वह बिना मुआवजा दिये उन्हें रद्द कर सके। यदि कोई विवाद हो तो पंच फैसले और अपील की व्यवस्था है।

जहां तक ९९ वर्ष के पट्टे को रद्द करने का प्रश्न है, इसे केवल विशेष सहायता अधिनियम की धारा ३९ के अन्तर्गत अदालत ही रद्द कर सकती है। यहां रद्द करने के कोई अधिकार नहीं। यहां तो हमने पंच फैसले की व्यवस्था की है। ताकि यह पता लग सके कि क्या कब्जा अनधिकृत है या नहीं। यह निर्णय हो जाने के बाद सम्पदा अधिकारी निर्णय करेगा। यदि इससे भी पीड़ित पक्ष सन्तुष्ट न हो सका तो उसे जिला

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० कु० सेन]

न्यायाधीश और फिर उच्च न्यायालय में जाने का पूर्ण अधिकार है। इस सम्बन्ध में कलकत्ता और पंजाब के उच्च न्यायालयों में जो आपत्तियां प्रस्तुत की थीं उसमें यही था कि हमने, पंच फैसला करने की कोई व्यवस्था नहीं की और सारा कुछ कार्यभार सम्पदा अधिकारी के स्वविवेक पर छोड़ दिया है। उसे अपनी मर्जी से यह निर्णय करने का अधिकार दे दिया था। इन्हीं कारणों से तो पुराने अधिनियम को उन न्यायालयों ने रद्द कर दिया। और यही बात मैं प्रातः भी कहना चाहता था कि इन्हीं कारणों से ही कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस पुराने अधिनियम की निन्दा की है हमने इन तीन व्यवस्थाओं का उपबन्ध किया है।

प्रश्न यह कि सम्पदा अधिकारी पक्षों की बात सुनने से इन्कार नहीं कर सकता। वह इसे संक्षेप कार्यवाही से निर्धारित नहीं कर सकता। परन्तु यदि वह भूल करता है तो जिला न्यायाधीश के पास उसके निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती है। और इसके बाद भी यदि दूसरी ओर के पक्ष की संतुष्टि न हो तब वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। अब यह देखना है कि हम कहां तक ठीक हैं? यदि हमारी कार्यवाही ठीक सिद्ध हुई तो यह अधिनियम चलेगा ही अन्यथा अदालत इसे रद्द कर ही देंगी।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक): मैं विधेयक का विरोध करता हूँ। आज हज़ारों ग्रामों में रहने वाले लोग जंगलों में पड़े हैं और उनका कोई घर बार नहीं। उन्हें जब ग्रामों में कोई काम नहीं मिलता तो काम की खोज में वे नगरों में आ जाते हैं। शहर में उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, अतः जहां भी उन्हें खाली स्थान दीखता है वहां ही वे झोंपड़ी बना कर रहने लगते हैं। इनमें बहुधा ऐसे श्रमिक होते हैं जो भवन निर्माण कार्य में श्रमिकों का काम करते हैं। कुछ रिक्शा और तांगा चलाने वाले भी होते हैं। जैसे तैसे अपनी रोजी कमा कर, बड़ी शोचनीय अवस्था में छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं। कांग्रेस वालों को, जो कि आज सरकार सम्भाले बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ उनका तो यह नारा होता था कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा। परन्तु अब तो इन गरीब आदमियों को बेघर किया जा रहा है। इस कानून के बनते ही जब भी सम्पदा अधिकारी चाहेगा उन गरीबों को बेदखल कर देगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि जब तक उनके रहने के लिये किसी अन्य स्थान की व्यवस्था न की जाये तब तक उनकी बेदखली नहीं करनी चाहिये।

ये मज़दूर अधिकतर अनुसूचित अथवा अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से ही सम्बन्धित हैं। यदि इन्हें बेदखल कर दिया गया तो यह कहां जायेंगे। इससे तो उलटे सरकार की कठिनाइयां और भी बढ़ जायेंगी। अतः मैं सुझाव देता हूं कि सरकार इस विधेयक को वापस ले ले। अन्यथा समाज के बहुमत द्वारा इसे रद्द कर दिया जाये। मेरा सुझाव यह है कि खाद्य की कमी के कारण जिस प्रकार सरकार ने अनाज का राशनिंग कर दिया था, उसी प्रकार मकानों पर भी नियंत्रण करके उनका विभाजन सा कर दिया जाना चाहिये। यह विधेयक अनावश्यक है। इससे स्थिति अधिक खराब हो जाने की आशंका है।

श्री जाधव (मालेगांव): सभापति महोदय, यह जो बिल सदन के सामने है इसके ज़रिए गवर्नमेंट यह कानूनी अधिकार प्राप्त करना चाहती है कि दिल्ली में और अन्य जगहों

---

†मूल अंग्रेजी में

पर जहां कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर लोगों ने गैरकानूनी कब्ज़ा किया हुआ है उन जगहों को सरकार खाली कराके अपने कब्जे में ले और वहां पर जो शानदार इमारतें या बैरेक्स बनाने की इच्छा गवर्नमेंट के सामने है वह बहुत अच्छी इच्छा है। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूं हांलाकि गवर्नमेंट इस बात की तरफ दूसरे नज़रिये से देखेगी और मैं इस मौक़े पर गवर्नमेंट के सामने यह बात लाने की कोशिश कर रहा हूं कि गवर्नमेंट को किस चीज़ की तरफ पहले देखना चाहिये था।

अभी अभी पार्लियामेंट के एक माननीय सदस्य ने कहा कि कांस्टीट्यूशन ने हमें यह गारन्टी दी है और कहा है कि कम से कम हमारे यहां के जो लोग हैं, हिन्दुस्तान के बसने वाले, उनकी जो बुनियादि बातें हैं, उनकी तरफ़ गवर्नमेंट पहले देखेगी चाहे वह अनाज का सवाल हो, चाहे रहने का इन्तजाम हो, चाहे कपड़ा हो, एजुकेशन हो या दवादारू हो, इन चीजों की तरफ़ गवर्नमेंट सबसे पहले देखेगी। मैं यह भी समझ सकता हूं कि हमारी दिल्ली में बहुत बड़ी पैलेशिएल बिल्डिंग्स बनें लेकिन हमारे हिन्दुस्तान का नक़शा जो आज दिखता है वह आज का नहीं बहुत पहले से यही है कि हिन्दुस्तान में एक तरफ़ बहुत बड़ी पैलेशिएल बिल्डिंग हैं और उसके पास में एक छोटी सी झोंपड़ी है, यह नक्शा हमेशा रहा है और यदि यह नक़शा हमेशा रहे तो उसके लिए हमें दुखी भी नहीं होना चाहिए। बाहर के लोग जो यहां आयेंगे और इस नक़शे को देखेंगे तो वे कहेंगे कि क्या यही हिन्दुस्तान है कि इसमें इधर तो एक बहुत बड़ा आलीशान महल खड़ा है और उसके पास में एक झोंपड़ा है। इससे हम में कुछ ऐसी बात पैदा नहीं होनी चाहिए कि दूसरे लोग क्या कहेंगे?

जिन लोगों पर इस कानून का असर होने वाला है उनमें न तो खाली शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, न इमारतें बनाने वाले लोग हैं बल्कि उनमें हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट को चलाने वाले हैं। इनके अलावा ऐसे लोगों का भी इससे सम्बन्ध है जिनको कि पाकिस्तान को छोड़कर यहां पर आना पड़ा। ऐसे लोग भी इसमें हैं। कई वर्ग के लोगों के ऊपर इस कानून का असर होने वाला है। यहां बताया गया कि अगर उनसे हम नुकसान मांगने के लिए जायेंगे तो करीब डेढ़ करोड़ रुपया नुक़सान के तौर पर उनसे लेना पड़ेगा और इतना ही नहीं। जिन लोगों ने ऐसी ज़मीनों पर मकानात बनाये हुए हैं उनको रैगुलराइज़ किया जायेगा। इसके लिए भूतपूर्व मंत्री महोदय श्री गाडगिल ने यह आश्वासन दिया था कि उनको रैगुलराइज़ किया जायेगा लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे फ़ीगर्स आई हैं, एक पैम्पफ्लेट के ज़रिए यह बतलाया गया है कि करीब एक हज़ार मकानात ऐसे हैं जिनको कि रैगुलराइज़ नहीं किया गया। क़रीब ४००० से ज्यादा लोग उनमें रहते हैं और उन्होंने अपने सब ज़ेवरात वगैरह बेच कर अपने पास जो कुछ भी कमाई थी उसको लगा करके १५ से २० लाख रुपया मकानात बनाने के लिए खर्च किया। यह बात तो जिनको रैगुलराइज़ नहीं किया गया उनके बारे में मैंने कही लेकिन ऐसे कितने ही मकानात हैं जिनके बारे में यह कहा गया कि वहां के लोगों को भी निकलना चाहिए और उनको क्यों निकलना चाहिए क्योंकि स्कूलों के लिए, वैक्सिनेशन सेंटर्स खोलने के लिए, बहुत बड़े बड़े पार्क्स बनाने के लिये यह जो चीज़ें हमारे सामने हैं उनके वास्ते हमें उन लोगों को हटाना पड़ेगा। इसके पहले कि यह कानून इस सदन् के सामने लाया जाता अगर गवर्नमेंट ने दिल्ली में और और जगहों में जहां जहां कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीनों का सवाल आता है, पहले उन जगहों का सर्वे

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जाधव]

कराया होता कि कैसे लोग उन ज़मीनों के ऊपर रहते हैं, क्या मजबूरियां हैं उनके सामने और उनके लिए हम कोई आलटरनेटिव एकोमोडेशन दे सकते हैं या नहीं, तो बेहतर होता। गवर्नमेंट को इस बिल को यहां लाने से पहले इस प्रकार का सर्वे कराना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में यह सर्वे किया गया है?

आज हमने पेपर में पढ़ा कि दिल्ली रेंट कंट्रोल बिल सदन के सामने आने वाला है तो आज भी हालत यह है कि कई बस्तियों के अन्दर दो रूम्स के टेनामेंट के लिए २०० रुपये किराया देना पड़ता है, २०० रुपये से लेकर २००० रुपये तक किराया देना पड़ता है। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि वह गवर्नमेंट सर्वेंट्स को किराये के तौर से क्या देती है? गवर्नमेंट साढ़े सात फीसदी से एक पैसा भी ज्यादा अपने सरकारी मुलाजिमों को नहीं देती है और किराये चूंकि इतने अधिक बढ़े हुए हैं कि वे उनको नहीं ले पाते तो मजबूरन उन लोगों को गवर्नमेंट की जगहों पर, जिनका कि गवर्नमेंट कुछ उपयोग नहीं कर सकती है, ऐसी जगहों पर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, शेडयूल्ड कास्ट के लोगों, इमारतें बनाने वाले लोगों और रेफ्यूजीज को जाना पड़ा और वे वहां पर आबाद हो गये। उनको वहां रहने में कोई खुशी नहीं है लेकिन क्या किया जाय मजबूरी सब करा लेती है। लोगों के रहने का माकूल इन्तज़ाम करना यह तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जिसको कि उसे पूरा करना चाहिए था। गवर्नमेंट ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें कि लोग शोर मचाने के लिए मजबूर हो गये और उन्होंने इसके खिलाफ शोर मचाया। बाद में गवर्नमेंट की तरफ से यह कहना कि ऐसी हवा नहीं है ऐसी परिस्थिति नहीं है कि इस तरह का शोर और गड़बड़ पैदा की जाय। कुछ मुनासिब नहीं जंचता गवर्नमेंट की ओर से कहा जाता है कि कुछ लोग राजनैतिक स्वार्थ साधन के हेतु उनको शोर और गड़बड़ करने के लिए उकसाते हैं लेकिन मेरा कहना है कि हवा तो आप खुद पैदा करते हैं और लोगों को इसके लिए मजबूर करते हैं और जब आपके खिलाफ आवाज़ उठती है तो आप चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इसमें सियासी बातें लाई जाती हैं। मैं पहले यह पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट ने दिल्ली में इस तरह का कोई सर्वे कराया है कि कैसे लोग उन ज़मीनों पर बसते हैं और उनकी आलटरनेटिव एकोमोडेशन के वास्ते उसने क्या कोई कोशिश की है?

मैं बतलाना चाहता हूं कि नई दिल्ली में अशोक होटल के पास झुग्गियां डाल कर म्युनिसपैल्टी में, राष्ट्रपति भवन में और पार्लियामेंट हाउस में जो स्कैवेंजर्स लोग हैं, जो सफ़ाई का काम करते हैं, वे लोग उनमें रहते हैं। एक दफ़ा उनको पुलिस के ज़रिये उस जगह से हटाने की कोशिश की गई। अब आप ही बतलाइये कि वे बेचारे लोग वहां से कहां जायें? मैंने कहा कि पहले उनके लिये आलटरनेटिव बन्दोबस्त करो तब हटाओ। मैं यह मानता हूं कि गवर्नमेंट इस तरह का बन्दोबस्त करने के लिये तैयार है। करीब १०० मुरब्बा एकड़ हमारी दिल्ली का विस्तार हो भी चुका है और और अधिक विस्तार होने वाला है। मेरा कहना है कि अगर उन लोगों को उस जगह से हटाने के बाद उनके वास्ते किसी दूसरी जगह बन्दोबस्त किया भी जायेगा तो आपने उनके लिये ट्रान्सपोर्ट का क्या इंतज़ाम किया है और उनकी जगहों से उन स्थानों पर जहां कि वे रोज़ी कमाने के लिये आते हैं, उनके आने जाने का आपने क्या बन्दोबस्त किया है? अब दिल्ली में जो ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था है मैं समझता हूं कि उसका कटु अनुभव दिल्ली वासियों और पार्लियामेंट के मेम्बर्स

†मूल अंग्रेजी में

को बखूबी होगा। लोगों को यहां की ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था ठीक न होने के कारण बहुत अधिक असुविधा और परेशानी उठानी पड़ती है। मैं एक दिन यहां पार्लियामेंट हाउस के बाहर १५ नम्बर की रूट बस के लिये खड़ा था, मैं एक घंटे तक उसका इंतज़ार करता रहा लेकिन वह बस ही नहीं आई। अब जहां पर ट्रान्सपोर्ट की यह हालत हो और अगर गवर्नमेंट के एक मुलाज़िम को १० मील के फ़ासले पर अगर आलटरनेटिव एकोमोडेशन दी गई तो ट्रान्सपोर्ट की जैसी हालत है उसको देखते हुये तो वह बस के इंतज़ार में वहीं रुका पड़ा रहेगा और वह आफ़िस वक्त पर नहीं आ सकेगा और रात के बारह बजे उनको आफ़िस में आना पड़ेगा। इसलिये आपको जहां उनके लिये आलटरनेटिव एकोमोडेशन प्रोवाइड करना है वहां यह भी देखना है कि उनके लिये ट्रान्सपोर्ट की उचित व्यवस्था हो।

दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को यहां से हटाने की कोशिश की जायेगी और जिन्होंने मकानात बनाये हैं उन लोगों को आप क्या मुआविज़ा देने वाले हैं? इतना ही नहीं मैं तो समझता हूं कि अगर वे वहां से जो उनका माल है नहीं उठायेंगे तो गवर्नमेंट को मय सामान के उनको वहां से हटायेगी, उसके लिये उनसे गवर्नमेंट फिर पैसे मांगेगी। ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि यह जो आपको रिंग रोड तैयार करनी है तो उसके लिये आपको कुछ जगह दरकार होगी लेकिन मेरा कहना है कि उनको बेदखल करने के पहिले आप उनके वास्ते आलटरनेटिव जगह का बन्दोबस्त कर लें। दिल्ली के डेवलपमेंट के आनेवाले काम जो आपके सामने हैं उन के वास्ते एक नक्शा तैयार किया जाये कि आने वाले साल में हम इतना काम कर सकते हैं। उसका बजट हो और हिसाब हो कि हमें इतने लोगों को हटाना पड़ेगा। ऐसा न हो कि जो यह कानून का स्टीम रोलर है वह चलने लगे और सब लोगों को उसके नीचे लाकर दबा दिया जाय और खत्म कर दिया जाय और उसके बाद हमारे प्लांस तैयार होंगे और उन प्लांस को पूरा करने के लिये करीब ५०, १०० साल लग जायेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिये। एक नक्शा तैयार करो, एक सर्वे करो, इतना काम करना है, और उसके वास्ते इतने पैसे का प्रबन्ध करना है, इसका अनुमान करो, उसके बाद काम हाथ में लो तो कुछ होने वाला है।

मैंने पहले भी कहा था और गायकवाड़ साहब ने भी यह कहा है कि इस कानून को तो मैजारिटी से फेंक देना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यहां उस तरफ इतनी मैजारिटी है कि अगर सरकार की ओर से आदमी को औरत कहा जाये तो उसका भी समर्थन हो जायेगा। ऐसा बराबर होता रहा है। जो परिस्थिति होती है उसको मैजारिटी के कारण दबाया जा सकता है लेकिन ऐसा करने से गवर्नमेंट को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा।

इस कानून के अमल में लाने के पहले जो बातें मैंने बताई हैं उनको कर लेना चाहिये। इतना ही मुझे कहना है।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : बहुत से माननीय सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया है, शायद मैं अकेला ही इससे सहमत हूँ। मेरे मित्रों ने अनुसूचित जातियों और विस्थापितों की बात की है और उनकी कठिनाइयां बताने का यत्न किया है। उनकी कठिनाइयां ठीक है परन्तु इन बातों को इस संदर्भ में नहीं लाया जाना चाहिए। आखिर सरकार कब तक सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे को सहन करती रहेगी।

अनधिकृत कब्जे वाले खंड के सम्बन्ध में बहुत ही आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हैं। कहा गया है कि जब तक सरकार वैकल्पिक आवास का उपबन्ध न करे तब तक किसी का निष्कासन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

नहीं होना चाहिये। किन्तु बेदखली के लिए यह जरूरी चीज नहीं है। हमें ठंडे दिल से, बिना किसी पक्षपात के इस समस्या पर विचार करना चाहिए। इस समय भला विस्थापितों और अनुसूचित जातियों का प्रश्न कहां और कैसे उत्पन्न होता है। हम देख ही रहे हैं कि जहां तक सम्भव होता है सरकार आवास सम्बन्धी सुविधायें प्रदान कर ही रही है।

यह भी कहा गया है कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद १४ और १९ के विरुद्ध है। ठीक है अनुच्छेद १९ से भारतीय लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्पत्ति खरीदने और उसके उपभोग करने का अधिकार है। इसका यह मतलब तो नहीं कि वह अनधिकृत कब्जे कर ले। अनुच्छेद १४ के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलें। अब यदि दीवानी अदालतों का उपबन्ध इसके बीच से हटा दिया गया है तो इसका यह अर्थ तो नहीं कि समान अवसर नहीं प्राप्त होंगे। इस मामले में तो स्वाभाविक न्याय प्राप्त करने का प्रश्न है। उसको ठीक ढंग से रखा गया है। सारी बात की देखभाल करके यदि सम्पदा अधिकारी यह परिणाम निकालता है कि कब्जा अनधिकृत है तो कार्यवाही की जानी चाहिये।

खंड ५ के अन्तर्गत कारण बताने का भी एक अवसर दिया जाता है। इसके बाद जांचें होती हैं। यदि जांच अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि सम्बद्ध व्यक्ति का कब्जा जायज है तो उस के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो सकती। यदि वह समझता है कि कब्जा जायज नहीं तो कार्यवाही की जाती है। खंड ९ के अन्तर्गत, इसके विरुद्ध अपील की भी व्यवस्था है और यह अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष रखी गयी है। उच्च न्यायालय तक भी मामला ले जाया जा सकता है। इसलिए यह कहना निराधार है कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद १४ और १९ के विरुद्ध है। आधुनिक युग की प्रवृत्ति दीवानी अदालतों को कम से कम करने की ओर अग्रसर हो रही है। हमारा राज्य कल्याणकारी है, पुलिस राज्य नहीं।

आज तो राज्य की गतिविधियां सभी दिशाओं में बढ़ गयीं और आज प्रायः सभी सभ्य देशों में प्रशासनिक न्यायाधीकरणों का जोर बढ़ रहा है। अदालतों में तो विवाह, तलाक इत्यादि के छोटे मोटे मामले ही जाते हैं। प्रशासनीक न्यायाधिकरण के सम्पदा अधिकारी को मामले की जांच करनी होती है और साथ ही अपील का अधिकार भी मान लिया गया है। उच्च न्यायालय में भी आप अपील दायर कर सकते हैं। अतः अनुच्छेद १४ और १९ के उल्लंघन की बात समझ में नहीं आती।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि खंड ४ व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश ५ के अनुसार ही है। इस में यह व्यवस्था भी रखी गयी है कि लोगों को प्रमाण देने के लिये पर्याप्त समय दिया जाये। माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दे दिया है कि वकील भी सम्पदा अधिकारी के समक्ष पेश हो सकते हैं। इसलिए पीड़ित पक्ष वकीलों की सेवाओं का लाभ उठा सकता है। हमें भावुक नहीं होना चाहिये। हमें तो केवल यही देखना होता है कि लोगों के साथ न्याय हो। विधेयक का कोई उपबन्ध संविधान के विरुद्ध नहीं जाता।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति जी, इस विधेयक पर अभी तक जो वाद-विवाद हुआ है उसको सुनने के बाद सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ मैंने अपना जो नोट आफ डिस्सेंट लगाया था मैं उस पर अभी कायम हूं। मैं यह समझने में असमर्थ रहा हूं कि सरकार ने पब्लिक

प्रिमाइसेज़ इविक्शन ऐक्ट, १९५० के स्थान पर, जिसे अनेक हाईकोर्टों ने अवैध घोषित कर दिया, यह नया बिल लाने के बजाये उसकी वैधता अथवा अवैधता के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जानने का प्रयत्न क्यों नहीं किया ।

सालिसिटर जनरल महोदय ने सिलेक्ट कमेटी की बैठक में जो कुछ कहा और विधि मंत्री ने अभी जिन शब्दों को दुहराया, उससे यह विश्वास पैदा नहीं हो सकता कि जब यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा, उस के बाद यदि सर्वोच्च न्यायालय में उसकी वैधता को चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं करेगा । सरकारी पक्ष केवल इतना ही कहता है कि हमें विश्वास करके चलना चाहिये कि यह विधेयक अवैध घोषित नहीं होगा, और अगर हो गया तो हम फिर दूसरा विधेयक ले आयेंगे । मेरी समझ में यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है । राष्ट्रपति महोदय अपने अधिकार के अन्तर्गत अनेक विधेयकों को स्वीकृत होने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिये भेज सकते हैं और उन्होंने कुछ राज्यों के विधेयक भेजे भी हैं । मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में इस पद्धति का अवलम्बन क्यों नहीं किया गया ।

विधेयक जिस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, मेरा निवेदन है कि अपने संविधान में हमने राज्यों के जिन निर्देशक सिद्धान्तों का निरूपण किया है, जो हमारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यह विधेयक उनकी भावनाओं के विरुद्ध जाता है ।

इस विधेयक के अन्तर्गत जो भी स्टेट अफसर नियुक्त किये जायेंगे उनके सम्बन्ध में यद्यपि यह कहा गया है कि जहां तक संभव हो ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे जिनमें लीगल क्वालिफिकेशन्स हों । अब "जह ां तक संभव हो" इस शब्दावली का कानून में कोई अर्थ नहीं है । यदि किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया जिसमें कानूनी योग्यतायें नहीं हैं तो सरकार की ओर से कहा जा सकता है कि हमारे लिये संभव नहीं था कि हम कानूनी योग्यताओं का व्यक्ति नियुक्त करें, और मैं समझता हूं कि कोर्ट में अगर इस पर आपत्ति की गई तो उसकी कोई लीगल रेमेडी नहीं है । न्यायालय मजबूर नहीं कर सकता सरकार को कि वह ऐसा ही व्यक्ति नियुक्त करे जिसमें कानूनी योग्यतायें हों । और जहां तक सेना के मकानों और सेना की जमीन का सम्बन्ध है, सिलेक्ट कमेटी में इस बात को साफ कर दिया गया था कि सेना में तो ऐसा व्यक्ति मिलना सम्भव नहीं होगा कि जिसमें लीगल क्वालिफिकेशन्स हों । वहां तो सम्भव ही नहीं है । परिणाम यह होगा कि लोगों को जिस पद्धति का कानून में और संविधान में निरूपण किया गया है उसका पूर्णतया अवलम्बन किये बिना उजाड़ा जायेगा अपने मकानों से, अपने स्थानों से ।

यह विधेयक स्टेट आफिसर के आदेश के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील करने की व्यवस्था करता है, और जो भी सरकारी प्रवक्ता बोले हैं उन्होंने इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है । लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सिविल केस में फर्स्ट कोर्ट में जो झगड़े की शक्ल होती है, जहां गवाहियां ली जाती हैं या पेश की जाती हैं, वह शक्ल अपील की कोर्ट में नहीं रहती, और अगर फर्स्ट कोर्ट एक ऐसा अफसर है जिसके लिये कानूनी योग्यतायें आवश्यक नहीं हैं, तो वह जो भी निर्णय देगा बाद का डिस्ट्रिक्ट जज तो मैरिट्स आफ केस पर अपना फैसला करेगा, और इसलिये जिस व्यक्ति को उजाड़ा जायेगा उसको जो शिकायत होगी उसके सम्बन्ध में उसे डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से पूरा न्याय मिलने की आशा नहीं की जानी जाहिये ।

स्टेट आफिसर सरकार का एक गजेटेड अफसर होगा । इसका यह मतलब है कि वह एग्जीक्यूटिव काम भी करेगा । कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को मिला दिया गया है जब कि

[श्री वाजपेयी]

हमारा संविधान इस बात का स्पष्ट आदेश देता है कि एग्जीक्यूटिव और जूडीशियरी अलग-अलग होनी चाहिये। मगर यह स्टेट आफिसर उन दोनों का मिश्रण होगा और मैं नहीं समझ सकता कि यह संविधान की भावना के अनुकूल होगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर बोलते हुये, हमारे पुरुषार्थी बन्धु जो निर्वाचित होंगे उनके सम्बन्ध में अपनी आवाज उठाई है, और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने भय प्रकट किया है वह साधार है। सिलेक्ट कमेटी ने अपनी सिफारिश में सरकार से यह अपील की है कि जो भी आश्वासन दिये गये हैं उनका लैटर एंड स्पिरिट में पालन होना चाहिये। मगर मैं पूछता हूं कि सरकार की सिलेक्ट कमेटी की अपील का कानूनी वजन क्या है। कोर्ट के द्वारा तो उस अपील को नहीं मनवाया जा सकता है, और मंत्री महोदय यदि सदन में खड़े हो कर यह आश्वासन दे भी दें, जैसा कि श्री गाडगिल जी ने दिया था, और कानून की धाराओं में उसका समावेश न किया जाये, तो मैं नहीं समझता कि उन आश्वासनों की कीमत कागज के टुकड़े से कुछ अधिक हो। आवश्यकता इस बात की थी कि उन आश्वासनों को कानून की शक्ल दी जाती। उन्हें इन विधेयक की धाराओं में शामिल किया जाता जिससे पुरुषार्थी भाइयों में वह भय न पैदा होता कि एक बार तो हम उजड़ गये सरकार की अदूरदर्शी नीति के कारण जिसके परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ, मगर स्वतंत्रता की ग्यारहवीं वर्ष में फिर से हमें उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे व्यक्ति दो चार नहीं हैं, हजारों की संख्या में हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में असंतोष के लिये आज पहले ही बहुत से कारण मौजूद हैं। काफी बारूद फैला हुआ है। काफी चिनगारियां लगी हैं। क्या सरकार को इसी समय इस विधेयक को लाने की आवश्यकता थी। मालूम होता है सरकार बर्र के छत्ते में हाथ डालना चाहती है। असंतोष का एक नया कारण दे रही है। मैं नहीं समझता कि जितने आश्वाशन दिये गये हैं उन आश्वासनों का पालन करने के लिये सरकार कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है। यह समस्या कानूनी नहीं है। यह मानवीय समस्या है। और मानवीय पहलू से इस पर विचार किया जाना चाहिये। इस विधेयक के कानून की शक्ल लेते ही लोगों को उजाड़ना शुरू हो जायेगा जो अनुचित होगा, अन्यायपूर्ण होगा, अमानवीय होगा, जो नये आन्दोलनों को जन्म देगा, तब फिर हमारी सरकार की कुछ ऐसी आदत हो गई है कि जब आन्दोलन होते हैं तब वह मान लेती है। अभी मामला वाद-विवाद की स्थिति में है, अभी समय है, सरकार इस विधेयक की धाराओं में आमूल परिवर्तन कर सकती है। और अगर यह सम्भव नहीं है, तो वह इस विधेयक को वापस ले सकती है। मेरा इतना ही निवेदन है कि इस विधेयक के रूप में या तो परिवर्तन किया जाय, या सरकार इस विधेयक को वापस ले ले। यह समय नहीं है कि इस विधेयक को आगे बढ़ाने का, लेकिन अगर सरकार तुली हुई है, तो परमात्मा से प्रार्थना की जा सकती है कि वह सरकार को सद्बुद्धि दे, जिसकी कि मुझे आशा कम है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : न केवल इस विधेयक द्वारा बेदखली का बहुत ही महंगा ढंग अपनाया गया है वरन् इससे सिद्धान्तों की भी हत्या कर दी गई है। बेदखली कराने का सामान्य और साधारण रास्ता छोड़ दिया गया है। दीवानी अदालतों का स्थान सम्पदा अधिकारी ले लेंगे और सारा मामला उन पर छोड़ दिया जायेगा। सरकार को कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता न पड़ेगी। सम्पदा अधिकारी का यदि यह मत हो जायेगा कि कब्जा अनधिकृत है तो ऐसे व्यक्ति

†मूल अंग्रेजी में

को यह नोटिस दे दिया जायेगा "तुम कारण बताओ कि तुम्हें क्यों बेदखल न किया जाय।" बेचारा व्यक्ति कोई न कोई सबूत प्रस्तुत करेगा ही। अन्ततः सम्पदा अधिकारी का यह मत होगा कि यह कब्जा अनधिकृत है और फिर उसे बेदखल कर दिया जायेगा। इसे तो संक्षेपण अन्वीक्षा भी नहीं कहा जा सकता। यह तो कुछ भी नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने गत शुक्रवार को जो यह कहा था कि सरकार का मामला सिद्ध और स्वीकृत होने पर ही यह विधेयक लागू होगा, अच्छी बात है। किन्तु विधेयक में इसका कोई उपबन्ध नहीं, यदि यही बात रही तो इससे विधेयक का कड़ापन पर्याप्त सीमा तक दूर हो जायेगा। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे विधेयक में इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत करें।

यह भी कहा गया है कि सम्पदा अधिकारी के समक्ष वकील प्रस्तुत हो सकेंगे। परन्तु सम्पदा अधिकारी का कार्यालय अदालत तो है नहीं, वह किसी भी समय वकील को कह सकता है कि तुम्हें पेश होने की अनुमति नहीं। अतः फिर यह आश्वासन किस काम का रहेगा। यह भी व्यवस्था नहीं है ठीक मामलों में सम्पदा अधिकारी हस्तक्षेप न करे।

तीसरी बात यह कही गई है कि प्रतिवादी अदालत में मुकदमा करके कुछ रियायत ले सकता है। परन्तु उसमें भी कुछ सार नहीं। धारा ९ के अनुसार अदालतें इस मामले में दखल ही नहीं देंगी। इसके अतिरिक्त बात यह है कि सबूत तो सरकार को देना चाहिये परन्तु डाला सिद्धि का भार प्रतिवादी पर ही जा रहा है। अपील की व्यवस्था है और यही विधेयक की एक अच्छी बात है, परन्तु निवेदन यह है कि प्रतिवादी वकील की सहायता लेने में असमर्थ रहेगा। इससे संविधान द्वारा दिये अधिकारों का भंग होता है। कानून के समक्ष वादी और प्रतिवादी का दर्जा एक जैसा होना चाहिये। मंत्री महोदय को इस ओर समुचित ध्यान दे कर इन दोषों को दूर करना चाहिये ताकि किसी से अन्याय न हो।

यदि श्री गाडगिल के आश्वासनों को कार्यान्वित किया जायेगा तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लोगों को बदले में वास्तव में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि या तो लोगों को वैकल्पिक स्थान दिया जाये या उचित मूल्य पर वही स्थान उन्हें सौंप दिये जायें।

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इस विधेयक के सम्बन्ध में जो भाषण दिये गये हैं उन सब का उद्देश्य इस विधेयक का विरोध करना नहीं है, अपितु वे यह अनुभव करते हैं कि यह विधि हमारे समाज के असहाय लोगों के लिये दंडकारी विधि सिद्ध होगी। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इस विधि को कार्यकारी अधिकारियों के हाथों में ही न छोड़ें अपितु प्रत्येक मामले में इस बात पर भी विचार किया जाये कि क्या विधि को क्रियान्वित करना नितान्त आवश्यक है।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इन अनधिकृत कब्जाधारियों के कारण दिल्ली या कलकत्ता जैसे नगरों का विकास द्रुत गति से नहीं हो रहा है। दिल्ली में रिंग रोड के बनने में विलम्ब का एक प्रधान कारण यह भी कहा गया है। बात सही है। यदि इस मामले में सामान्य विधि का आश्रय लिया जाता है तो वह बहुत बिलम्बकारी है।

मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि सरकार इस अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों का उपयोग वहीं पर करे जहां उस स्थान की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये तत्काल आवश्यकता हो। ऐसी स्थिति में भी वहां से हटाये गये लोगों को वैकल्पिक स्थान देने की व्यवस्था पहले की जानी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बर्मन]

चाहिये। भले ही इसमें कितना ही समय लगे। सरकार को चाहिये कि वह सस्ते मकानों का निर्माण कर उन्हें वहां हटाये। इस प्रकार इस विधेयक का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाय। सामान्य रूप से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर चर्चा के समय सरकार की तरफ से बार बार यह दिखाने की कोशिश की गई है कि एस्टेट आफ़िसर का दर्जा जुडिशल आफ़िसर के बराबर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ग़लत दृष्टिकोण है कि जो काम एक जुडिशल आफ़िसर का है, वह एस्टेट आफ़िसर को दे दिया गया है। एस्टेट आफ़िसर को इस बिल में जो ताकत और जो काम दिया गया है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल उस तरह होगा, जिस तरह जुडिशल आफ़िसर कभी किया नहीं करते हैं। जुडिशल आफ़िसर का दूसरी तरह का मस्तिष्क होता है। मिनट आफ डिसेंट में हम ने यह सुझाव दिया था कि एस्टेट आफ़िसर के पद पर कानून जानने वालों को रखा जाय, लेकिन सरकार ने उस सुझाव को न मान कर एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि एस्टेट आफ़िसर से यह कभी आशा नहीं की जा सकती कि उसका दृष्टिकोण कभी वैसा बनेगा, जैसा कि जुडिशल आफ़िसर का रहा करता है। इस बिल में जो व्यवस्था की गई है, उस के अनुसार एस्टेट आफ़िसर चाहे जिस तरीके से अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति के साथ न्याय न करते हुये उसको वहां से अलग कर सकता है।

इस संदर्भ में हमें यह देखना पड़ेगा कि श्री गाडगिल ने इस सदन के मंच पर जो आश्वासन दिये, जिनकी कई बार यहां पर चर्चा की गई है कि इतना समय हो गया है, लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया है, उनको यदि कानून का रूप नहीं दिया जाता है—भविष्य में उनको पूरा किया जायगा या नहीं, यह विवादास्पद विषय है—तो कानून की कोई भी अदालत—वह सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट—उन आश्वासनों की कोई कीमत नहीं रख सकती। इसलिये यह एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि इस कानून को बनाते समय उन आश्वासनों को कानूनी रूप दिया जाय। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार इन्कार करने और उन आश्वासनों को कानूनी रूप देने विषयक संशोधनों को अस्वीकार करने से यह लगता है कि सरकार उन आश्वासनों को पूरा करने के लिये तैयार नहीं है। उन आश्वासनों की वजह से कितने ही लोगों ने अपनी पूंजी का लाखों रुपया लगा कर ऐसी जमीनों पर कुछ बनाया है, खड़ा किया है, जिसको कि वे अन-अथाराइज्ड कब्जा समझते थे। इस कानून से उन लोगों की क्या हालत होगी, यह सोचने की कृपा कीजिये। अगर एस्टेट आफ़िसर चाहे, तो वे लाखों रुपये बरबाद हो सकते हैं और ऐसे ज़माने में जब कि मकानों की समस्या बहुत विकट है, जिन लोगों ने उन आश्वासनों को ध्यान में रखते हुये और यह समझते हुये कि वहां से वे नहीं हटाये जायेंगे, वहां पर अपनी गाढ़ी कमाई के लाखों पये लगा कर अपने मकान बना लिये हैं, या झोंपड़ियां डाल रखी हैं, या ऐसी जगह बना ली है, जिसमें वे रहते हैं, इस कानून के बनने के बाद उनको वहां से हटना पड़ेगा। उन आश्वासनों के बल पर वे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वे अदालतें कह देंगी कि उनकी कोई कीमत नहीं है। मैं समझता हूं कि हर जनतंत्रवादी सरकार को अपने मिनिस्टरों द्वारा दिये गये आश्वासनों का मूल्य करना चाहिये। अगर सरकार श्री गाडगिल द्वारा दिये गये आश्वासनों की कुछ प्रतिष्ठा करना चाहती है, तो उसको यह संशोधन ज़रूर स्वीकार कर लेना चाहिये कि जो लोग १५ अगस्त, १९५० को अनधिकृत कब्जे में थे

और जिन्होंने उन आश्वासनों के बाद वहां पर अपने मकान बना लिये हैं, उनको किसी तरह नहीं हटाया जायेगा । अगर सरकार उसको मानने के लिये तैयार नहीं है, तो उसके साफ़ माने ये हैं कि सरकार नहीं चाहती कि उन आश्वासनों को पूरा किया जाय । यह कहा गया है कि एस्टेट आफ़िसर नोटिस जारी करेगा और उसके बाद जिला जज के यहां उसके खिलाफ़ अपील हो सकेगी और साथ ही यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट आर्टिकल २२६ और १३६ के अन्दर उस पर अपना निर्णय दे सकते हैं । लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसे कितने लोग हैं, जो आर्टिकल २२६ और १३६ के अन्दर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं । क्या वे लोग, जिनकी झोंपड़ियां पड़ी हैं, जिनके पास रहने के लिये कोई स्थान नहीं है, जो अपनी जीविका नहीं कमा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं ? इसके लिये उनको पैसा चाहिये, जो कि उनके पास नहीं है । लेकिन अगर वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण लें भी, तो भी उन आश्वासनों की कोई कीमत नहीं होगी, जो कि इस सदन में दिये गये थे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को जरा हल्के दिल से सोचने की कोशिश न की जाये । यह बहुत गम्भीर समस्या है और इसमें लाखों रुपयों का सवाल है और इस पर बहुत से लोगों का भविष्य निर्भर करता है । इस समय मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता कि किस तरह यह समस्या पैदा हुई, किस तरह उस वक्त प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने इस तरह की भावना फैलाई कि जहां पर खाली जमीन है, वहां जो लोग कुछ बनायेंगे, उनको हटाया नहीं जायेगा । उसके बाद आज अगर इस तरह का कानून बनाया जाता है कि उनको जबर्दस्ती निकाल दिया जाय, उनको पुलिस की ताकत से निकाल दिया जाय, तो यह उनके साथ अन्याय होगा । जिन लोगों ने उस भावना के आधार पर उन जगहों पर कुछ निर्माण कर लिया था, उनका विश्वास टूट जायेगा कि यह सरकार अपने किसी भी पुराने वादे को कायम रखना चाहती है । इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस सदन में श्री गाडगिल ने जो आश्वासन दिये हैं, उनको पूरा करना चाहिये और इस बिल में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जो लोग इस समय भयभीत और उत्तेजित हैं, वे आश्वस्त हो सकें । जो लोग वहां पर कुछ बना कर बैठे हुये हैं, उनको वहां से हटाया न जाय और आगे से इस समस्या को अच्छी तरह से समाधान किया जाय । मझे विश्वास है कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और जिन कानूनी दिक्कतों के विषय में यह कहा जाता है कि उनके कारण इन आश्वासनों का समावेश नहीं किया जा सकता है, उनको पार करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये दिक्कतें हमेशा के लिये नहीं रहेंगी ।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, सरकारी भू-गृह आदि (अनाधिकृत कब्जा करने वालों का निष्कासन) बिल पर दो तीन दिन से बहस चल रही थी । मेरा भी यकीनी तौर से इस बिल से कुछ आधार पर विरोध है । दुनिया के दूसरे देश वैज्ञानिक रूप से उन्नति कर रहे हैं और आकाश के मंगल ग्रहों में अपने बसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश में धरती पर बसे हुये अभागे लोगों को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि गरीबी और मजबूरी के मारे हुये हैं, जिन के पास न धन है और न जमीन है । इस बिल के द्वारा उन लोगों पर जो आपत्ति आने वाली है, उस की ओर मैं इस सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं ।

बहुत सी कानूनी पेचीदगियों का इस सदन में जिक्र किया गया । उन की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जब जब माननीय मंत्री जी के मुखारविन्द से और दूसरे साथियों के मुंह से यह सुना कि हरिजनों का, जो कि बहुत बड़ी तादाद में अनधिकृत कब्जा कर के बैठे हुये हैं, इससे कोई संबध नहीं है, तो मुझे आश्चर्य हुआ । मैं इस बात को नहीं मानता हूं । जहां तक दूसरे मंत्रालयों का ताल्लुक

[श्री बाल्मीकी]

है, यकीनी तौर से उन मंत्रालयों के पास रुपया है, जमीन नहीं है, लेकिन यह मंत्रालय ऐसा है, जिसके पास रुपया भी है और जमीन भी है। इस कारण आप का उनकी तरफ ध्यान जाना बहुत जरूरी है। मैंने और श्री प्रभाकर जी ने अपने मिनट आफ डिसेन्ट (विमति टिप्पण) में अपने उस विचार को बड़े जोरदार शब्दों में जाहिर किया है। मैं उस बात को यहां पढ़ कर इस लिये बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी व सरकार तक हमारी बात जा सके। हमारा मतलब सरकार के मस्तिष्क पर इस बात को बैठाने का है कि जो हरिजन लोग बड़ी भारी तादाद में देहातों से आकर, दूसरे शहरों से आकर यहां पर दिल्ली शहर में तथा दूसरे नगरों में बस गये हैं, उन पर बहुत भारी आफत आने वाली है और उनकी तरफ आपका ध्यान जाना आवश्यक है। उनको बिना नोटिस दिये हुये उठाना और उनके लिये किसी भी आल्टरनेटिव एकामोडेशन (वैकल्पिक स्थान) का प्रबन्ध न करना ठीक नहीं समझा जा सकता है। अभी तो यह बिल है यह पास नहीं हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अभी से ही झोपड़ियों को गिराना शुरू कर दिया गया है और लोगों को परेशानी में डालना शुरू कर दिया गया है। हमने जो मिनट आफ डिसेंट दिया है, उसमें हमने कहा है कि हम विधेयक के उद्देश्य से सहमत हैं कि सरकारी भू गृहादि में, कब्जा करने वालों को प्रोत्साहन न दिया जाय, लेकिन साथ ही जहां से लोगों को हटाया जा रहा है वहां रहने वालों में शरणार्थी, हरिजन, मकान बनाने वाले, मजदूर तथा निम्नस्तर के लोग हैं। कहीं कहीं तो ८० प्रतिशत हरिजन और मजदूर लोग हैं अतः मेरा निवेदन है कि उन्हें भी शरणार्थियों के समान सुविधायें प्रदान की जायं। यथासंभव उन्हें अपने स्थान से विस्थापित न किया जाय और यदि किया जाय तो उन्ह वैकल्पिक स्थान प्रदान किया जाय।

इस विधेयक पर मैंने दो संशोधन (सख्या ५७ और ६०) रखे हैं उनका उद्देश्य क्रमशः इस प्रकार है : कि हरिजन मकान बनाने वाले तथा ऐसे ही गरीब व्यक्तियों के मामले में नर्मी बरती जाय। दूसरा यह कि दिसम्बर १९५७ के पूर्व बने हुये मकानों को तब तक नहीं गिराया जायेगा जब तक कि उन्हें वैकल्पिक स्थान प्रदान न किया जाय।

आज यहां पर बहुत बड़ी तादाद में हरिजन तथा दूसरे गरीब लोग आकर बस गये हैं। आप कहते हैं कि ये अनआथोराइज्ड रूप में आ कर बस गये हैं और अनआथोराइरूड रूप में इन लोगों ने मकान इत्यादि बना लिये हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो अनआथोराइज्ड रूप में मकान बने हैं, इनके लिये कौन उत्तरदायी है? मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिये यकीनी तौर पर और सोलह आने सरकारी अफसर उत्तरदायी हैं। मैं मानता हूं कि अशोक होटल की जो बड़ी शानदार बिल्डिग खड़ी की गई है वह हमारी खुशहाली की ही प्रतीक समझी जा सकती है और उन्नति की प्रतीक समझी जा सकती है कि हम तरक्की कर रहे हैं। उसको देखकर सभी को खुशी होती है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके पास बसी हुई बस्ती को देख कर, गरीब-गुरबा लोगों को देखकर दुःख हुये बिना भी नहीं रहता है। आज जिस को चाणक्यपुरी कैम्प कहा जाता है वहां पर कुछ लोगों को बसाया गया है और यह कह कर बसाया गया है, इस तरह की हवा पैदा करके तथा इस तरह की आवाज लगा कर बसाया गया है कि उनको उखाड़ा नहीं जायेगा। जब वहां पर उजड़े हुये, मजबूर लोग, बेकस लोग जा कर बस गये जिन में बहुत से हरिजन भी हैं और सरकारी अफसरान के आश्वासन देने पर तथा बताये जाने पर बस गये, तो अब उसको किसी भी सूरत में वहां से उखाड़ा नहीं जाना चाहिये। एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी इमारतें, गगन चुम्बी अट्टालिकायें खड़ी करते हैं और वे ऐसी हैं जिन को देख कर हर किसी की तबीयत खुश हुये बिना नहीं रहती है और दूसरी तरफ से बदबू-दार, गली सड़ी हुई गन्दी बस्तियां हैं जिन में किसी तरह से झोपड़ी में लोग रह तो रहे हैं, आप

उनको उजाड़ते हैं। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनायें लेकिन इन छोटी छोटी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का भी तो ख्याल रखना आपका फर्ज है। एक तरफ खुशनुमा इमारतें हैं और दूसरी तरफ ये घिनौनी झोपड़ियां हैं। इनमें रहने वाले लोगों के हितों का भी आपको खयाल रखना चाहिये। जब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जाती हैं तो इन झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों की मदद की जानी चाहिये। आप इन लोगों की मदद करके एक आदर्श कायम करें। अगर आप इनको उखाड़ते हैं तो वहीं पर मकान इत्यादि बना कर आप इनको बसावें भी।

इस प्रसंग में मुझे गांधीजी की याद आये बिना नहीं रहती है। मैंने गांधी को उस रूप में देखा है जिस में कि वह गरीबों के बीच रहा करते थे। वे गन्दी बस्तियों में रहा करते थे, भंगियों के अन्दर रहा करते थे, सड़े हुये लोगों के अन्दर रहा करते थे, पददलित लोगों के अन्दर रहा करते थे, बदबदार गन्दे मकानों की हालत को देखने के लिये जाया करते थे, और मई १९४५ में दरिद्रनारायण के बीच में अजमेरी गेट की हरिजन बस्ती में खड़े हुये जो मैंने उनको देखा, उनका वह रूप आज भी मेरी आंखों के सामने है। अजमेरी गेट की उस बस्ती में जहां पर पहले गरीब-गुरबा लोग रहा करते थे और जहां पर आज बड़ी भारी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं और जिन को व्यापारिक रूप से खड़ा किया गया है, इन गरीब लोगों को उजाड़ कर ही खड़ा किया गया है। उनको इसका कोई कम्पसेशन नहीं दिया गया है, उनको कोई आल्टरनेटिव एकामोडेशन नहीं दी गई है।

मैं मानता हूं कि आपके हृदय के अन्दर हरिजनों की उन्नति के लिये तड़प है। आप चाहते है कि जो शरणार्थी भाई हैं वे अपने पांवों पर खड़े हो जायें और आप उनकी मदद भी करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गाडगील साहब ने जो एश्योरेंसिस दिये थे, उनको आप लेटर एंड स्पिरिट में पूरा करें। जिस प्रकार बापू जी हरिजनों के बारे में सोचा करते थे, मैं चाहता हूं कि आप भी उसी तरह से सोचें। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार ने जो एश्योरंसिस दिये गये थे उनको लैटर एंड स्पिरिट में पूरा करेगी। मैं चाहता हूं कि जो मामूली लोग हैं और जोकि आज किसी तरह से किसी बस्ती में बसे हुये हैं, किसी जमीन पर अपनी झोंपड़ी बनाये हुये हैं उनको तब तक न हटाया जाय जब तक कि उनके लिये आल्टरनेटिव एकामोडेशन का प्रबन्ध न कर दिया जाये। मैं यह भी चाहता हूं कि आप इन सब बस्तियों का सर्वे कर। इन सभी दूर बसाई बस्तियों के लिये आप धीरे धीरे से आने जाने के साधन पैदा करें ताकि इनको सहूलियत हो। उनको कम्पेंसेशन का विश्वास ही आप न दें बल्कि मलवे को हटाने के लिये नकद रुपया पहले दें और फिर बाद में हटायें। साथ ही साथ आप उनके लिये आल्टरनेटिव एकामोडेशन का प्रबन्ध भी अवश्य करें।

आज आप देख रहे हैं कि देश में अन्न की कमी है, अच्छा पानी पीने को नहीं मिल रहा है। वस्त्र का इतना बड़ा सवाल नहीं है लेकिन वस्त्र के मामले में आज हमारे तन कुछ ढके से हैं और इसके लिये मैं आपकी तारीफ करता हूं। लेकिन रहने की जो समस्या है यह भी विकट रूप धारण किये हुये है। मामूली लोग जो बसे हुये हैं उनको अब ऐसी दशा में उखाड़ना कोई बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं है। मैं यह भी चाहता हूं कि जो दूर दूर बस्तियां बसी हुई हैं या जो बसगी उनमें आप आने जाने के साधन पैदा करें। जब आप उनके जो मामूली स्ट्रकचर हैं उनको हठायें तो आलटरनेटिव एकामोडेशन या तो उसी जगह पर या फिर पास में ही दें। आज मैं देख रहा हूं कि अनधिकृत रूप से कब्जा जो है वह बढ़ नहीं रहा है। मैं सुपरवाइजरी स्टाफ को चाहे वह नई दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी का हो, चाहे कारपोरेशन का हो चाहे किसी दूसरी संस्था का हो और चाहे आथोरिटी का हो, दोषी ठहराता हूं कि उसमें रिश्वत की आदतें बढ़ रही हैं। नई झोंपड़ियों को गिरा दिया जाता है, पुरानी को रहने दिया जाता है, पुरानी को गिरा दिया जाता है और नई को खड़ी रहने दिया जाता है, नम्बरों को बदल दिया जाता है। भारत सेवक समाज की ओर से तथा आथोरिटी की ओर से कई बार सर्वे

[श्री वाल्मीकी]

कराया गया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप दिल्ली को खुशनुमा बनाने के लिये इन गरीबों की बस्तियों को उखाड़ते नहीं जायेंगे। इस दिल्ली को सुन्दर बनाने के लिये, इसको गौरवशाली बनाने के लिये गरीब-गुरबा लोगों को आप उजाड़ते नहीं जायेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों के दिमागों में इस तरह की कोई बात भी न आने दें कि उनका अहित होगा। आज मैं समझता हूं कि खुशबूदार और बदबूदार फटेहाल गरीब लोगों के अन्दर भी फैसला होना है, बड़े मकानों में रहने वालों और छोटे मकानों तथा झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के बीच में फैसला होना है देखना यह है कि कौन आप पर आधिपत्य स्थापित करता है, बड़े लोग करते हैं या छोटे लोग। देखना यह है कि क्या आप मेहनतकश, गरीब लोगों की, बिल्डिंग लेबरर्स की, हरिजनों की शरणार्थियों की, पुरुषार्थियों की बात को सुनते हैं या अमीर लोगों की। मैं चाहता हूं कि जब आप रूल बनायें तो उनमें यह प्रोवाइड कर दें कि उनको कम्पेंसेशन तथा आल्टरनेटिव एकामोडेशन नजदीक में ही दी जायेगी। मेरे दिमाग में आज भेड़िये और मेमने के बीच न्याय की बात है। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप के द्वारा दी गई शक्तियों का एस्टेट आफीसर द्वारा दुरुपयोग न हो वहां पर लोगों को अधिकारी एमेंनेटीस सुविधायें देना नहीं चाहते हैं, सहूलियतें देना नहीं चाहते हैं, न हरिजनों को, न शरणार्थियों को, न बस्तियों में रहने वालों को और न ही बाजारों में या सड़कों पर इधर उधर रहने वालों को। मैं आपके विश्वास के ऊपर शक करता हूं। आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप इन लोगों को एमेनिटीस देंगे, इनको आप धीरे धीरे उखाड़ेंगे, समझदारी के साथ सोच समझ कर उखाड़ेंगे, होश में रह कर उखाडेंगे। आज देश के दूसरे तत्वों द्वारा खाद्य समस्या को लेकर एक वावेला सा खड़ा किया जा रहा है। एक माननीय सदस्य ने घेरा डालने की बात भी कही है। उन्होंन कहा है कि जब मकान उखाडे जायें तो जिनके मकान गिरें उनके द्वारा विरोध में घेरा डाला जाये। इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं। कि इस में समस्या का हल निकलता है। मैं शान्तिपूर्ण किये जाने वाले कार्यों में विश्वास रखता हूं। रहने के लिये मकानों का एक भंयकर सवाल है। इसको हल करने के लिये आप हर सम्भव प्रयत्न करेंगे और जो आश्वासन दिये गये हैं, उनको लैटर और स्पिरिट में आप पूरा करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, हमारे सामने प्रश्न प्रस्तुत विधेयक के विरोध या समर्थन का नहीं है। मैं तो मंत्री महोदय को कुछ वास्तविक तथ्य बताना चाहता हूं और चाहता हूं कि बहुत ही सहृदयता से वह अपने मन में विचार करें और उसके बाद निर्णय करें। मैं ने यह देखा है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, कि जो लोग साधन सम्पन्न हैं उन की ओर कोई उंगली नहीं उठाता है, किन्तु जो बेचारे गरीब हैं, जो साधनहीन हैं, जब कोई कठिनाई आती है तो उन्हीं के ऊपर आती है। जब कोई बज्रपात होता है तो उन्हीं के ऊपर होता है।

यह दिल्ली है, मैं दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता हूं और दिल्ली के उस भाग का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसे बाह्य दिल्ली कहते हैं, जहां पर सभी तरह की परेशानियां हैं। अभी पिछले दिनों बाढ़ आई। बाह्य आई और सब कुछ बहा कर ले गई। मुझे लगता है कि जैसे ही यह विधेयक अधिनियम बनेगा, एक और बाढ़ आयेगी और उसमें न जाने कितने घरों को बहा ले जायेगी। इस का मुझे दुख है। मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जरा कल्पना कीजिये उन गरीब हरिजनों की और उन गरीब शरणार्थियों की जो झोंपड़ियों में रहते हैं। मैं समझता हूं कि जिन के पास बड़े बड़े मकान हैं, उनको कोई छूने वाला नहीं है क्योंकि उनके पास ऐप्रोचज हैं, वह

बड़े आदमियों के पास जा सकते हैं। सदस्यों के पास जा सकते हैं, मंत्री महोदय को भी ऐप्रोच कर सकते हैं और जो एस्टेट अफसर बनने वाले हैं उन को ऐप्रोच कर सकते हैं। उन के ऐप्रोच का कुछ फल भी होगा। लेकिन आप उस मजदूर की कल्पना कीजिये जो सवेरे जाता है और २ रु० की मजदूरी करता है। कहा जाता है ? सी० पी० डब्ल्यू० डी० के, आप के मंत्रालय के मातहत जो काम चलते हैं, उन में जाता है। उस की यह हालत है कि वह १ रु० १२ आना रोज कमाता है। जब उस के पास नोटिस जायेगा तो वह किस के पास जायेगा ? अगर उस दिन वह अपना धंधा छोड़कर जायेगा, एस्टेट अफसर के पास जवाब देही देने के लिये जायेगा, उस दिन उसे रात का खाना नहीं मिलेगा, यह निश्चित बात है। फिर जो इस की कानूनी पेचीदगियां हैं, वह उस के सामने कैसे आयेंगी ? आज दिल्ली के अन्दर जो जमीनों के भाव हैं, वह १०० रु० गज, २०० रु० गज, ३०० रु० गज तक हैं। ऐसी हालत में एक गरीब आदमी, झाड़ू लगाने वाला, जिस को महीने में ८० रु० मिलते हैं, एक ऐसा आदमी, जिस को सवा रुपये रोज मिलते हैं और बड़ी मुश्किल से रात को अपना पेट पालता है, उसको लीजिये, एक बेलदार को लीजिये जो सवेरे सिर पर ईंटें ढोता है, जो मकानों के अन्दर चुनाई का काम करता है। क्या वह दिल्ली में जमीन खरीद सकता है ? क्या दिल्ली में मकान बना सकता है ? मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आखिर यह लोग कहां से आये ? यह लोग अनाधिकृत रूप से क्यों बैठे ? जब आप की सड़कें बनती हैं, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं और आप एक ठेकेदार को ठेके देते हैं तो उन को यहां दल्ली में तो मजदूर मिलते नहीं, वह आस पास के गांवों में जाते हैं और वहां से मजदूरों का प्रबन्ध करते हैं और उनको भरती कर के यहां पर बिठलाते हैं। उन को वहां बिठलाने के बाद ठेकेदारों का काम शुरू हो जाता है। एक साल, दो साल, तीन साल तक बिल्डिंग का काम चलता रहता है और वे लोग वहां बैठे रहते हैं। एक जमाना हुआ वह अपनी पुरानी जगह छोड़कर आये हैं और यहां पर अपनी जगह बना ली है। उनसे अब फिर यह जगह छोड़ने के लिये क्यों कहा जाय ? मंत्री महोदय अगर सड़कों पर झाड़ू लगवाना चाहते हैं तो म्यूनिसिपल कमेटी वालों से साफ कह दें कि अगर उसके पास झाड़ू लगाने वाले को देने के लिये मकान है तो वह पहले उसको मकान दे और उसके बाद नौकरी दे। इसी तरह से अगर आपको सड़कें बनवानी हैं दिल्ली के अन्दर, अशोक होटल की तरह से बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनवानी हैं तो अपने मजदूरों के लिये पहले आप मकान बनवाइये, उसके बाद उन को इस काम के लिये रखिये और काम लीजिये। चूंकि आज ऐसा नहीं किया जा रहा है इस लिये यहां पर सदन के अन्दर इतना विरोध हो रहा है। अगर ऐसा किया जायेगा तो जो सब ओर से यह कहा जा रहा है कि इस विधेयक से बड़ी भारी हानि होने वाली है वह नहीं होगी। मुझे यह पहलू तो सबसे अधिक दुःख देता है कि आने वाले समय के अन्दर इस बिल का जो भी प्रभाव पड़ेगा वह उन गरीब हरिजनों के ऊपर पड़ेगा जिन की आमदनी बहुत कम है, जिनके पास गावों में रहने के लिये जगहें नहीं हैं और जो जमीदारों के नीचे दबे हुए हैं। इस कानून से उनके घर भी छीने जा रहे हैं। आप इस बात को जरा ठंडे दिल से सोचिये, और तरह से नहीं तो मानवता की दृष्टि से सोच कर देखिये कि आखिर वे गरीब हरिजन और मजदूर कहां जायेंगे, कहां नहीं।

आप रिफ्यूजीज को लीजिये। पाकिस्तान से उजड़ कर आये और यहां आ कर बैठे। यहां आकर बैठे नहीं, उन्हें बिठाया गया। उन्होंने एक झोंपड़ी बनाई और उनमें से बहुतों को वह अलाट भी कर दी गई। पर जो गरीब थे, मजदूर थे, जिन की कोई ऐप्रोच नहीं थी, जो दफ्तरों की खाक नहीं छान सकते थे, उन को एक भी मकान नहीं मिला। उनमें से बहुतों की आय इतनी है कि सरकार का जो किराया है वह भी नहीं दे पाते हैं। अगर उन को मकान दिया जाता है तो कहा जाता है कि उसका किराया १२ रु० महीना है, २५ रु० महीना है, ५० रु० महीना है। एक आदमी जो

[श्री नवल प्रभाकर]

मुश्किल से ६० रु० महीना कमाता है वह २५ रु०, ५० रु० किराया कैसे के दे सकता है ? यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है जिस को आप को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो सदन को यह देखना चाहिये कि अगर ये मजदूर दिल्ली छोड़ कर चले जायेंगे तो हमें फिर मजदूर कहां से मिलेंगे। यहां पर हम को मजदूर मिलेंगे १० रु० रोज पर। फिर अगर गवर्नमेंट उनको रक्खेगी तो वह तभी कर सकेगी जब कि उनको मकान दे। नहीं तो यह २ रु० रोज पाने वाले, ढाई रुपये पाने वाले, या ८० रु० महीने पाने वाले झाड़ू लगाने वाले उन को नहीं मिल सकेंगे ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन गरीब लोगों के सम्बन्ध में आप कुछ सोचिये। जैसा मैं ने कहा कि जो साधन सम्पन्न लोग हैं उन्होंने बड़े बड़े मकान बनवा लिये हैं, और अब भी बिल्डिंगें खरीदते जा रहे हैं। गाडगिल साहब ने ऐश्योरेन्स दिया था कि इस हाउस में, उस के दूसरे दिन से उन के मकानों का बनना शुरू हो गया, उन में ईंटें लगनी शुरू हो गईं, जिन का इतना स्थायित्व है जिस का ठिकाना नहीं। मुझे अब भी सन्देह है कि उन्हें हटाया जा सकेगा। उन्हें कोई हटा नहीं सकता है। सरकार भी नहीं हटा सकेगी। और अगर उन को आप हटायेंगे भी तो आप को बहुत बड़ा सरदर्द लेना पड़ेगा। आप हटायेंगे उन गरीब लोगों को और मजदूरों को, उन झाड़ लगाने वालों को हटायेंगे।

इसलिये मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि अगर सरकार के अन्दर चपरासियों को भरती किया जाय तो पहले उन के रहने का इन्तजाम किया जाय, अगर झाड़ू लगाने वाले को भरती करना है तो पहले आप म्यूनिसिपल कमेटी से कहिये कि वह उस के लिये क्वाटर्र का प्रबन्ध करे। अगर आप को अपने मकानों को बनवाना है, अगर अपने निर्माण के काम को जारी रखना है तो इस के पहले कि आप उन मकानों को बनवायें, मजदूरों के लिये मकान बनवायें और फिर निर्माण का काम कराइये। मैंने कई जगह पर देखा है कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० के मकान बनते हैं, तरह तरह के उस के काम चलते हैं तो उनके बीच में मजदूरों के लिये झोंपड़ियां बना दी जाती हैं। लोग बार-बार कहते हैं कि वहां गन्दगी होती है, नये स्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन उन की कोई नहीं सुनता। उस वक्त यह कहा जाता है कि नहीं, यह यहां के मजदूर हैं। तो मेरा यही नम्र निवेदन है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं बहुत ही दुखी हृदय के साथ यह कहना चाहता हूं कि सरकार उन गरीब आदमियों का कुछ ख्याल रक्खे जो न तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और न ही आप के एस्टेट आफ़िसर्स के दरवाजे को खटखटा सकते हैं और न ही जिन को कानून का पता है और जो कि सुबह से लेकर शाम तक घोर श्रम करके अपनी रोजी कमाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक गाढ़ी मेहनत करके २ रुपये कमाता है उसकी अगर नौकरी छूट जाय या वह अपने धंधे पर न जाय तो उसे उस २ रुपये की मजदूरी से भी हाथ धोना पड़ेगा और उस हालत में उसको दो जून पेट भर भोजन भी नहीं मिल सकेगा और शाम को उस हालत में उसको भूखे पेट सोना पड़ेगा। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस प्रश्न पर जनहित और मानवता की दृष्टि से विचार करे और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय जब बोलें तो वे उन लोगों के लिये जरूर आश्वासन दें।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : निसंदेह इस विधेयक से अपेक्षाकृत गरीब वर्ग के लोग प्रभावित होंगे। इस कारण बहुत से सदस्यों ने अपने भाषणों के द्वारा पाकिस्तान के गरीब विस्थापित व्यक्तियों,

---

†मूल अंग्रेजी में

हरिजनों तथा अन्य गरीब लोगों के प्रति, जिन्होंने परिस्थितियों से विवश होकर सरकारी भूगृहादि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया है, सहानुभूति प्रगट की है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल के सदस्य मानवता और दयालुता रहित नहीं होते हैं। एक माननीय सदस्य ने मुझे भी शरणार्थी कहा है निसंदेह कुछ अंशों में मैं भी शरणार्थी हूं। तथापि इस विधेयक के निर्माण से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति, केवल मेरे ज्येष्ठ सहयोगी को छोड़ कर, शरणार्थी हैं। इसलिये इस विधेयक से सीधे सम्बन्धित, प्रत्येक व्यक्ति में मानवता तथा दयालुता की भावना अविच्छिन्न रूप से रही है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्रीमती सुचेता कृपालानी इस विधेयक का विरोध करने में अग्रणी रहे हैं। उक्त दोनों सदस्य विभाजन के पश्चात् से, पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की सहायता करने में बहुत दिलचस्पी लेते रहे हैं। इस विधेयक के सम्बन्ध में पंडित ठाकुर दास भार्गव कई बार पहले भी बोल चुके हैं। तथापि उन के उचित भाषण में कई परस्पर विरोधी बातें थीं।

अपने भाषण के दौरान में एक स्थान पर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने निर्दयता पूर्वक ४०००० रुपये के मूल्य के मकान गिरा दिये। कुछ ही क्षणों के पश्चात् उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप एक धनी व्यक्ति को, जिसने अनधिकृत रूप से कब्जा किया है, हटाते हैं मुझे उस से कोई सहानुभूति नहीं है। मुझे भी ऐसे व्यक्ति से जरा भी सहानुभूति नहीं हो सकती है जो कि बिना किसी वैध अधिकार के अनधिकृत रूप से हजारों रुपये मूल्य के मकान खड़े कर सकता है। जो व्यक्ति हजारों रुपये के मूल्य के मकान खड़ा कर सकता है उसे यह जानने की भी अक्ल होनी चाहिये कि वह कितना बड़ा गैर कानूनी काम कर रहा है। मुझे उन माननीय सदस्यों से पूरी सहानुभूति है जो विस्थापित व्यक्तियों, हरिजनों और मकान बनाने वाले मजदूरों की हिमायत में बोले हैं।

गाडगिल द्वारा दिये गये आश्वासनों पर बहुत विस्तार से कहा गया है अतः मैं उन्हें विस्तार से लेता हूं।

मैं बता चुका हूं कि तीसरी आश्वासन समिति ने हमें यह प्रमाण पत्र दिया है कि आश्वासनों को क्रियान्वित किया गया है। पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्रीमती सुचेता कृपालानी ने अपने तर्क दूसरी समिति के प्रतिवेदन के आधार पर रखे जो कि सरकार द्वारा उन आश्वासनों को क्रियान्वित करने के ढंग पर असंतुष्ट थी। उक्त दोनों सदस्यों ने तीसरे प्रतिवेदन का जिक्र जिस रूप से किया उसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। उन में से एक ने उस पर एक पक्षीय होने का आरोप लगाया और दूसरे सदस्य ने कहा कि वह गम्भीरता से विचार करने योग्य प्रतिवेदन नहीं था क्योंकि उसमें वे लोग नहीं थे अपितु हम लोग थे तीसरी समिति के सभापति विरोधी दल के एक प्रमुख सदस्य राघवचारी थे जो अक्सर सरकार की कटु आलोचना किया करते थे। श्री त० ब० विट्ठल राव, प्रमुख साम्यवादी सदस्य भी समिति सदस्यों में से थे। निसंदेह वे मेरे मंत्रालय के अधिकारियों की इच्छा पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से नहीं हैं। निसंदेह उन के पास इस बात का प्रयाप्त कारण होगा कि वे संसद को यह बताये कि उन्होंने उक्त आश्वासनों के सम्बन्ध में जांच की है और वे उनके क्रियान्वित होने के ढंग से संतुष्ट हैं।

प्रश्न यह होता है कि यदि सरकार इन आश्वासनों को क्रियान्वित करना चाहती है तो इन आश्वासनों को विधि के मसविदे में ही सन्निहित क्यों नहीं किया जाता है। श्री गाडगिल ने भी आश्वासन देते समय इन्हें वि धि में शामिल नहीं किया। इस विधेयक पर रखे गये विभिन्न संशोधनों

[श्री अनिल कु० चन्दा]

पर बोलते हुए भूतपूर्व निर्माण, आवास और संभरण मंत्री श्री स्वर्ण सिंह ने इन को विधि के मसविदे में शामिल न करने का कारण यह बताया था कि हम सरकारी भूग्रहादि से अनधिकृत कब्जाधारियों को शीघ्रता से निकालना चाहते हैं। इन आश्वासनों को विधेयक की भाषा के अन्दर रख देने से वह उद्देश्य ---अर्थात सरकारी भूमि पर शीघ्रता पूर्वक कब्जा करना---ही पराजित हो जायेगा। उक्त आश्वासनों को संविधि में शामिल न करने के जो कारण श्री गाडगिल ने दिये थे या जो कारण सरदार श्री स्वर्ण सिंह ने दिये थे उन्हीं कारणों से हम भी इन आश्वासनों को विधेयक में शामिल नहीं कर सकते हैं।

मैं ने कहा था कि वे हजारों व्यक्ति जो गाडगिल आश्वासनों के अन्तर्गत आते हैं अभी तक भली प्रकार से बसाये नहीं जा सके हैं। उन्होंने इसका यह अर्थ लगाया है कि स्वयं मंत्री जी की बातों से यह ज्ञात होता है कि आश्वासनों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। मैं यह कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति को भी हम ने सरकारी भूमि से बेदखल किया उनकी बेदखली बिना उनको वैकल्पिक स्थान दिये बिना नहीं की गई। अब मैं विस्तार से यह बताऊंगा कि गाडगिल आश्वासनों को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया।

गाडगिल आश्वासनों के अन्तर्गत १५ अगस्त १९५० के पूर्व पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी आते हैं। ३१ दिसम्बर १९५० तक आने वाले शरणार्थियों को नोटिस दिया जाना था। वस्तुतः ये आश्वासन १५ अगस्त १९५० से पूर्व आने वाले शरणार्थियों पर लागू होते थे। अब तक २७७०० व्यक्तियों को बेदखल किया गया और उन्हें अन्य स्थान पर बसाया गया। इन में से वास्तव में २०५०० व्यक्ति ही गाडगिल आश्वासनों के अन्तर्गत आते थे। ७२०० व्यक्तियों को केवल मानवता के वशीभूत हो कर वैकल्पिक स्थान दिया गया। अतः माननीय सदस्यों का यह कहना कि अधिकारी लोग सरकार द्वारा किये गये आश्वासनों की अवहेलना कर रहे हैं, गलत है। यदि अधिकारियों द्वारा की गई अवहेलना का कोई विशिष्ट मामला हमारे सम्मुख लाया जायेगा तो हम निसंदेह इस बात की जांच करेंगे कि सरकार के आदेशों का अधिकारियों द्वारा उपयुक्त रूप से पालन हो। यह प्रश्न पूछा गया है कि उक्त व्यक्तियों में कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों के थे। इस समय मेरे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं।

श्री गाडगिल द्वारा दिये गये आश्वासनों में एक महत्वपूर्ण आश्वासन इस प्रकार था कि जिस व्यक्ति का मकान गिराया जायेगा उसे पुनर्वास के लिये धन या निर्माण सामग्री के रूप में प्रसादतः अनुदान दिया जायेगा। यह राशि पुनर्वास मंत्री, परिस्थितियों पर विचार करते हुए निश्चित करेंगे। इस आश्वासन के अन्तर्गत नकद २४,७८,४५९ रुपये अनुदान के रूप में दिये जा चुके हैं। नयी जगह बनाये गये मकानों के लिये १,६५,८१० रुपये और इमारती सामान के रूप में ३,२९,४१४ रुपये दिये जा चुके हैं। ऐसे लोगों को भी जो गाडगिल आश्वासनों के अन्तर्गत नहीं आते थे वित्तीय सहायता दी गई है। जहां तक किराये की छूट तथा क्षति का सम्बन्ध है, जुलाई १९४८ के पूर्व की बकाया राशि, बहे-खाते में डाल दी गयी है। ३१ अगस्त १९४९ के पूर्व की बकाया राशि के सम्बन्ध में यह आश्वासन दिया गया है कि मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा तथा संकटग्रस्त मामलों में सहायता दी जायेगी। तथापि हम ने ३१ दिसम्बर १९५१ तक की सारी राशि बहे-खाते में डाल दी है। यह राशि २० लाख रुपये से ऊपर है। इस प्रकार हमने गाडगिल आश्वासनों को पूर्णतः क्रियान्वित किया है। निसंदेह अभी हजारों व्यक्तियों का पुनर्वास करना है। इस से हमारी सचाई ही प्रकट होती है। विधि के अधीन हम उन्हें बेदखल

कर सकते थे। तथापि हमने उन्हें केवल इस कारण बेदखल नहीं किया कि उनके लिये अभी सु-व्यवस्थित स्थान उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

अब मैं उन विभिन्न वक्तव्यों को लूंगा जो कि विशेष मामलों के सम्बन्ध में कहे गये हैं। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अजमेरी गेट क्षेत्र की बात की और कहा है कि यहां लोगों की भूमि को १०, १५ रुपये प्रति गज के हिसाब से अर्जित किया गया और यही भूमि बाद में बड़ी-बड़ी कीमतों पर बेची गयी। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि यहां जो भी भूमि बेची गई है वह नजूल की थी अथवा सरकार की थी। यह न तो किसी से खरीदी गयी थी और न ही अर्जित की गयी थी। नगर की चहारदीवारी को गिराने से सरकार को कुछ और भूमि भी उपलब्ध हो गयी थी। वैसे मैं इसे गिराना ठीक नहीं समझता, परन्तु दीवार गिराने और पुरानी दिल्ली के नालों को पाट देने से कुछ भूमि उपलब्ध हुई है। इसी भूमि को बेचा गया है। इस क्षेत्र की गन्दी बस्तियों को साफ करने के लिए हम ने कुछ जायदादों को भी अर्जित कर लिया है परन्तु चूंकि इन लोगों को इस के बदले में देने के लिए अभी स्थान की व्यवस्था नहीं हो सकी है, इसलिये अभी तक वहां से किसी भी परिवार को निकाला नहीं गया है। विकसित क्षेत्र ज्यों ही उपलब्ध होंगे, हम इन लोगों को वहां भेज देंगे।

एक अन्य माननीय सदस्य ने आहाता केदारा का उल्लेख करते हुये कहा कि वहां अभी विनियमन नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि इस सम्बन्ध में अभी योजना पूरी नहीं बन पाई है। यहां बने पक्के मकानों को वैसे ही रहने दिया जायेगा। अतः योजना से काफी परिवर्तन करना होगा। सड़कों इत्यादि को बिलकुल बदलना पड़ेगा। क्षेत्र की लगभग सम्पूर्ण योजना को बदलना पड़ेगा। अतः काफी समय लगेगा। इस लिए अभी यहां विनियमन नहीं किया जा सका। यह भी बात थी कि गाडगिल आश्वासनों को पूरा करने के लिए कई इमारतो को बचाना भी आवश्यक था।

इसी प्रकार पूसा रोड़ का उल्लेख हुआ है। गाडगिल आश्वासन के अनुसार इन में ११ पक्की इमारतें ऐसी हैं जिन को बचाना है। ये लोग यहीं रहना चाहते हैं। इमारतें पूसा रोड़ और आर्य समाज रोड के चौराहेपर स्थित हैं। यातायात के कारणों से उन्हें गिराना पड़ेगा और गाडगिल आश्वासनों के अनुसार उन्हें झंडेवाला में स्थान देने की पेशकश की गयी है, जो कि इस समय नगर का सब से उत्तम नया क्षेत्र है। क्योंकि यहां भूमि बिना किसी हानि-लाभ के आधार पर दी जायेगी, इस लिये ये बाजार दर से काफी सस्ती होंगी। परन्तु यह लोग वहीं रहने के लिये हट कर रहे हैं।

गत बार पुराने किले का मैंने उल्लेख किया था। शायद माननीय सदस्य श्री बर्मन ने यह पूछा था कि उन्हें वहां ही क्यों नहीं रहने दिया जाता। पुराना किला हमारे लिये एक महत्व की ऐतिहासिक और संरक्षित भवन है। हालात से प्रभावित होकर १९४७-४८ में प्रथमबार सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम शरणार्थियों को वहां रहने की आज्ञा दे दी थी। उसके पश्चात पाकिस्तान से आये शरणार्थी उसमें बसाये गये। क्योंकि उस समय इसके सिवा और कुछ किया ही नहीं जा सकता था। एक ऐतिहासिक यादगार होने के कारण शरणार्थी लोगों को स्थायी रूप में वहां नहीं रखा जा सकता। लाजपत नगर, कालकाजी और मालवीय नगर में बने मकान पुराने किले के लोगों के लिये सुरक्षित रख लिये गये थे। इन मकानों के प्रतिनिधियों की इच्छा यह थी कि उनके लिये रक्षित मकानों के अतिरिक्त इन तीनों बस्तियों के ४०० छोटे मकान जो कि लाजपत नगर में थे, जिन पर कि अन्य विस्थापित लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया था, वे भी दे दिये जायें। यह बात मान ली गयी थी। परन्तु इस पर भी पुराने किले के लोगों की ओर से इसका कोई उत्साहजनक प्रभाव नहीं दिखाई दिया। केवल ११५ परि-

[श्री अनिल कु० चन्दा]

वारों ने विभिन्न पुनर्वास बस्तियों में बने हुए आवास स्वीकार किये और ११३ परिवारों ने सस्ते छोटे मकानों में जाना स्वीकार किया। बने हुए मकानों में तो ११५ परिवार चले गये पर सस्ते मकानों में केवल १९ परिवार जा सके क्योंकि इन सस्ते मकानों पर अन्य शरणार्थी अनधिकृत रूप में काबिज थे। जितने मकान बनाये गये थे, वे तो सब दिये जा चुके हैं। जिन लोगों को इन सस्ते मकानों का कब्जा नहीं मिल सका, उन्हें लाजपत नगर में छोटे प्लाट देने की कोशिश की गयी हैं। ये प्लाट वहां से कुछ अधिक दूरी पर नहीं हैं। साथ ही यह स्थान विस्थापितों की सब से बड़ी बस्ती है और यहां स्कूल, अस्पताल तथा अन्य नागरिक सुविधायें भी उपलब्ध हैं। केवल १४९ परिवारों ने इन छोटे प्लाटों को स्वीकार किया है और उन्हें यहां मकान बनाने के लिये छः मास का समय दिया गया है। बाकी परिवारों ने अभी तक इन प्लाटों को लेने के बारे में अपनी अनुमति नहीं दी है। और वे बने हुए मकान की मांग पर ही जोर दे रहे हैं। पर बने हुए मकान अब उपलब्ध हैं नहीं।

पुराने किले की वास्तविक स्थिति यह है : कुल परिवार संख्या ६८९ है; जिन लोगों ने बने हुए मकान स्वीकार कर लिये हैं, और वे वहां चले गये हैं, उनकी संख्या १३५ है। जिन लोगों ने १०० गज के छोटे प्लाट लाजपत नगर में स्वीकार कर लिये हैं, उनकी संख्या १७७ और इस दिशा में लम्बित मामले १३ हैं। जिन परिवारों को प्लाट दिये गये और उन्होंने स्वीकार नहीं किया उनकी संख्या ३४७ हैं। मेरा निवेदन है कि दुःख की बात है कि ये लाग इतनी महत्व पूर्ण ऐतिहासिक यादगारी इमारत खाली ही नहीं कर रहे, जब कि उन्हें बदले में स्थान दिया जा रहा है।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : पुराने किले में रहने वाले लोगों का भी अपना दृष्टिकोण है, यदि मुझे समय दिया जाये तो मं उसे बता सकता हूं।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : ऐसा नहीं हो सकता। श्री अचिन्त राम ने कहा कि मैंने विधेयक को प्रस्तुत करते समय अपने प्राथमिक विचारों में यह प्रकट किया था कि ११००० लोगों ने ३४७ एकड़ नजूल की भूमि पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने शायद यह समझा कि इस प्रकार पड़े हुये व्यक्तियों की कुल संख्या यही है और उन्होंने कहा कि यह अवस्था है तो हमें अपनी योजनायें इस ढंग से बनानी चाहिये कि ११००० लोगों के लिये भी व्यवस्था की जा सके। पर यह ११००० की संख्या तो केवल नजूल की भूमि पर रहने वाले लोगों की ही है। नयी दिल्ली नगरपालिका ने बताया है कि ९४०६ अनधिकृत मकान हैं, और उनमें ५०००० लोग काबिज हैं। अब प्रश्न यह है कि केवल नयी दिल्ली नगरपालिका की सीमा के ५०००० लोगों के लिये क्या व्यवस्था की जाये। इसलिये प्रश्न हो सकता है कि आखिर सरकार क्या करने का विचार कर रही है ? मैं संक्षेप से बताऊंगा कि आखिर इस कठिन समस्या के लिये सरकार ने अब तक क्या किया है। केवल दिल्ली में गन्दी बस्तियों को साफ करने के लिये बहुत कुछ किया गया है। अमृतकौर पुरी में हमने एक-एक कमरे के दो मंजले २४० मकान बनवाये हैं। इस पर ७.६ लाख रुपया खर्च हुआ है। किलोखेरी में १०.९१ लाख की लागत से ३९६ मकान बनाये गये हैं। इतनी ही लागत के इतने ही अन्य मकान यहीं पर तैयार हो रहे हैं। इसी किलोखेरी में ४६ दुकानें हैं, इन दुकानों के ऊपर ४२ रहने के फ्लैट हैं। इमारतें अभी बन रही हैं और इस पर २ लाख २७ हजार का खर्च आया है। झिलमिल तहीरपुर में एक कमरे के

†मूल अंग्रेजी में

११९६ मकान पूरे हो चुके हैं। इन पर ३५ लाख खर्च आया है। यहीं पर क्रय विक्रय के ३४ केन्द्र भी हैं, जो कि पूर्ण हो चुके हैं परन्तु मुझे उनकी लागत का पता नहीं है। लाग अम्बा, पद्म चन्द भूमि, मुंडवाला रोड और कनाला विराम योजना में २८८ मकान बनाये जा रहे हैं, इस पर १७.५३ लाख खर्च का अन्दाजा है। अभी श्रीमती कृपालानी इन बस्तियों में नौकरी पेशा लोगों की अवस्था के बारे में पूछ रही थीं। नाई, मोची, इत्यादि ऐसे लोग हैं, जो काफी बहुमूल्य सेवा करते हैं परन्तु उनके लिये कोई आवास व्यवस्था नहीं है। हम घरेलू नौकरों, नाइयों, धोबियों, मोचियों अथवा मेहतरों के लिये एक-एक कमरे के मकान, मोती बाग, मुख्य विनय नगर, पूर्वी विनय नगर तथा अन्य बहुत सी बस्तियों में २७२ मकान बनाये जा रहे हैं। इन पर ९.९७ लाख खर्च का अन्दाजा है। गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये पटेल नगर में ५०० मकान बनाये जा रहे हैं। इन पर ७.६ लाख का खर्चा आयेगा। ५० एकड़ भूमि अर्जित की जा रही है, और उसका समुचित विकास किया जायगा। ताकि गन्दी बस्तियों के निवासी यहां पर स्वीकृत योजना के अनुसार अपने मकान बना सकें।

इस के अतिरिक्त जामा मस्जिद के क्षेत्र को साफ किया जा रहा है। यह योजना स्वीकृत हो चुकी है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अपना कार्य आरम्भ करने के लिये कह दिया गया है। वास्तविक अवस्था यह है कि कानून के होते हुए भी हमने किसी भी व्यक्ति को बदले में जगह दिये बिना बेदखल नहीं किया है। श्रीमती कृपालानी ने सख्ती के एक मामले का उल्लेख किया कि एक ऐसी औरत की झोंपड़ी गिरा दी गयी, जिसकी गोद में २० दिन का बच्चा था और उस पर भारी वर्षा हो रही थी। स्पष्टतः यह सख्ती की बात दिखाई देती है परन्तु वास्तविकता यह है कि झोंपड़ी गिराने वालों को यह तो नहीं पता था कि झोंपड़ी गिराने के दो दिन पश्चात भारी वर्षा होगी। जहां भी अनाधिकृत इमारतें थीं, वहां नगर पालिका के प्राधिकारियों ने कार्यवाही कर के उन्हें गिराया है और जिस कानून पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं। पंजाब उच्च न्यायालय के नि य के पश्चात हमने कोई कार्यवाही नहीं की। परन्तु इस संसद ने कुछ और भी कानून बनाये हैं, जिनका उल्लेख जरूरी है।

दिल्ली नगरपालिका निगम अधिनियम के अन्तर्गत आयुक्त सड़कों अथवा गलियों के विस्तार और सुधार के लिये किसी भी इमारत को गिराने का आदेश दे सकता है, चाहे वह स्वीकृति से ही क्यों न बनी हो। खतरनाक हालात में पड़ी इमारतों को भी वह गिराने का आदेश दे सकता है। अस्वस्थ हालात में पड़ी इमारतों को भी गिराया जा सकता है। नालियों अथवा रोशनदानों का उपयुक्त प्रबन्ध न होने के कारण और मानवीय आवास के अयोग्य इमारतों को भी गिराने की आज्ञा देना आयुक्त के अधिकारों में आती है। गन्दे घरों और झोंपड़ों को भी गिराया जा सकता है।

गन्दी बस्तियों की सफाई अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत मुख्य आयुक्त मानवीय आवास के अयोग्य इमारतों को गिरवा सकता है। दिल्ली विकास अधिनियम १९५७ के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार बिना समुचित अनुमति के बनाये गये किसी भी मकान को गिरा सकती है चाहे वह विकसित क्षेत्र में ही क्यों न हो। इन अधिनियमों में गाडगिल आश्वासन कहीं भी नहीं आता। नगरपालिका प्राधिकारों और दिल्ली प्रशासन प्रधिकारों के पास यह सभी प्रकार के अधिकार हैं। इसलिये यदि किसी अनधिकृत तौर पर बनाई गयी इमारत को गिरा दिया जाय तो आपको हमें जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिये। पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इस कानून के अन्तर्गत हमने कोई कार्यवाही की ही नहीं है।

[श्री अनिल क० चन्दा]

मेरे माननीय मित्र श्री अजित सिंह सरहदी ने श्री खन्ना के आश्वासनों का उल्लेख किया है। मंत्री महोदय ने अधिकारियों को इन आश्वासनों को कार्यान्वित करने के आदेश दिये हैं। जैसे गाडगिल आश्वासनों को पूरा किया जायेगा उसी प्रकार खन्ना आश्वासनों को भी, एक विशेष प्रकार की समस्याओं के सम्बन्ध में, पूरा किया जायेगा।

श्री वाजपेयी ने सम्पदा अधिकारियों के सम्बन्ध में कहा है कि वह कार्यपालिक अधिकारी होगा। पर जरूरी नहीं कि वह कानून का भी ज्ञाता हो। इसलिए कानून के सूक्ष्म मामलों को वह कैसे हल करेगा। राजस्व के मामलों को तय करने वाले तहसीलदारों की भी प्रायः कानूनी जानकारी नहीं होती और नही उनका कोई कानूनी प्रशिक्षण होता है। परन्तु मैं तो अपनी कठिनाई प्रकट कर चुका हूं और स्पष्ट कर चुका हूं कि यह सम्पदा अधिकारी इस निष्कासन अधिनियम के लिए ही विशेष तौर पर नियुक्त नहीं किये जा रहे हैं। यदि यह होता तो हम यह स्पष्ट आश्वासन देते कि केवल न्यायिक अथवा कानूनी ज्ञान वाले लोग ही इस पद पर रखे जायेंगे। यह तो प्रायः सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्धक होंगे। और वे वर्तमान समय में भी यही काम कर रहे हैं। केवल उस समय जब कि निष्कासन का प्रश्न होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देने के स्थान पर कानून को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी उसी पर डाली जायेगी।

†**श्री उ० ल० पाटिल** (धूलिया) : इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये कितने अधिकारी अपेक्षित होंगे? और क्या सम्पदा अधिकारी के पद पर कानूनी योग्यताओं के लोगों को नियुक्त करना सरकार के लिए असम्भव होगा।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : सम्पदा अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। भारत सरकार की सम्पत्ति तो विशेष क्षेत्रों में ही है। वैसे तो थोड़ी बहुत सब स्थानों पर है, परन्तु विशेषतः यह दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता जैसे नगरों के आस पास है। और इन में बहुत सी सम्पत्ति जिस पर अनधिकृत कब्जा है प्रतिरक्षा मंत्रालय की है, उनके लिए अपने संगठन से न्यायिक अधिकारी नियुक्त करना कठिन है, इसलिए हम इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दे सकते। परन्तु जैसे मैं ने कहा कि यह सम्पदा अधिकारी प्रतिदिन सरकारी सम्पत्ति के कामों में ही रहते हैं, और अनुभव से ही उन में इतना विधिक ज्ञान होता है कि वे कानून की सूक्ष्म बातों को भी समझ लेते हैं। इस लिए विधि-मंत्री ने ठीक ही कहा है कि इस से न्याय प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आयेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने इसे बड़ा कड़ा विधेयक कहा है और मत प्रकट किया है कि यह अमानवीय है।

†**सरदार अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनर्वास अधिनियम की धारा १९ के अन्तर्गत निष्क्रान्त सम्पत्ति से निष्कासन की व्यवस्था है। निष्क्रान्त सम्पत्ति भी सरकारी सम्पत्ति है, इसलिए इस विधेयक की क्या आवश्यकता है?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह एक ही उदाहरण नहीं है। कई ऐसे मामले है जहां कि एक ही मामले की व्यवस्था करने वाले कई कानून होते हैं। निष्कासन के सम्बन्ध में साधारण देश का कानून भी है। हम चाहें तो उसके अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं परन्तु इस के अतिरिक्त

†मूल अंग्रजी में

हम इस विधान का निर्माण कर रहे है। इसी प्रकार पुनर्वास अधिनियम की धारा १९ में भी निष्कासन की विशेष प्रकार की व्यवस्था है परन्तु मेरे विचार में वे नियम कुछ कड़े हैं। ो प्रकार के नियम हैं सरकार जिसे चाहे प्रयोग में ला सकती है। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार अधिनियम १९४७ अथवा १९४९ में बना है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकारी कर्मचारयों के भ्रष्टाचार के लिये देश का साधारण कानून नहीं है। यह नहीं कि यह विधान और सरदार अजित सिंह सरहदी द्वारा उल्लेखित कानून एक दूसरे के विरोधी हैं। विशेष विधान तो किसी कार्य को तीव्रता से करने के लिए निर्माण किया जाता है और जो बातें साधारण विधि के उपबन्धों में नहीं आतीं, वे इस में आ जाती हैं। और भारत भर में जो भी सम्पति भारत सरकार की है, वह इसके अन्तर्गत आ जाती है।

जहां तक इस विधेयक के कड़े और अमानवीय होने का सम्बन्ध है, यह संसद् द्वारा पहले अधिनियमित विधान से बहुत ही नर्म है। इस में सम्बद्ध व्यक्ति को नोटिस देने की व्यवस्था है, सबूत प्रस्तुत किये जा सकते हैं। एक विशेष दिन सम्पदा अधिकारी अपना निर्णय देगा और फिर आगे सामान्य विधि अनुसार कार्यवाही होगी। जिला न्यायाधीश उस निर्णय का पुनरीक्षण कर सकता है। पुराने विधान के अनुसार कानून भंग करने वाले पर हजार पया जुर्माने की व्यवस्था थी, परन्तु अब वह भी हटा दी गयी है। अत : मेरा निवेदन है कि यह विधेयक बिलकुल ठीक है। संयुक्त समिति ने विचार कर जो सिफारिशें की हैं, उन्हें ही इसका आधार बनाया गया है, । राज्य - सभा में हमने साम्यवादी सदस्य का एक संशोधन भी स्वीकार कर लिया है क्योंकि उस में कुछ वजन था। हम इन भूगृहादि को कोई व्यापारिक उद्देश्यों से तो वापिस नहीं ले रहे हैं, उसे आम जनता के भले के लिये ही प्रयोग में लाया जायेगा। इस से किसी को व्यक्तिगत रूप में लाभ नहीं होगा मेरा निवेदन है कि हमें आवश्यक अधिकार दिये जाने चाहिए। इसके लिए इस विधेयक को स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि सरकारी भू-गृहादि से अनिधिकृत कब्जाधारियों के निष्कासन तथा कुछ तत्संबंधी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सरकार सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**सभापति महोदय :** अब खण्डवार चर्चा होगी। खंड २ पर कुछ संशोधन हैं।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं अपना संशोधन संख्या ५६ प्रस्तुत करता हूं।

यह बहुत आवश्यक हो गया है कि विस्थापित व्यक्तियों की परिभाषा दी जाये और विधेयक का क्षेत्र इतना बढ़ा दिया जाये जिस से इस में हीराकुड, रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर तथा कुछ अन्य क्षेत्र शामिल हो सकें, जो सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिये अर्जित कि जा रहे हैं। अर्थात हीराकुड क्षेत्र की जमीनें कोई बारह साल हुए जब्त कर ली गई थी अगर अभी तक उनका प्रतिकर नहीं दिया गया है ? मैं चाहता हूं कि विस्थापित व्यक्तियों के लिये इस कानून में स्पष्ट रूप से उपबन्ध किया जाये।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री बाल्मीकी :** सभापति जी मैं अपना संशोधन संख्या ५७ प्रस्तुत करता हूं।

अभी जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने फिर कुछ ऐश्योरेन्स (आश्वासन) दिये डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (विस्थापितों) के बारे में, लेकिन हरिजनों और बिल्डिंग लेबरर्स के बारे में कोई इस तरह का ऐश्योरेन्श वह नहीं दे सके। यह बात जरूर है कि जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है, वे पुरातन काल के शरणार्थी हैं, पुरुषार्थी हैं। हम यह मानते हैं कि हमारे रिफ्यूजी भाइयों ने देश के खातिर जो कष्ट झेले हैं उन्हें हम न भूलें और वह अब जिस बुरी हालत में हैं उस में न रहें, उन से हमारी इस प्रकार की सिम्पैथी है।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

लेकिन जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है उन की दशा आज उन से भी बद तर है और जितना ध्यान रिफ्यूजी भाइयों की तरफ दिया गया है, उन हरिजनों की तरफ उतना नहीं दिया गया है। इस लिये मैं ने यह कहा है कि उन के मकानों को गिराने के लिये जिस तरह से पुलिस के स्क्वैड और अथारिटीज चलती हैं, उस से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई मेडीवियल पीरियड का हमला हो रहा है। मैं इस तरह के हमलों का जोर दार शब्दों में विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम इस को देखें कि हमारे यहां भारत सेवक समाज है, हरिजन सेवा संघ है, हम लोग जो हरिजनों की सेवा करते हैं, उन से सलाह करके कोई काम किया जाये। मैं तो चाहता हूं कि उन लोगों के मकानों को गिराया न जाये बल्कि एक खास पालिसी बना कर सरकार उन के मकानों का सर्वे कराये कि उन के मकान इस तरह के हैं और उन से बेहतर बनायें। इस के लिये क्या किया जाये, इस के लिये मैं ने एक और अमेंड मेन्ट दिया है, जिस पर मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन मेरा विचार है कि माननीय मंत्री इस बात को याद रक्खें कि इस बिल के पास हो जाने के बाबजूद भी चूंकि उन के रहने का ठीक ठीक प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है इस लिये अनाथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन बन्द नहीं हो पा रहे हैं। हम उसे बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन आप उन लोगों से भली प्रकार व्यवहार करें। आज आप जिस निर्दयतापूर्वक कदम उठा कर चलते हैं वह कोई अच्छी बात नहीं है, उस से उनके दिमाग पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इस लिये अब भी आप उन का वहां से हटाने का विचार करें, जिस तरह से आप हमारे रिफ्यूजी भाइयों के बारे में सोचते हैं, उसी तरह से इन लोगों की हालत को देखते हुए इन के बारे में भी व्यावहारिक और वास्तविक रूप को आंक लें और मानवता के आधार पर उन के साथ न्याय करें।

मुझे आशा है कि जो स्पिरिट मेरे संशोधन के अन्दर है खास तौर से उस को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

†**सभापति महोदय :** जो माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वे कर सकते हैं।

†**श्री बाला साहेब पाटिल** (मिराज) : मैं अपना संशोधन संख्या ६२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री ड० ला० पाटिल :** मैं अपना संशोधन संख्या ५१ प्रस्तुत करता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास मार्गव** (हिसार) : मैं अपने संशोधन संख्या ३७ और ४१ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** मैं अपना संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं।

†**सभापति महोदय :** ये सब संशोधन सभा के समक्ष हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : श्रीमान्, यदि हमें सरकार यह आश्वासन दे कि वे पहले आश्वासनों को क्रियान्वित करेगी तब इन संशोधनों का कोई महत्व नहीं है।

हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उसने विस्थापितों को बसाने में आज तक ३०० करोड़ रुपये का व्यय किया है । किन्तु क्या उन्होंने किसी मकान को भी नियमित घोषित किया है । यदि सरकार इन मकानों को नियमित करती तो ३० या ४० लाख रुपये उसे प्राप्त हो जाते । इससे लोगों में संतोष की भावना भी फैल जाती । हमें पता है कि सरकार उन मकानों को गिरवायेगी भी नहीं ।

सरकार यह नहीं कह सकती कि जो वचन उसने दिये वह उन्हें पूरा कर रही है । क्या सरकार ने यह वचन नहीं दिया था कि प्रत्येक विस्थापित को रहने का स्थान दिया जायगा ।

जो कुछ आपने अब तक दिया है उसे अब आप इस प्रकार का विधेयक बना कर वापस ले रहे हैं । जब विस्थापितों ने ऐसे मकानों पर कब्जा किया वह सब मंत्री महोदय की अनुमति से किया था। नगरपलिका ने उन्हें बिजली दी, पानी दिया। लोगों ने उनकी मरम्मत पर भी पैसे खर्च किये। यदि किसी सम्पति पर अनधिकृत रूप से कब्जा करना अपराध है तो उस अपराध के लिये उकसाने वाला भी उतना ही अपराधी है ।

मकान दिये जाने तथा उसके हस्तांतरण के बारे में जो उपबन्ध है उस में लिखा है यदि किसी भी कारण से ऐसा निर्धारित किया गया हो या वह प्रक्रिया समाप्त हो गई हो तब भी सरकार कार्यवाही करेगी। मेरी समझ में नहीं आया कि "किसी भी कारण से" शब्द क्यों रक्खे गये हैं। आपके अधिकारी इन सब बातों से तो बहुत ही गड़बड़ करेंगे।

वास्तव में कठिनाई तो यह है कि माननीय मंत्री इस आधार को ही सामने रखते हैं कि सम्पति सरकार की है ।

जहां तक विधेयक के अन्तर्गत बनने वाले प्राधिकारी का सम्बन्ध है उस ने तो केवल अपनी बात कायम करनी है कि ये लोग अनधिकृत रूप से कब्जा कर रहे हैं या नहीं। उसी आधार पर वह कार्यवाही करेगा। इसके पश्चात् वह अधिसूचना देगा और उस के बाद व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही हो जायेगी ।

पदाधिकारी जो यह राय बनायेगा कि अमुक व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है वह राय एक तरफा होगी। और उसी कार्यवाही के आधार पर बेचारे निर्धन लोगों को बेदखल किया जायगा ।

अतः खण्ड ४ के अधीन पदाधिकारी को यह भी सोचना चाहिये कि क्या उस व्यक्ति को बेदखल करना चाहिये या नहीं। यदि वह समझे कि बेदखल करने से बेचारे व्यक्ति की हालत ही खराब हो जायेगी तो निष्कासन का आदेश ही न दिया जाये। खण्ड ५ और भी हानिकारक है। इस से सारा का सारा सिद्धि भार ही दूसरे पक्ष पर छोड़ दिया गया है। सरकार उसके विरुद्ध कोई प्रमाण न देगी। यह पूर्ण रूप से अन्याय है ।

मुझे "अनधिकृत कब्जे" की परिभाषा पर ही आपत्ति है। इससे उन लोगों के कब्जे भी अनधिकृत हो जायेंगे जो वास्तव में अनधिकृत नहीं हैं। इस प्रकार की कार्यवाही एकतरफा है या यूं कहें कि अत्याचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मैं माननीय सभा से यही प्रार्थना करूंगा कि हमें यह विधेयक पारित नहीं करना चाहिये। प्रधान मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि वैकल्पिक स्थान दिये बिना किसी का निष्कासन न होगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह बात केवल विस्थापितों पर ही नहीं अपितु अन्य सब लोगों पर भी लागू होनी चाहिये। कल्याणकारी राज्य में किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार बेदखल नहीं होने देना चाहिये। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार ने जो आश्वासन विस्थापितों को दिये थे उन्हें इस विधेयक का अंग बना दिया जाये।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मेरे संशोधन का प्रथम भाग इस आशय का है कि उस सम्पदा को इससे परे रखा जाये जोकि १९५५ से पूर्व निष्क्रान्त सम्पत्ति थी। मैं इस भाग पर बोलूंगा क्योंकि दूसरे भाग पर पंडित ठाकुर दास भार्गव बोल चुके हैं।

माननीय उपमंत्री ने स्वीकार किया है कि इस सम्पत्ति पर नियंत्रण रखने के लिये एक दूसरा अधिनियम है और उसके लिये वहां संक्षिप्त प्रक्रिया दी गई है। निष्क्रान्त सम्पत्ति से लोगों के निष्कासन के लिये जो संक्षिप्त प्रक्रिया है वह कुछ शर्तों पर आधारित है। पहले वहां प्रभावाधीन व्यक्ति प्रबन्धक पदाधिकारी के पास जा सकते हैं। वह यह कह सकता है कि इनका निष्कासन न किया जाये इसके बाद सेटलमेंट पदाधिकारी के पास अपील हो सकती है और अन्ततः केन्द्रीय सरकार के पास भी प्रार्थना की जा सकती है।

किन्तु इस विधेयक में केन्द्रीय सरकार इस प्रकार बीच में आती ही नहीं। अतः हमें इस में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया को रखना चाहिये जिससे कि केन्द्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां मिल जायें। जो गलतियां नीचे हों वह ऊपर तो कम से कम दूर हो ही जानी चाहियें। दूसरे देश के प्रत्येक भाग में विस्थापित बैठे हैं। क्या सरकार प्रत्येक व्यक्ति की सुविधा के लिये स्थान-स्थान पर सम्पदा अधिकारी नियुक्त करेगी ? अतः यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो इससे सरकार को किसी प्रकार की हानि न होगी। केवल श्री गाडगिल के आश्वासन इस विधेयक का अंग बन जायेंगे।

†**श्री वारियर** (त्रिचुर) : श्रीमान्, सभा में गणपूर्ति नहीं है।

†**सभापति महोदय** : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति है।

†**श्री बालासाहेब पाटिल** : मैंने संशोधन संख्या ६२ प्रस्तुत किया है जिससे एक नया उपखण्ड जोड़ने की प्रार्थना की गई है। सम्पदा पदाधिकारी के परिभाषा के पश्चात मैं यह चाहता हूं कि नया उपखण्ड जोड़ा जाये।

माननीय उपमंत्री ने कहा है कि विधेयक का उद्देश्य यह है कि कार्यवाही शीघ्र हो। न्यायालयों की प्रक्रिया लम्बी है और उसस बहुत समय लगता है। किन्तु इन उपबन्धों के अधीन भी सम्पदा प्राधिकारी को पर्याप्त समय देना होगा। यदि वह बहुत ही कम समय देगा तब भी अन्याय है। अतः उतनी ही देर भी लगेगी।

इस विधेयक से वास्तव में बहुत से लोगों पर भारी प्रभाव पड़ेगा। उनके जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेंगे क्योंकि इसके अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी ने यह राय बनानी होगी कि क्या अमुक व्यक्ति अनधिकृत कब्जाधारी है या नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि जब पक्षों को अपील करने का अधिकार ही नहीं दिया गया तब केवल इतना ही कर दिया जाये कि सम्पदा अधिकारी ऐसे मामले को अल्पवादों के न्यायालय में भेज दे जो निर्णय करें। मेरे संशोधन का यही उद्देश्य है।

†**श्री उ० ल० पाटिल** : मेरा संशोधन है कि "किसी भी कारण से" के स्थान पर "नियमों के अधीन किसी कारण से" शब्द रखे जायें। अब बात यह है कि विभिन्न किराया नियंत्रण विधेयकों के अन्तर्गत स्पष्ट उपबन्ध होते हैं। सरकार को साधारण लोगों के समान तो नहीं समझा जा सकता। अतः यहां भी सम्पदा अधिकारी को दिये जाने वाले स्वाविवेक को सीमित किया जाना चाहिये। अतः निर्धारण इत्यादि सभी मामले नियमानुसार होने चाहियें।

†**श्री जगन्नाथ राव** : श्रीमान् संशोधन प्रस्तुत करते समय माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं वही बातें विधेयक पर होने वाली सामान्य चर्चा के समय कहीं गई थीं।

जहां तक संशोधन संख्या २० का प्रश्न है सरकार की यह इच्छा नहीं है कि अनधिकृतरूप से कब्जा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता या छूट दे दी जाये। इस प्रकार की शक्ति तो सरकार ने विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास तथा प्रतिकर अधिनियम में भी अपने पास रखी थी। अतः यदि ये संशोधन स्वीकार कर लिये गये तो विधेयक का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : खण्ड २ पर मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अब केवल उन्हीं मामलों का उल्लेख करूंगा जिन पर सभा में कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उ० ल० पाटिल ने संशोधन संख्या ५१ प्रस्तुत किया है। वह चाहते हैं कि "किसी कारण से" शब्दों के स्थान पर "नियमों के अधीन किसी कारण से" शब्द रखे जायें। इसका अर्थ यही हो जाता है कि जो कारण निष्कासन के लिये सम्पदा अधिकारी को अग्रसर करते हैं उन्हें बताया जाना चाहिये। सरकार के लिये प्रत्येक मामले में इस प्रकार की कार्यवाही करना बड़ा कठिन कार्य है। इस के अन्तर्गत आने वाली बहुत सारी सम्पदायें तो प्रतिरक्षा विभाग की हैं। इस संबंध में मैं ज्यादा नहीं बता सकूंगा। खैर मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। वैसे भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भी कारणों का स्पष्टीकरण करना नहीं पड़ता। इतना ही कारण पर्याप्त है कि मकान सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये चाहिये।

हरिजनों से भी हमारी सहानुभूति है किन्तु हमें प्रत्येक अवसर पर भावुक नहीं होना चाहिये।

इसी प्रकार से हम श्री देव का संशोधन संख्या ५६ तथा ५७ भी स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री बाला साहेब का संशोधन अल्पवाद-न्यायालयों से सम्बन्ध रखता है। यद्यपि विधेयक का उद्देश्य यह है कि मामला संक्षेप से निपटाया जाय किन्तु प्राकृतिक न्याय भी सब को मिले। यदि हम एक बार न्यायालय को ले आते हैं तब फिर वही समस्त न्यायपालिका चित्र में आ जाती है। तब फिर इस प्रकार की विशेष निधि के लिये संसद के सामने आना व्यर्थ है। विधेयक का आधार ही यह है कि निष्कासन शीघ्र हो। इसी के साथ साथ हमें लोगों के अधिकारों को भी देखना है। उसी के साथ साथ यह काम भी शीघ्र गति से कराना है। यदि ये संशोधन स्वीकार कर लिये जायें तो सारा विधेयक ही अनावश्यक हो जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अनिल कु० चन्दा]

जहां तक गाडगिल आश्वासनों का सम्बन्ध है उन्हें विधेयक का अंग नहीं बनाया जा सकता। यदि एक बार ऐसा कर दें तो फिर तो यह रीति चल जायेगी। अतः मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। हम पदाधिकारियों को हिदायत देंगे कि वे हरिजनों से नम्रतापूर्ण व्यवहार करें।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६२, ५१, ४१, ३७, ५७, ५६ तथा २० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३ (सम्पदा पदाधिकारियों की नियुक्ति)

†**श्री भा० कृ० गायकवाड** : मैं संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं संशोधन संख्या ४२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री प्र० के० देव** : मैं संशोधन संख्या ५८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री जाधव** : मैं संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करता हूं।

†**सभापति महोदय** : ये सब संशोधन सभा के समक्ष हैं।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान् संशोधन संख्या ७ जो संशोधन संख्या २ जैसा ही है, का उद्देश्य यह है कि सम्पदा पदाधिकारी न्यायपालिका पदालि से नियुक्त किया जाये।

मनानीय मंत्री ने बताया है कि इस विधेयक के प्रवर्तन के लिये नये पदाधिकारी नियुक्त नहीं किये जा सकते। तब यदि सरकार न्यायपालिका पदालि के अधिकारी लगा दे तो क्या कठिनाई है। यह बड़ी साधारण सी बात है।

†**श्री प्र० के० देव** : इस विधेयक से कार्यपालिका असीम शक्तियां ले रही है अतः सम्पदा पदाधिकारी ऐसे होने चाहिये जोकि न्यायपालिका का अनुभव रखते हों। यही लाभदायक हो।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मेरा संशोधन बड़ा सरल है। मैं यह संशोधन इस दृष्टि से रख रहा हूं कि इस प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना आवश्यक है जो चाहे गजेटेड हों या नहीं, पर वे न्यायिक ढंग से विचार करने की क्षमता रखते हों।

†**श्री जाधव** : मेरा संशोधन संख्या २१ सम्पदा अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में है। मैं चाहता हूं कि ये अधिकारी न्यायपालिका से ही चुने जायें, क्योंकि इस प्रयोजन के लिये न्यायिक प्रक्रिया का पालन और उसकी जानकारी अत्यावश्यक है।

---

†मूल अंग्रजी में

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैंने अपना संशोधन संख्या ४२ प्रस्तुत किया है। खण्ड १० में व्यवस्था की गई है कि सम्पदा अधिकारियों के पदों पर गज़ेटेड अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी। गज़ेटेड अधिकारी तो हर सरकारी विभाग में रहते हैं। यह पर्याप्त नहीं है।

इस पद पर तो केवल ऐसे ही अधिकारी उपयुक्त रहेंगे जो विधि का पूरा-पूरा ज्ञान रखते हों। न्यायपालिका के साधारण अधिकारी भी सम्पदा अधिकारियों के दायित्व नहीं निभा सकेंगे। सम्पदा अधिकारियों के सामने विधि संबंधी बड़े-बड़े पेचीदा प्रश्न उठेंगे, इसलिये उन्हें विधि के क्षेत्र में पारंगत होना चाहिये।

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के खण्ड ३४ के अधीन नियुक्त किये जाने वाले नियंत्रकों के लिये भी पांच वर्ष के न्यायिक अनुभव की एक जरूरी शर्त लगायी गयी है। और उनके मुकाबले में, इन सम्पदा अधिकारियों को तो कहीं अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान की जा रहीं हैं, फिर भी उनके लिये न्यायिक अनुभव की कोई शर्त नहीं लगाई गई है।

इन सम्पदा अधिकारियों को ९० या ९९ वर्ष पुराने पट्टों के मामलों का भी निर्णय करना पड़ेगा। इन्हें स्वामित्व की अवैधता या वैधता का निर्णय करना पड़ेगा, क्षतियों का मूल्यांकन करना पड़ेगा। ऐसे कई और भी पेचीदा सवाल खड़े होते रहेंगे। इसलिये सम्पदा अधिकारी का विधि के क्षेत्र में पारंगत होना बहुत जरूरी है: सम्पदा अधिकारी के क्षेत्राधिकार को देखते हुये, यह बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज यह भी है कि कोई भी अपीलीय न्यायालय बाद में सम्पदा अधिकारो के निर्णय पर न्यायपूर्वक विचार नहीं कर सकेगा। यह इसलिये कि वैसे तो आधे मामलों में अपील ही नहीं की जायेगी, और जिन आधे मामलों में सम्पदा अधिकारी के निर्णय के बाद अपील भी की जायेगी उनमें भी अपीलीय न्यायालय या अपीलीय प्राधिकारी उस पूरे प्रश्न की गहरी छानबीन नहीं कर सकेगा। इसलिये न्यायिक पुनरीक्षण में भी पूरा पूरा न्याय नहीं किया जा सकेगा। इसलिये सम्पदा अधिकारी को अन्तिम निर्णय करने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिये।

इन सभी बातों को देखते हुये, यह अत्यावश्यक है कि सम्पदा अधिकारी को कम से कम सात या आठ वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिये।

आशा है कि सरकार इस संशोधन को मान लेगी।

†**श्री बालासाहेब पाटिल** : सम्पदा अधिकारियों के कृत्य चार प्रकार के हैं : अनुसंधान, जांच-पड़ताल, अभियोग और निष्पादन ये सभी शक्तियां व्यवहार और दण्ड न्यायालयों को हैं इसलिये सम्पदा अधिकारी का चुनाव भी न्यायपालिका के अधिकारियों में से ही करना चाहिये। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि सम्पदा अधिकारी केवल गज़ेटेड अधिकारी ही रहेगा तो वह सरकार के आदेशों पर ही चलेगा, वह न्यायपालिका के सदृश्य अपने निर्णयों में स्वतंत्र नहीं रहेगा। उसे अपनी नौकरी बनाये रखने की ही फिक्र रहेगी। वह सरकार को खुश रखना चाहेगा।

माननीय उपमंत्री की एक आपत्ति यह है कि न्यायिक अनुभव वाले व्यक्तियों की कमी है : मैं तो कहता हूं कि देश में लाँ ग्रेजुएटों की कमी नहीं है और उनमें से योग्य व्यक्तियों को इस पद के लिये भर्ती किया जा सकता है और साथ ही यह भी नियम बनाया जा सकता है कि वे न्यायपालिका की भांति ही स्वतंत्र रहेंगे।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री बालासाहेब पाटिल]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसीलिये दो चीजें बहुत ही जरूरी हैं—एक तो यह कि सम्पदा अधिकारी को न्यायिक अनुभव हो और दूसरी यह कि वह स्वतंत्र हो।

श्री यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक, पबलिक प्रेमिसेज़ इविक्शन आव अनअथोराज्ड आकुपेंट्स बिल (सरकारी भू-गृहादि अनधिकृत कब्जाधिकारियों का निष्कासन) विधेयक है और जिसका ड्रामा यहां खेला जा रहा है इसका मुख्य अभिनेता स्टेट आफिसर या राज्य अधिकारी होगा। इस अधिकारी के ही चारों तरफ यह विधेयक घूमता है। अगर इस अधिकारी के अधिकार पढ़े जायें तो मालूम होगा कि इस विधेयक के सम्बन्ध में शायद इतना जबरदस्त और कोई अधिकारी नहीं होगा। यदि इस अधिकारी को हम इस विधेयक का तानाशाह कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

यदि हम अपने संविधान की ओर नजर डालें तो वह हमें आदेश देता है कि हमको न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग-अलग रखना चाहिये। क्या यह जो इस विधेयक में इस राज्य अधिकारी को इतने जबरदस्त अधिकार दिये जा रहे हैं यह कदम न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखने की ओर जाता है। श्रीमन्, इस स्टेट आफिसर को जूरिसप्रूडेंस (विधि) का कोई ज्ञान नहीं होगा। न्याय के जो आधारभूत सिद्धान्त हैं उनकी उसे जानकारी नहीं होगी। इस विधेयक में हजारों लाखों लोगों के घरों और रोटी रोजी का सवाल है। ऐसे मामले को स्टेट अधिकारी के हाथ में एक खिलौने के रूप में दिया जा रहा है, उस अधिकारी के हाथ में जिसको कानून का कोई ज्ञान नहीं होगा। यदि सरकार जरा भी ध्यान दे तो उसे पता चलेगा कि जब यह विधेयक कानून की शक्ल में तबदील हो जायेगा और यह राज्य अधिकारी काम प्रारम्भ करेंगे तो क्या अवस्था होगी। उस अवस्था की कल्पना से ही सरकार को चाहिये कि थोड़ा सा सहमे और इस कदम को वापस ले ले

वैसे संशोधन में तो जूडीशियल आफिसर शब्द इस्तैमाल किया गया है। संशोधन म कहा गया है कि न्याय अधिकारी रखे जायें। वे बड़ी संख्या में प्राप्त हो सकते हैं, राज्यों से और बाहर से भी लिये जा सकते हैं। जो मौजूदा न्याय अधिकारी हैं उनके हाथ में भी यह काम दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को तो इन न्यायाधिकारियों से भी शिकायत होगी, लेकिन इस विधेयक में तो न्याय अधिकारी भी नहीं रखने का विधान है, इसमें तो सरकार अपने मन चाहे गजेटेड आफिसर नियुक्त करेगी और उनको कानून के सारे अधिकार दिये जायेंगे।

शायद एक साल भी नहीं हुआ है कि जब उत्तर प्रदेश में न्याय अधिकारियों ने एक ड्रामा खेला था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के आदेश पर डा० राम मनोहर लोहिया जैसे आदमी को अदालत के सामने हाजिर न होने पर बांध कर लाने का आदेश दिया। फिर जब वह बाध कर लाये गये और जब दस्तखत की बात कही गयी तो उनके अंगूठे का निशान लिया जाता है तो जब न्याय अधिकारी यह सब कर सकते हैं तो उस समय क्या अवस्था होगी जब यह कानून स्टेट आफिसरों के हाथ में दे दिया जायेगा। इस सदन के माननीय सदस्यों को यह कानून बनाने के पूर्व यह सोचना चाहिए कि इस कानून द्वारा कितनी जबरदस्त ताकत इन अफसरों को दी जायेगी, एक दो दस नागरिकों के सम्बन्ध में नहीं बल्कि बड़ी संख्या में नागरिकों के सम्बन्ध में। यहां के नागरिकों के लिये इस नाटक का ढोंग नहीं रचा जाना चाहिये।

मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं इस सिलसिले में। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हाई-कोर्ट को अधिकार है कि उनकी अपील सुन सके । लेकिन जब राज्य अधिकारी नीचे ही सब कुछ खत्म कर देगा तो कौनसा ऐसा रिकार्ड रह जायेगा, कौनसा सबत और शहादतें ऐसी रह जायेंगी जिनके आधार पर हाई कोर्ट में अपील हो सके और उस व्यक्ति को न्याय मिल सके। और दूसरे कितने ऐसे लोग होंगे जिनमें हाई कोर्ट तक जाने की ताकत होगी और जो ऊपर जाकर अपील से न्याय हासिल कर सकेंगे।

तो मैं चाहता हूं कि कम से कम अब सरकार संविधान को तोड़ने से इन्कार करे। जो संविधान की मंशा है उसकी कद्र करे और उसकी कद्र करते हुए यह जो मामूली सा सशोधन है उसे स्वीकार कर ले। सरकार न्यायपालिका और कार्यपालिका को इस प्रकार से अलग रखे। यदि सरकार इस संशोधन को मान लेगी तो मैं समझता हूं कि वह अपनी न्याय वृत्ति का परिचय देगी। यदि सरकार ऐसा करे तो अच्छा है।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मुझे कोई और नयी बात नहीं कहनी है। समिति में इस प्रश्न पर काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मैं सभा को बता चुका हूं कि सम्पदा अधिकारी केवल निष्कासन के लिये ही नहीं रखा जा रहा है, वह तो सरकारी सम्पदाओं के एक प्रबन्धक का ही कार्य करेगा। हां, वह निष्कासन के मामलों में सरकार की ओर से इस अधिनियम का पालन करवायेगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिरक्षा सम्पत्तियां भी रहेंगी, इसलिये हम किसी भी न्यायाधीश को सम्पदा अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं कर सकते। इसलिये इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या सम्पदा अधिकारी को यह स्वयं-निर्णय करने की शक्ति प्रदान की जायेगी कि वह केवल उचित मामलों में ही निष्कासन का आदेश दे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जी, हां। सम्पदा अधिकारी को स्वयं-निर्णय की शक्ति रहेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१ और ४२ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय :** अन्य संशोधन अवरुद्ध हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खाद्य-स्थिति पर विचार करने के लिये अनौपचारिक बैठक के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** यह एक ऐसा मामला है जिसका ताल्लुक सभा के सभी सदस्यों से है। आज सुबह चर्चा के दौरान में आपने सरकार को एक यह सुझाव दिया था कि खाद्य स्थिति के बारे में विचार करने के लिये सरकार को इस सभा के सभी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्र जवाहरलाल नेहरू]

दलों के सदस्यों से अनौपचारिक रूप से बातचीत करनी चाहिये। हम इस के लिये बड़ी खुशी से तैयार हैं। मैं ने तो, आपके एक और पहले के सुझाव के मुताबिक, विरोधी दलों के कुछ नेताओं को, जिन में राज्य सभा के कुछ सदस्य थे, इस के लिये बुलाया भी था। पिछले शुक्रवार को हमने खाद्य स्थिति के बारे में विचार करने के लिये एक ऐसी अनौपचारिक बैठक की थी। आज दोपहर के बाद भी एक ऐसी बैठक हुई थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कोई एक बार बैठ कर ही चर्चा कर लेने का सवाल नहीं है ; यह बात चीत तो चलती ही रहनी चाहिये। हम चाहते यह हैं कि हम खाद्य सम्बन्धी तात्कालिक परिस्थिति पर ही विचार न करते रहें, बल्कि इस समस्या को हल करने के लिये अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपाय करें। मतलब यह है कि इस समिति को, अनौपचारिक किस्म की होते हुए भी, अपनी बैठकें करते रहना चाहिये। हमने यह समिति अनौपचारिक इसलिये रखी है कि अनौपचारिक ढंग से चीज़ों पर चर्चा करना कहीं आसान होता है।

इन दो दिनों की चर्चा के दौरान में कई सदस्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण और सुझाव रखे और में समझता हूं कि उनसे काफ़ी फायदा हुआ है शायद हम ने उनको जो सूचना दी है उस से उन को भी कुछ फायदा हुआ होगा। यह अनौपचारिक समिति समय-समय पर अपनी बैठकें करती रहेगी।

अब, आपने जो सुझाव दिया है, उसे देखते हुए, हमने एक और बड़ी बैठक बुलाने का निश्चय किया है। ११ सितम्बर, बृहस्पतिवार को, यानी आज से तीन दिन बाद, सभी दलों के २५–३० सदस्यों की एक बैठक होगी। ११ सितम्बर से पहले यह बैठक रखना मुमकिन भी नहीं था। क्योंकि कल यहां एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आ रहे हैं और उन से बातचीत होने के कारण हमें समय नहीं मिल सकेगा। आशा है कि ये सभी सदस्य इस कार्य में सहयोग करेंगे। हम उन से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। हम इस सवाल के बारे में जितनी भी हो सकेगी उतनी सूचना बड़ी खुशी से उन्हें बतायेंगे और उनके सुझावों को बड़े ध्यान से सुनेंगे।

जैसा मैं कह चुका हूं सरकार इस संबंध में पहले की और वर्तमान स्थिति के बारे में सारी जानकारी उनके सामने पेश करने को तैयार है। सरकार सभी सदस्यों के दृष्टिकोणों और नये सुझावों पर चर्चा करने के लिये तैयार है।

इतना ही नहीं, यदि ११ सितम्बर की बैठक में या उसके बाद आवश्यक समझा जाये, तो हम सभा में भी किसी उपयुक्त दिन इस विषय पर दो घंटे की चर्चा करने के लिये तैयार हैं। सरकार यह नहीं चाहती कि किसी भी सदस्य को यह कहने का मौका रहे कि सरकार की ओर से चर्चा की बात किसी भी ढंग से टाली गई है या उसमें रोड़ा अटकाया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले इस विषय के सम्बन्ध में एक ब्योरेवार चर्चा हो चुकी है—आज से आठ दिन बाद, अगले हफ्ते, राज्यसभा में भी खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा होने जा रही है। खैर वह बहस दूसरी सभा में होगी। लेकिन हम इस संबंध में कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि इस में केन्द्रीय सरकार का या राज्य सरकार का दायित्व कितना है, और इस प्रश्न का संवैधानिक पक्ष क्या है,—इन सब सवालों का फैसला तो आप को ही करना है। आप जो भी निर्णय करेंगे, हमें मान्य होगा। मेरा ख्याल यह है कि हम केवल विधि और व्यवस्था से ही संबंध रखने वाले प्रश्नों पर चर्चा नहीं कर सकते।

लेकिन इसके अलावा भी मैं यह नहीं चाहता कि खाद्य स्थिति से संबंधित इस चर्चा को वैधानिक व्याख्या के बड़े नियमों की सीमाओं में ही रखा जाये। इसीलिये, मैं कह रहा हूं कि ११ सितम्बर की बैठक के बाद यदि आप ठीक समझें, तो हम आप से सभा में दो घण्टे की चर्चा के लिये एक उपयुक्त तिथि नियत करने के लिये कहेंगे। समय का निर्णय सभा और आप दोनों कर सकते हैं। मैं सभा को एक और सूचना दे दूं। सभा जिन क्षेत्रों के बारे में चिन्तित हैं उनमें एक क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों का भी है। इन ज़िलों में खाद्य संकट के कारण जनता को काफी तंगी हो गई थी। इन ज़िलों की वर्तमान परिस्थिति के बारे में, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही नहीं, इस सभा के सदस्यों ने भी, जो उन क्षेत्रों से वापस आये हैं, हमें हाल में जो सूचना दी है उसके अनुसार वहां फसल काफ़ी अच्छी होने की आशा है। पिछले दो-तीन दिनों में वहां काफ़ी अच्छी वर्षा हो गई है और उससे सभी को बेहद खुशी हुई है। इसलिये हम थोड़े यकीन के साथ कह सकते हैं कि वहां अगली फसल अच्छी ही रहेगी।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : माननीय प्रधान मंत्री ने अभी कहा है कि इस समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, उसमें रिपब्लिकन दल का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं छोटी अनौपचारिक समिति की बात कह रहा था। उसमें बहुत अधिक संख्या में प्रतिनिधि बुलाना सम्भव नहीं था। अब जो एक बड़ी अनौपचारिक का सुझाव मैं रख रहा हूं, आशा है कि उसमें सभी समहों के प्रतिनिधियों को बुलाया जा सकेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य से काफी तनाव दूर हो गया है। मुझे आशा है कि इस अनौपचारिक सम्मेलन में लगभग सभी चीज़ें तय हो जायेंगी। स्थगन प्रस्ताव की चर्चा में यह सब नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें प्राविधिकता का ध्यान ज्यादा रखा जाता है। उसकी चर्चा में यह प्रश्न भी उठता है कि खाद्य केन्द्र के क्षेत्राधिकार में है भी या नहीं। उसमें यह प्रश्न भी उठता है कि यदि सरकार इस संकटपूर्ण परिस्थिति के लिये उत्तरदायी नहीं है तो उस दशा में स्थगन प्रस्ताव रखा भी जाना चाहिये या नहीं

मुझे पूरी आशा है कि खाद्य सम्बन्धी सामान्य चर्चा के दौरान में माननीय सदस्य कुछ ठोस प्रस्ताव रखेंगे। हमें इस तनाव की स्थिति को दूर करना चाहिये। यदि ज़रूरी समझा जायेगा, तो मैं इस अनौपचारिक बैठक के बाद, सभा में इस विषय की चर्चा के लिये कोई तिथि नियत कर दूंगा।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : इस वक्तव्य की भावना बड़ी अच्छी है। क्या प्रधान मंत्रा उत्तर प्रदेश सरकार से भी ऐसी ही भावना प्रदर्शित करने के लिये अनुरोध करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं कल ऐसी अपील लगभग सभी राज्य सरकारों से कर चुका हूं।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : अच्छा हो यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसी ही एक अनौपचारिक बैठक उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के साथ राज्य के स्तर पर भी करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं उत्तर प्रदेश जाने के लिये तैयार हूं. लेकिन मुश्किल यह है कि मुझे भूटान भी जाना है। फिर भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सम्पर्क बनाये रहता हूं। मुझे आशा है कि जल्द ही वहां की स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा सुझाव यह है कि प्रधान मंत्री को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से अपील करनी चाहिये कि वह भी ऐसा ही एक अनौपचारिक सम्मेलन आयोजित करे।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : मैंने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि वे भी ऐसी छोटी छोटी अनौपचारिक समितियों की बैठकें बुलायें और उनमें विरोधी दलों के नेताओं को आमंत्रित करे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा के सभी दलों से इसमें सहयोग करने की अपील करता हूं। भूख हड़ताल करने वाले माननीय सदस्यों को अपनी भूख हड़ताल वापिस ले लेनी चाहिये ताकि सभी शान्त वातावरण में सहयोग कर सकेंगे।

इस के पश्चात् लोक-सभा, मंगलवार, ९ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२४९१—२५१३
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१००९	चोरी से लाये गये शस्त्रों का पकड़ा जाना	२४९१-९२
१०११	भारत-विद्या इंस्टीट्यूट	२४९२—९४
१०१२	दिल्ली में अनधिकृत रूप से बनाये गये मकान	२४९४—९६
१०१३	भारत-पाक सीमा पर तस्कर व्यापारियों की मृत्यु	२४९७-९८
१०१४	अध्यापकों की प्रतिष्ठा	२४९८—२५००
१०१५	व्यय-कर	२५००—२५०२
१०१६	इस्पात कारखानों की प्रगति	२५०२—२५०४
१०१७	अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय टीमों का प्रदर्शन	२५०४—०६
१०१९	विमान माल भाड़े की वृद्धि	२५०६-०७
१०२०	भिलाई इस्पात कारखाने के लिये टैक्नीकल कर्मचारी	२५०७—१०
१०२१	हिमाचल प्रदेश के लिये लोहे की चादरें	२५१०-११
१०२२	कोरापट में लोह-अयस्क के निक्षेप	२५११—१३
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२५१३—५३
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१०१०	संग्रहालय	२५१३
१०१८	स्नेहन-तेल का उत्पादन	२५१३-१४
१०२३	ग्राम्य संस्थायें	२५१४-१५
१०२४	कश्मीर विवरणिका	२५१५
१०२५	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	२५१५
१०२६	कालेज भवन निधि	२५१५-१६
१०२७	भूमि सीमा-शुल्क विभाग	२५१६
१०२८	विदेशों में प्रविधिक कर्मचारी	२५१६-१७
१०२९	दुर्गापुर का इस्पात कारखाना	२५१७
१०३०	एम० ई० एस० के ठेके	२५१७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)	
तारांकित प्रश्न संख्या	
१०३१ उच्च न्यायालयों में छुट्टियां	२५१८
१०३२ भारतीय लेखकों की परिचयावली	२५१८
१०३३ प्रधान मंत्री द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की वर्कशाप का दौरा	२५१८-१९
१०३४ यूरोप से युद्धोपकरण की खरीद	२५१९
१०३५ दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के लिये भारत प्रशासन सेवा की संयुक्त पदालि	२५१९
१०३६ बाल कल्याण	२५२०
१०३७ विज्ञान संवर्द्धन के लिये भारतीय संस्था, कलकत्ता	२५२०
१०३८ स्टेनलेस स्टील	२५२०-२१
१०३९ मध्य क्षेत्रीय परिषद्	२५२१
१०४० वरिष्ठ सेवा समिति	२५२१-२२
१०४१ बुनियादी शिक्षा	२५२२
१०४२ कैम्बे के निकट तेल के लिये छिद्र करना	२५२२
१०४३ सैनिकों के लिये मकान	२५२३
१०४४ भारत का राज्य बैंक	२५२३
१०४५ सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा संगठन समिति	२५२३-२४
१०४६ इस्पात पुनर्वेलन मिलें	२५२४
१०४७ महालेखा परीक्षक तथा महा लेखापाल का कार्यालय	२५२४
१०४८ सैलम लौह अयस्क	२५२५
१०४९ भाषायें सीखने की तक्नीक	२५२५
१०५० प्रविधिक जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकतायें	२५२५-२६
१०५१ संगीत नाटक अकादमी	२५२६
१०५२ नेपाल को भारतीय सहायता	२५२६
१०५३ दिल्ली प्रशासन को वित्तीय सहायता	२५२७
१०५४ होशियारपुर के निकट छिद्रण का कार्य	२५२७
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१६३२ हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का स्थायी किया जाना	२५२७-२८
१६३३ त्रिपुरा की सीमा बन्दी	२५२८
१६३४ यात्रा भत्ता	२५२८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६३५ द्वितीय आम चुनावों की रिपोर्ट . . २५२८

१६३६ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का रक्षण . . २५२९

१६३७ बम्बई में माध्यमिक शिक्षा २५२९

१६३८ बम्बई की क्रीड़ा संथायें . २५२९

१६३९ भारत प्रशासन सेवा और भारत पुलिस सेवा . २५२९–३०

१६४० आश्रम विद्यालय . २५३०

१६४१ राजस्थान के बहुप्रयोजनीय स्कूल २५३०

१६४२ राजस्थान में खेल कूद . २५३०

१६४३ राजस्थान के स्मारक . २५३१

१६४४ राजस्थान के बहुप्रयोजनीय स्कूल २५३१

१६४५ राजस्थान के स्मारक २५३१

१६४६ पब्लिक स्कूल २५३२

१६४७ पंजाब में आयकर की बकाया २५३२

१६४८ भूतपूर्व सैनिक मंत्रणा समिति २५३२

१६४९ इंजीनियरों की सेवा निवृत्ति २५३२–३३

१६५० हिन्दुस्थान एयर क्राफ्ट फैक्टरी, बंगलौर २५३३

१६५१ गांजे का तस्कर व्यापार . २५३३–३४

१६५२ दिल्ली में परती भूमि . २५३४

१६५३ जीवन बीमा निगम की पालिसियों पर बोनस . २५३४

१६५४ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये असिस्टैंट कमिश्नर २५३५

१६५५ महू सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र . २५३५

१६५६ केन्द्रीय आदिम जाति कल्याण मंत्रणा बोर्ड . . २५३५–३६

१६५७ भारत में विदेशी विद्यार्थी २५३६

१६५८ विदेशी भाषाओं का विद्यालय २५३६

१६५९ सेशन जज, मनीपुर २५३६–३७

१६६० मादक औषधियां . २५३७–३८

१६६१ भारत की सीमा में आने वाले पाकिस्तानी २५३८–३९

१६६२ पंजाब में माध्यमिक शिक्षा २५३९

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६६३	बहरे विद्यार्थियों के शिक्षकों का सम्मेलन	२५३९–४०
१६६४	सम्पत्ति-कर	२५४०–४१
१६६५	दिल्ली में दरिद्रालय	२५४१
१६६६	पंजाब में ऐतिहासिक किले	२५४१
१६६७	पंजाब को कोयले का आवंटन	२५४१–४२
१६६८	पंजाब में शिक्षा विकास का कार्य	२५४२
१६६९	अफीम	२५४२–४३
१६७०	अफीम का निर्यात	२५४३
१६७१	आदिम जातीय छात्राओं के लिये छात्रावास	२५४३
१६७२	त्रिपुरा में हड़ताल	२५४३
१६७३	विदेशवासियों सम्बन्धी अधिनियम	२५४४
१६७४	परीक्षा सुधार समिति	२५४४
१६७५	पब्लिक स्कूलों में भारत सरकार की योग्यता छात्रवृत्तिया	२५४४
१६७६	मनीपुर में शिक्षक	२५४५
१६७७	छावनी बोर्ड के स्कूलों का हस्तान्तरण	२५४५
१६७८	पंजाब में समाज सेवा शिविर	२५४५
१६७९	सोने का तस्कर व्यापार	२५४६
१६८०	आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी, नई दिल्ली	२५४६
१६८१	बम्बई में साहित्यिक कर्मशाला	२५४६
१६८२	कॉपींग एजेंसी, दिल्ली	२५४६–४७
१६८३	भारत-पाकिस्तान बैंकिंग समवाय समझौता	२५४७
१६८४	दिल्ली हवाई अड्डे पर चोरी से लाये गये सोने का पकड़ा जाना	२५४७
१६८५	दिल्ली में मकानों का किराया	२५४७–४८
१६८६	हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार	२५४८
१६८७	कोजीकोड हवाई अड्डा	२५४८
१६८८	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्रालय, मैसूर	२५४८–४९
१६८९	तांबे के निक्षेप	२५४९–५०
१६९०	मनीपुर प्रशासन के अधीन पदाधिकारी	२५५०
१६९१	मितव्ययता बोर्ड	२५५०–५१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६९२ पंजाब में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि . २५५१

१६९३ हिमाचल प्रदेश में खजाने . २५५१

१६९४ पंजाब में तेल के लिये छिद्र करना . २५५२

१६९५ पुलिस . २५५२

१६९६ विदेशी धर्म प्रचारक २५५३

स्थगन प्रस्ताव २५५३–५९

अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की खाद्य स्थिति के बारे में तीन स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना निम्न सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी–

श्री स० म० बनर्जी, श्री तंगामणि और श्री ही० ना० मुकर्जी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा राजा महेन्द्र प्रताप ।

दो सदस्यों की गिरफ्तारी २५५९

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें इन सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में संदेश प्राप्त हुए हैं --

(१) श्री रामजी वर्मा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ११७ और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के अन्तर्गत ६ सितम्बर को गिरफ्तार किया गया ।

(२) श्री सरजू पाण्डे को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१, ११७ और १०७ के अन्तर्गत ७ सितम्बर, १९५८ को गिरफ्तार किया गया ।

दो सदस्यों को सजा २५५९–६०

अध्यक्ष ने लोक-सभा को सूचित किया कि उन्हें मद्रास के द्वितीय प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट की ओर से संदेश मिला है कि श्री धर्मलिंगम् और श्री सम्पत को मद्रास सिटी पुलिस अधिनियम की धारा ४१ के अन्तर्गत सजा दी गई है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . २५६०

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये --

(१) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २३ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१७ की एक प्रति ।

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(जारी)

(४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ७३०, दिनांक २३ अगस्त, १९५८।

(दो) जी० एस० आर० संख्या ७३१, दिनांक २३ अगस्त, १९५८ जिसमें सीमाशुल्क प्रत्याहृत (कार्ड स्टेन्ज़) नियम, १९५८ दिये हुए हैं।

राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अनुमति २५६०

सचिव ने चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित और लोक-सभा को १ सितम्बर, १९५८ को दी गयी अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन तथा सीमा शुल्क) विधेयक, १९५८ सभा-पटल पर रखा।

मंत्री द्वारा वक्तव्य २५६१

राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) ने भारत-पाकिस्तान वित्तीय मामलों के बारे में १३ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८० पर श्री दामानी द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

विधेयक उपस्थापित . . . . . २५६१—६२

(एक) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक, १९५८।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार), विधेयक, १९५८।

विधेयक विचाराधीन . . . . . २५६२—९७

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्ज़ाधारियों का निष्कासन) विधेयक, पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा समाप्त हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार समाप्त नहीं हुआ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . २५९७—२६००

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने उत्तर प्रदेश को खाद्य स्थिति के बारे में संसद् के विभिन्न दलों के सदस्यों की सरकार द्वारा बुलाई जाने वाली अनौपचारिक बैठक के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

मंगलवार, ९ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्ज़ाधारियों का निष्कासन) विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, और आगे खण्डवार विचार और केरल तथा मद्रास राज्यों में विपैले खाद्य के मामलों सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन पर भी चर्चा।